राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का नवम् दिवस [संख्या : 6

मंगलवार;

26 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष: राम राम।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नई परम्परा मत डालो, यह उधर से क्यों ले जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: कभी इधर से कभी उधर से। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आज जो प्रश्न काल आपने रखा था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप मेरी बात सुनिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा जितने आदमी बोले हैं। एक माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह बोलने नहीं दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलें, बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी आज्ञा से निवेदन करना है। मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका दिया जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्नों के लिए समय, यह रूल 31 में है, जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश न दें पहला घंटा प्रश्न काल होगा। अब आपने इसमें निर्देश कर दिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): **Let me Complete, please.** एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इसके अलावा, रामनारायणजी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस संदर्भ में कि अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। सदन के अन्दर यह एक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं टेबल कर दूं, कई अध्यक्षीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें अध्यक्ष महोदय द्वारा लिये गये विनिश्चय को सदन के अन्दर न तो उस पर वाद विवाद किया जा सकता है और न उसके ऊपर कोई टिप्पणी की जा सकती है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कि यह प्रश्न क्यों नहीं लगे। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रहा यह कि यह क्यों नहीं लगे। उपाध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को प्रश्न काल चला नहीं और आपने यह कहा था कि 19 तारीख के प्रश्न 26 को लगेंगे। 20 तारीख को उन प्रश्नों का उत्तर, कई माननीय सदस्य जिनको प्रसिद्धि चाहिए थी, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया। अब जिन प्रश्नों का उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया उन पर इस सदन के अन्दर बहस हो, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसका कोई विषय बनता नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, कह दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को जो प्रश्न लगे थे उनका जवाब मेरे पास भी आया। उसकी कापी जब प्रश्न काल नहीं हुआ तो प्रश्न शाखा ने वापस मंगवा ली। मुझे बाद में अभिभाषण पर जब बोलना था तो उसमें से जो प्रश्न था उसमें कुछ सुचनाएं थीं, उनका मुझे उल्लेख करना था। मैंने प्रश्न शाखा से सम्पर्क किया कि उनमें जो प्रश्न है उसका मुझे जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा, यह प्रश्न लगा नहीं, इसको आगे 26 तारीख को रखा है इसलिए इसका जवाब आपको हम दे नहीं सकते। उन्होंने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, यह हकीकत है। मुझे जवाब नहीं दिया और अब आप कह रहे हो, वह अखबारों में आ गया। अखबारों में कैसे आ गया, कैसे नहीं आया, क्या हुआ, यह तो आप जानो। लेकिन, उपाध्यक्ष

(श्री हेमाराम चौधरी)

महोदय, आप प्रतिपक्ष के नेता को जो जवाब दिये उनको वापस मंगवा लो और फिर मुझे जरूरत पड़ी तब भी मैंने कोशिश की, मैंने कहा दे दो, ऐसा कोई सिक्रेट तो है नहीं, फिर भी मुझे नहीं दिया गया। अब आप कह रहे हो, ये प्रश्न पहले अखबारों में आ गये इसलिए आज इसमें जरूरत नहीं। विधान सभा में प्रश्न काल को भी खतम कर दो तो फिर हमारे पास पीछे रहा क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पास बोलने को बचा क्या ? अब बाकी क्या रहा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा जो अवसर है वह प्रश्न काल में सरकार से सूचनाएं लेने का, वह भी हमारा अधिकार खतम हो जाएगा तो फिर हमारे पास, विपक्ष के पास क्या बचेगा? फिर प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या रही?

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरह का विधान सभा में, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला उदाहरण होगा।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरह का यह विधान सभा में पहला उदाहरण होगा कि प्रश्न काल को एकदम बिना कोई सूचना अचानक आपने स्थगित कर दिया।

यह पहला उदाहरण होगा। ऐसी आप मिसाल कायम नहीं करें, प्रजातंत्र में ऐसी मिसाल कायम करोगे तो यह प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 19 तारीख को प्रश्नकाल क्यों नहीं हुआ, यह तो माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 10 दिन तक आप .... (व्यवधान) प्रश्न को लगाने के लिए सरकार को उचित समय पर देना पड़ता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात कह चुके, अब मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। आप अपनी बात को वापस दोहराते चले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 10 दिन से पहले हो भी नहीं सकता था। (व्यवधान) इस कारण से प्रश्नकाल स्थगित हुआ है। इनके कारण से स्थगित हुए हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक रूलिंग की ओर आपका ध्यान आपकी परमिशन से आकर्षित करना चाहता हूं। 7.7.1980 को.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पहले से खड़े हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं परमिशन से बोल रहा हूं, आप लोगों की तरह से नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ......संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) पहले मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे। यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये इनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले से ही खड़ा हुआ हूं। मैं पहले से परमिशन से खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप कह लें उसके बाद मैं बोलूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन से स्पष्टीकरण? आसन से स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन दे रहे हैं, आप कौन होते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरी प्रार्थना है कि यह नई परम्परा क्यों चालू करते हैं। आज तक अध्यक्ष की व्यवस्था के बारे में सदन में बहस नहीं हो सकती। (व्यवधान) आज पहली बार सदन में बहस हो रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ....आप राजनैतिक उपयोग कर रहे हो इस मंच का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ....सदन में बहस हो रही है। अध्यक्ष की व्यवस्था पर सदन में बहस हो रही है, यह नई परम्परा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप राजनैतिक उपयोग कर रहे हो। हमने कहा था क्या?

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 फरवरी..... (व्यवधान) यह कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई है इसमें आपका प्रश्नकाल समाप्त नहीं किया हुआ है इसलिए प्रश्नकाल समाप्त नहीं हुआ। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में एज इट इज प्रश्नकाल रखा हुआ है, आपने इसको कैसे हटा दिया आल आफ ए सडन? अध्यक्ष की आपकी कोई रूलिंग भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा और आसन के द्वारा दी हुई व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो यह जानना चाहते हैं कि आज के सवाल कब आऐंगे? आज के क्वेश्चन जो लिये जाने थे वो आप कब ले रहे हो, यह बता दीजिये?

श्री उपाध्यक्ष: यह आप मेरे चैम्बर में आकर बात कर लेना। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज का क्वेश्चन ऑवर आपने सस्पैंड किया है, ये सवाल कब लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चैम्बर में आकर बात कर लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई क्वेश्चन इस पर नहीं होगा। न कोई बहस हो सकती, न कोई प्रश्न रेज हो सकता। आसन की व्यवस्था है कि प्रश्नकाल आज नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में आप चैम्बर में आकर बात कीजिये। चैम्बर में आकर बात कर लेना।

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरे से चैम्बर में मिल लेना। आप चैम्बर में मेरे से मिल लेना, आपकी शंका दूर कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति हो रही है, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप मेरे चैम्बर में मिल लेना।

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, अधिकार है। चेयर को यह अधिकार है और उस अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो। आप चैम्बर में मिल लेना।

श्री भरत सिंह (दीगोद): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: चैम्बर में मिल लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चैम्बर में मिल लेना। (व्यवधान) मैं नैक्स्ट आइटम शोकाभिव्यक्ति ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चैम्बर में आकर बात कर लेना। कोई शंका होगी तो दूर करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चैम्बर में आकर बात कर लेना। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

असलम खां श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री असलम खां के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री असलम खां का जन्म सात सितम्बर, 1933 को पाली जिले के बाली कस्बे में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री असलम खां सातवीं राजस्थान विधान सभा में बाली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री असलम खां अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान भूमि विकास बैंक, पाली के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1971 में बाली युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, नगर कांग्रेस बाली के मंत्री और अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी, पाली के सदस्य भी रहे।

श्री असलम खां का दिनांक 23 फरवरी, 2008 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री असलम खां को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि...

सूचना

पाला पड़ने से फसल को हुआ नुकसान

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का किसान संकट में है, पाले से और शीतलहर से फसल नष्ट हुई है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में गिरदावरी की जा रही है, गिरदावरी में बेइमानी हो रही है। किसानों का जितना नुकसान हुआ है, उतने का आकलन नहीं करके सरकार के निर्देशों के अनुसार यह बताया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने का मौका मिलेगा। (व्यवधान) अपना स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। आपको मौका देंगे बात करने का।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसके दाने दूर से दिखाई देते हैं। पटवारी खेत को देखता है। पटवारी कहता है कि फसल बहुत बढ़िया है। दाना एक भी नहीं है इसमें। सारे दाने खतम हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय सदस्य। आप बैठिये, माननीय सदस्य। बिराजिये अभी, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि राजस्थान में किसानों की बिना गिरदावरी किये, गिरदावरी के बारे में बात करे, सरकार निर्देश दे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप इनको अपने पास मंगाकर देख लीजिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाले से पूरी फसल तबाह हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको एक बार देख लीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): गिरदावरी में पक्षपात हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बर्बादी हुई है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप टेबल पर रख दीजिये। इस पर बात होगी।

(श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य द्वारा पाले से खराब हुई फसल सदन की मेज पर रखी गई)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): राजस्थान के अन्दर किसानों के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) आपके माध्यम से हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अलवर में और भरतपुर में तो गिरदावरी की नहीं जा रही है। जहां हो रही है, वहां गलत हो रही है। सरकार के निर्देश हैं खराबी नहीं दिखाने के।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाले से और शीतलहर से किसानों का 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खराबा नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए किसान परेशान है। (व्यवधान) सरकार ने मौखिक निर्देश दे रखे हैं कि पटवारी कम खराबा दिखाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। इस प्रकार शोर-शराबे से इस बात का हल नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हिन्दुस्तान में आजादी के बाद पहली बार इस सरकार ने अनुदान दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक आदमी तो बोलो कोई। एक आदमी अपनी कोई बात तो कहे। मतलब आप बात नहीं कहना चाहते हैं और... (व्यवधान) नहीं, नहीं, यह नहीं होगा। आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। यह तो हो-हल्ला करने वाली बात हो गई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार के मौखिक आदेशों से...

श्री उपाध्यक्ष: आप शान्तिपूर्वक कोई बात ही नहीं कहना चाहते।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सरकार ने पटवारियों को निर्देश दे रखे हैं कि गिरदावरी 50 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आसन की

(श्री उपाध्यक्ष)
बिना परमिशन से कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान) आसन की बिना परमिशन से कोई नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। एक आदमी अपनी कोई बात करे। एक साथ खड़े होकर बात करने से किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। (व्यवधान) आप बैठिये। आपको मौका दिया जाएगा। अभी स्थान ग्रहण कीजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक साथ खड़े होकर बात करने से कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप शान्ति से बात ही नहीं सुनना चाहते। आप कोई शान्ति से बात ही नहीं कहना चाहते। कोई एक आदमी शान्ति से बात कहे तो सुनवाई होगी। ऐसे आप खड़े हो जाते हैं तीन-चार आदमी, उससे क्या नतीजा निकलेगा? (व्यवधान) फिर आप खड़े हो गये।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चर्चा नहीं करना चाहते। ईमानदारी से चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप चाहते क्या हैं? आप चर्चा नहीं चाहते? आप चर्चा नहीं चाहते? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप जरा स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, आप सुनिये। मेरी बात पहले सुनें तो सही। मेरी बात सुनें। (व्यवधान) तो आप चर्चा चाहते हैं? (व्यवधान) चाहते हैं? और चाहते क्या हैं आप? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: तो आप बात सुनें पहले। पहले बात सुनें, मंत्री कह रहे हैं, बात सुनिये पहले। सरकार जवाब दे रही है। आप बात सुनिये पहले। वह सुनें पहले बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: तो बात तो सुनें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, तो अब आप चाहते क्या हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार जवाब दे रही है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्षः सरकार जवाब दे रही है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आप सुनिये पहले। पहले सुनिये तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्षः आप बात सुनें पहले। पहले बात सुनें बैठ करके।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्षः सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, बैठिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री उपाध्यक्षः यह सदन को नहीं चलाना चाहते। (व्यवधान) आपकी इच्छा नहीं है। सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, आप सुनना नहीं चाहते। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) आपको सुनना नहीं है, यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रमेश खींची (कठूमर): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देने के लिए तैयार है। (व्यवधान) बिलकुल तैयार है। (व्यवधान) आप सुनें पहले जवाब, सरकार तैयार है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री) ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार तैयार है जवाब देने को, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है बिलकुल। आप नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा निरन्तर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। यह कोई तरीका नहीं है, हां। सरकार जवाब देने को तैयार है, जवाब दे रही है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब नहीं सुनना चाहते। आप सुनना नहीं चाहते जवाब। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते आप। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देना चाहती है, आप सुनें तो सही। स्थान ग्रहण कीजिये। आप अगर सुनना चाहते हैं तो सरकार तैयार है। सरकार तैयार है बिलकुल। हां, सरकार तैयार है। आप जवाब सुनना चाहें तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते हो, जवाब नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) तो जवाब देगी सरकार। जब आप सुनना चाहते नहीं, अब आप जानबूझ करके अपना समय खराब कर रहे हो। सरकार जवाब देना चाहती है, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। आप नहीं सुनना चाहते। सरकार क्या करना चाहती है, आप सुनना नहीं चाहते। मत सुनिये। (व्यवधान) सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब सुनना नहीं चाहते। आप जवाब नहीं सुनना चाहते। कोई जवाब देना चाहे, आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

मैं स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपके स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं मैं और सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं आपके स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं। स्थगन प्रस्तावों के ऊपर बोलने की परमिशन दे रहा हूं। आप अगर नहीं करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। (व्यवधान) मैं स्थगन प्रस्ताव लेना चाहता हूं। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आपके स्थगन प्रस्ताव लेना चाहता हूं ... (व्यवधान) नहीं सुनना चाहते हो तो वह आपकी मर्जी है, हम हाउस का ... (व्यवधान)... सरकार जवाब देना चाहती है ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह चुप हो जाएंगे। सरकार जवाब देना चाहती है। सरकार वक्तव्य दे देगी चार बजे, आप सुनना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो स्थगन प्रस्ताव लेकर हाउस का बिजनस लेकर चलाएंगे हम तो, सीधी-सी बात है। (व्यवधान)...जवाब देंगे बराबर। सरकार जवाब देगी। चार बजे सरकार की तरफ से जवाब आएगा। (व्यवधान)... सरकार स्टेटमेंट देगी चार बजे, अगर आप सुनना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप चार बजे सरकार से वक्तव्य दिलाने की बात कह रहे हो, सरकार वक्तव्य दे उससे पहले हमारी बात कहने का आप अवसर तो देंगे न?

श्री उपाध्यक्ष: देंगे, जवाब देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर जवाब किस बात का? पहले .(व्यवधान) . तभी तो जवाब देंगे .(व्यवधान) .

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, सरकार का पहले पूरा वक्तव्य आ जाए उसके बाद माननीय सदस्य भी अपनी बात कहें और फिर बहस हो जाएगी (व्यवधान) हम तैयार हैं। आप किसानों को राहत देना चाहते हो या हल्ला करना चाहते हो? (व्यवधान) बहस के बाद ही जवाब आ सकता है, मंत्री का वक्तव्य आ जाएगा (व्यवधान) आपके सामने आ जाएगा। जो सरकार ने किया वह सामने आ जाएगा, दिल्ली की सरकार ने किया वह आ जाएगा, फिर आप जो कहना चाहते हो वह आ जाएगा और फिर सदन फैसला कर लेगा (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट बोलने का अवसर दें मुझे (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : किसानों की बात सुनना नहीं चाहते हो (व्यवधान) अगर किसानों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता तो प्रतिपक्ष अपनी बात को गलत साबित कर रहा है (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार के तो यह ध्यान में ही नहीं है, अब ध्यान में हम लाये हैं (व्यवधान) सरकार सो रही है, पहले जागती तो ...(व्यवधान) बदला लेकर रहेंगे (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

(सदन में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

(सदन में नारेबाजी)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) हमारे पास बोलने के सिवाय है क्या? (व्यवधान) हम हमारी बात कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन की पालना सर्वोपरि है। आपने व्यवस्था दे दी, चार बजे मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाएगा। वक्तव्य के बाद जिन्होंने आज तक वक्तव्य देने के अलावा दिल्ली में कुछ नहीं किया (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके वक्तव्य से पहले हमारी बात आपके सामने रखना चाहते हैं फिर उसका जवाब दे देना। (व्यवधान) उसके बाद में आप जवाब देंगे। आप वक्तव्य में क्या कहेंगे (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) हम इतना ही चाहते हैं, इससे पहले हमको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) यह बोलने नहीं देते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 290 के तरफ दिलाना चाहूंगा, नियम 290 यह कहता है कि लोक महत्व के किसी विषय पर ...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा। जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है, पहले मंत्री का वक्तव्य होगा और उसके बाद यह प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन यह नहीं कि यह दिल्ली में जाकर ज्ञापन देते हैं ...(व्यवधान) सीआरएफ के नार्म्स में संशोधन करवा नहीं सकते हैं ...(व्यवधान) और यहां पर घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं। (व्यवधान) यह सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। वक्तव्य तैयार है और वक्तव्य मंत्रीजी दे देंगे, उसके बाद ये लोग ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपकी तरफ से पहले भी यह प्रस्ताव रखा गया था, उस वक्त भी यह कहा गया था कि बजट भाषण के अंदर और उसके बाद में भी जब विषयों पर वाद-विवाद होगा तो अपनी बात पूरी कहने का मौका मिलेगा। बजट भाषण में भी आज ही बोलना शुरू हो रहा है, उसमें भी आपको जो बात खुलकर कहनी हो, वह आप कह पाएंगे। सिर्फ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से भी आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा दो मिनट का टाइम दे देंगे तो उससे कोई हल नहीं होगा इसलिए मैंने इसको पहले भी रिजैक्ट कर दिया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हम दो मिनट का दे देंगे ...(व्यवधान) दो मिनट का समय दे देते हैं, यह किसानों से जुड़ी हुई समस्या है ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था यह दे दी थी कि सरकार की तरफ से चार बजे उत्तर आए, निश्चित रूप से चार बजे वक्तव्य आ जाएगा। जिस पार्टी के लोगों ने आज तक राजस्थान के किसानों के दु:ख-दर्द को समझा नहीं, एक पैसा पाले में नहीं दिया, एक पैसा ओलावृष्टि में नहीं दिया, सीआरएफ के नार्म्स यह बदल सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह 290 जो मैंने कोट किया है, पहले आप वक्तव्य करा दें और उसके बाद यह अगर चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप फिर से बोलने लग गये... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में बिना परमिशन बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें, आपको मैंने कह दिया... (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) **:** ×××

(12.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए । (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री जुबेर खां एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में पाला पडने से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट होने के संबंध में ।

इसी विषयक स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है, पुनरावृत्ति है, अतः मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं, पर फिर भी दो दो मिनट का समय बोलने के लिये दिया जाएगा और अगर आप सहमत हों तो चार बजे सरकार की तरफ से इसका जवाब भी आ जाएगा ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमें बोलने का मौका देंगे ।

श्री उपाध्यक्षः बोल लेना दो दो मिनट, कोई बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)ः उपाध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलता है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, या तो चार बजे सरकार का वक्तव्य हो जाए, पूरी चर्चा हो जाये । उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप विराजें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष)ः आप अध्यक्षीय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो । (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आप व्यवस्था दे रहे हो । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः आसन की व्यवस्था हो चुकी है । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)ः उपाध्यक्ष महोदय, आपने यही व्यवस्था दी है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री)ः उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि पहले सरकार का वक्तव्य हो जाए... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)ः कुछ लोग सरकार को .... (व्यवधान) लगाने को तैयार बैठे हैं बीजेपी के नेता (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री)ः उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ)ः पहले हम बोलेंगे फिर वक्तव्य आएगा । आप काहे पर वक्तव्य देंगे?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री)ः उपाध्यक्ष महोदय, पहले व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)ः फिर आप क्या बोल रहे हैं, महावीरजी?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)ः ....(व्यवधान) मंत्री को कभी भी उत्तर या वक्तव्य देने का अधिकार है लेकिन उसकी अनुमति आसन से आवश्यक है ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ)ः उपाध्यक्ष महोदय, आपकी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

व्यवस्था देने के बाद अब क्या बच गया? आपने व्यवस्था दे दी फिर यह क्या कह रहे हैं? (व्यवधान) आपकी व्यवस्था के बाद अब क्या करना चाहते हैं, व्यवस्था को बदल रहे हैं? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय ने पहले व्यवस्था दे दी, आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) ...(व्यवधान) मंत्री उपस्थित रहना चाहिये, और माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 290 के तहत मंत्री को यह अधिकार है कि वह सदन में आकर कभी वक्तव्य दे सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा गम्भीर विषय है कि... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे रहे थे, बीच में यह क्या मामला चल पडा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): व्यवस्था का इसलिए है कि प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत सदन चलता है, आपने कोई मुद्दा उठाया, सरकार इसके प्रति गम्भीर है कि ओलावृष्टि के मामले में या जो पाला पड गया उसके मामले में सदन चर्चा करना चाहता है । आप केवल दो मिनट बोल कर चले जाएं, हम यह चाहते हैं कि सरकार गम्भीरता से इस पर पूरा वक्तव्य दे । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : ...(व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी, आप क्या कहना चाहते हो? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? आसन ने व्यवस्था दे दी, दो-दो मिनट हम बोलेंगे, बाद में वक्तव्य आएगा, बात खतम हुई। फिर क्या कानून दिखा रहे हैं आप? (व्यवधान) हम जानते हैं कि आप ज्ञानवान आदमी हैं । आसन ने व्यवस्था दे दी, दो-दो मिनट हम बोलेंगे। (व्यवधान) आप बिराजो । जब आसन ने व्यवस्था दे दी तो आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ...(व्यवधान) मंत्री के वक्तव्य होने के बाद यह पूछ सकते हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल्स में प्रोविजन है सरकार का वक्तव्य सुपरसीड करता है । जब सरकार वक्तव्य देना चाहेगी उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं । हमेशा सरकार का वक्तव्य सुपरसीड करता है । (व्यवधान) यह रूल्स में प्रोविजन है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार के वक्तव्य के पहले ...(व्यवधान) हमने प्रक्रिया के नियम 50 में स्थगन दिया है । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है। हमारा स्थगन प्रस्ताव जो प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत मैंने और मेरे 8 सम्माननीय सदस्यों ने दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, सही है । आप इसको मंत्री के वक्तव्य से मत जोड़िये । यह रूल्स 50 के अंतर्गत अब तक परम्परा रही है, स्थगन प्रस्ताव को अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो नोटिस देने वाले माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने का मौका दिया जाता है। (व्यवधान) आप वक्तव्य की बात मत कीजिए और पहले हमें दो मिनट बोलने दीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ...(व्यवधान) जैसा आसन ने निर्णय किया कि सरकार वक्तव्य देगी, चूंकि आपने यह निर्णय दे दिया कि चार बजे सरकार वक्तव्य देगी, आप का जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर आपने यह व्यवस्था दी कि चार बजे सरकार वक्तव्य देगी उस पर आप चर्चा कर सकते हैं । मेरा यह कहना है कि किसानों को किस प्रकार पूरा लाभ दिया जा सकता है, क्या कमियां-खामियां रह गई हैं, गिरदावरी पूरी नहीं हो रही है, वह सब बातें कर सकते हैं । तो सरकार का वक्तव्य आ जाए उसके बाद यह अपनी बात पूछ लें ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहले हमारे सुझाव ले लीजिए फिर वक्तव्य दे दीजिए। पहले हमारे सुझाव ले लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए और उसके बाद सरकार उत्तर दे दे, इसमें कौनसी परेशानी है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अंडर रूल 50 .....

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): काहे का 50, आपको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। किसान मर रहा है और आप अंडर 50 कर रहे हो ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप बैठो, मैं परमिशन से बोल रहा हूं। फिर मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): क्या नहीं बोलने देंगे आप? क्या किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं नहीं बोलने दूंगा, अगर आप मुझे इण्टरप्ट करेंगे तो ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आसन ने व्यवस्था दे दी, पहले हम बोलेंगे फिर वक्तव्य होगा, आप काहे का कानून झाड़ रहे हैं यहां ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप बीच बीच में खडे हो रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आसन की व्यवस्था हो गई, आसन जो व्यवस्था करेगा उसको मानेंगे हम । उपाध्यक्षजी, लोग आपको बैठा देते हैं, आपको कहते हैं बैठ जाओ । आपको ही बैठा रहे हैं । आप काहे की व्यवस्था दे रहे हैं? यह आसन को धमका रहे हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): : ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूं । रूल 50 में इन्होंने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद आपने उसको स्वीकार न करके अस्वीकार कर दिया और व्यवस्था दे दी...

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप किसानों को मुआवजा नहीं दिलवाना चाहते है क्या? आप किसानों के पक्ष में नहीं हो क्या? किसानों के पक्ष में होना पडेगा, नहीं होंगे तो पीछे कर देंगे लोग आपको ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री) : आपने व्यवस्था दे दी कि सरकार उस पर वक्तव्य देगी, उसके बाद सरकार की प्रायोरिटी है कि सरकार उस पर वक्तव्य दे। उसके बाद अगर उनको वक्तव्य के किसी भी बिन्दु पर डाउट है तो उसके बाद ये प्रश्न पूछने के हकदार हैं । पहली प्रायोरिटी सरकार के वक्तव्य की होती है । आपने रूल 50 में उसको एक्सैप्ट नहीं किया है । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, ऐसा क्या घपला कर रखा है आपने कि पहले सुनने को तैयार ही नहीं हो? (व्यवधान) सरकार के सामने ऐसी क्या समस्या आ रही है ? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): पचास को एक्सैप्ट नहीं किया आपने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन ने व्यवस्था दे दी, या तो आसन की हर व्यवस्था को बदलिये। आज का क्वेश्चन आवर सस्पैण्ड किया... (व्यवधान) चर्चा हो गई, अब इस पर आसन की व्यवस्था हो गई तो मानने को तैयार नहीं। यह दोहरा मापदण्ड मत रखिये। आसन की व्यवस्था के प्रति, महावीरजी, दोहरा मापदण्ड मत रखिये। आज सुबह ही जब क्वेश्चन आवर

(श्री जुबेर खान)

सस्पैण्ड किया तब तो दुहाई दे रहे थे आसन की व्यवस्था की, अब आसन ने व्यवस्था दे दी तो उसको बदलवाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य में कोई सांप-बिच्छू तो नहीं निकलने वाले, कुछ न कुछ किसानों की सहायता ही निकलेगी, आने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर बुलाकीदास कल्ला, श्री रणवीर सिंह गुढा एवं 14 अन्य सदस्यों की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निर्धारित वरीयता के अनुसार पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य डाक्टर बी. डी. कल्ला एवं श्री रणवीर सिंह गुढा को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में संविदा अध्यापक के रूप में सेवा दे चुके अध्यापकों को नियुक्ति देने के संबंध में।
2. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से देलोद लिफ्ट सिंचाई परियोजना की पुनः समीक्षा कर स्वीकृत करने के संबंध में।
3. श्री बीरूसिंह राठौड, सदस्य की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लालकोठी कच्ची बस्ती में रह रहे आवासियों को पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में।
4. श्री केशरदेव बाबर, सदस्य की ओर से राज्य के एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद पंचकर्म थिरैपी चिकित्सा प्रारम्भ करने के संबंध में।
5. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से परबतसर-बिदियाद-मकराना जाने वाली सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने के संबंध में।
6. श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य की ओर से सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में।
7. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर

(श्री उपाध्यक्ष)

के शक्करगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

8. श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य की ओर से पाली के आऊवा के मंदिर में मां सुगाली की ऐतिहासिक प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करने के संबंध में।

9. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से जिला अलवर के ग्रामीण इलाकों की बन्द एवं निष्क्रिय पड़ी पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति के संबंध में।

10. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से राजस्व ग्राम जावरा की झोपड़िया (ग्रा.पं.खटकड़) का नाम राजस्व रिकार्ड में जावरा की झोपड़िया रखा जाने के संबंध में।

11. श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की शैक्षणिक संस्थाओं की समस्या का निवारण करने के संबंध में।

12. श्री धमेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से रावतसर कस्बे के मध्य स्थित मेगा हाइवे रोड पर डिवाइडर बनाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। डाक्टर बुलाकीदास कल्ला।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

इन्दिरा गांधी नहर में निर्धारित वरीयता के अनुसार पानी का वितरण नहीं

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बोलने तो देंगे न आप ? (व्यवधान) दो-दो मिनट, आपने दो सदस्यों का ही...

श्री उपाध्यक्ष: दो सदस्यों का ही है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दो ही नहीं, सभी बोलेंगे। बाकी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया, तो फिर उनको....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने व्यवस्था दे दी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। उन्होंने भी, मैंने भी दिया है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के टाइम में पूरी बात नहीं हो सकती, किसानों का मामला है। आमरण अनशन करके...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण का ...(व्यवधान) 19 तारीख से 13 किसान आमरण अनशन करके बैठे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आठ तारीख से सिंचाई का पानी कम्प्लीट बंद कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा ज्यादा समय दें।

श्री उपाध्यक्ष: देंगे आपको मौका। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपने दो सदस्यों का ही नाम लिया बोलने की अनुमति के लिए। आपने दो सदस्यों, कल्ला साहब और गुढा का, दो का ही नाम लिया, बाकी दूसरे सदस्यों ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं होता है। सब लोगों को, जैसे बीस आदमियों ने किया, सबको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। एक या दो आदमियों को ही दिया जाता है।(व्यवधान) बीस आदमी करें तो बीस आदमियों को नहीं दिया जाता, नियम 24 में...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है इसके ऊपर।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। शीतलहर और पाले से जो नुकसान हुआ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसी परम्परा नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने व्यवस्था दे दी है।

श्री अमराराम (धोद): हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री):उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं। पहले वक्तव्य आएगा फिर बोलने का मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): पूरे किसान ग्रस्त और बर्बाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): जिसका प्रस्ताव हो उसी को मौका दिया जाता है, सबको मौका नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: पचास आदमी दस्तखत कर दें तो पचास ही बोलेंगे क्या ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हमारे इलाके में नुकसान हुआ है, साहब, हम हमारी बात नहीं कहेंगे क्या ? स्थगन प्रस्ताव दिया हमने, नियम 50 के तहत...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सिर्फ दो को परमीशन दी है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मात्र दो? उसमें से 50 प्रतिशत दो, 25 प्रतिशत दो,10 प्रतिशत, कुछ तो, आप तो सिर्फ दो सदस्यों को बोलने का अवसर, दे रहे हो, बाकी के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? (व्यवधान) बाकी के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष: दो को ही दी है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्षजी, नागौर जिले में और मेरे क्षेत्र डेगाना में शीतलहर से और पाले से भयंकर नुकसान हुआ है, आप कह रहे हो हमें बोलने नहीं देंगे। स्थगन प्रस्ताव दिया है मैंने और धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने, दोनों ने, उस पर आप व्यवस्था तो दीजिए कृपा करके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह अलग से है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप कह रहे हो, नहीं बोलने देंगे। हमारे इलाके की बात कहने का मौका नहीं देंगे हमें ?

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय सदस्य ने अलग से ही दिया था। (व्यवधान) आपने वह व्यवस्था अलग से कर दी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, नुकसान तो हनुमानगढ, गंगानगर, बीकानेर में सबसे ज्यादा हुआ है।

श्री अमराराम (धोद): 19 तारीख को अलग से दिया, आपने कहा इस पर बोल देंगे (व्यवधान) आप अलग से ही व्यवस्था दे रहे हैं। पहले आपने यह व्यवस्था दी थी, अभिभाषण पर (व्यवधान) आप आज मौका अलग से दे रहे हैं तो...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): गिरदावरी से पता लगेगा। नुकसान तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में सबसे ज्यादा हुआ है। पूरे राजस्थान में हुआ है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सदस्य को और मेरे को भी दो-दो मिनट बोलने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: इसी संबंध में दिया था ?(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हां, इसी संबंध में दिया था।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मौका मिले तो सबको, नहीं तो दो की व्यवस्था आपने दे दी। हमें भी मौका मिलना चाहिए दो मिनट का ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दो अलग-अलग स्थगन प्रस्ताव प्रतिपक्ष की ओर से दिये गये हैं। एक पाले के संबंध में आपने व्यवस्था फर्मा दी कि चार बजे मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद माननीय सदस्य पूछना चाहेंगे, पूछें। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर..... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह व्यवस्था नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने व्यवस्था दे दी कि पहले स्थगन प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे, और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था दे दी वक्तव्य के बाद बोलेंगे। आप कृपा करके सदन की व्यवस्थाओं को तोड़िये मरोड़िये मत । आप भारतीय जनता पार्टी और राज्य मंत्रिमण्डल को खूब तोड़िये मरोड़िये, आपका अधिकार है, लेकिन आप विधान सभा को मत तोड़िये-मरोड़िये। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन परम्पराओं को बहाल रहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): काश्तकार की भावना को ठेस पहुंचे.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई के पानी के संबंध में आपने डा. बुलाकीदास कल्ला और रणवीर सिंह गुढा का नाम पुकारा है, बोलेंगे अपनी बात। सरकार उचित समझेगी वक्तव्य दे देगी। उसमें पहले वाले मामले में आपकी व्यवस्था ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता को यह पुस्तक जरूर प्रजेंट कर दें क्योकि थोड़ा बहुत अध्ययन कर लें। स्थगन प्रस्ताव में यह कह रहे हैं कि दो दर्जन, तीन दर्जन लोगों को बुलाओ। मैं समझता हूं कि अध्यक्षीय व्यवस्था दी है उसकी पुस्तक और एक राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी यह नवीन संस्करण सहित आप इनको दे दो, थोड़ा अध्ययन कर आएंगे तो सदन ठीक चलेगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यह विषय इतना गम्भीर है, इस पर अन्य सदस्यों की बात भी आनी चाहिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):...प्रस्ताव में जितने लोग दस्तखत करते थे सबको अनाउंस किया जाता था। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब नियमों का ज्ञान दे रहे हैं ...(व्यवधान) यह नियमों के बारे में क्या कर रहे हैं, यह तो मैं मौका ... (व्यवधान) अब आपने मुझे छेड़ ही दिया है न तो मुझे मौका आने दो, किस तरह से नियमों को तोड़ रहे हो...(व्यवधान) किस तरह से कर रहे हो, मैं सारा बता दूंगा।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा): किसान आमरण अनशन करके... (व्यवधान) हजारों किसान पानी, सिंचाई की मांग करके बैठे हुए हैं। इतना गम्भीर विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की मांग बिलकुल जायज है। ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को सिंचाई की गम्भीर समस्या के ऊपर बोलने का अधिकार मिलना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसा मैंने अपराध कर दिया? (व्यवधान) मैंने कहा, दो से ज्यादा सदस्यों को बोलने के लिए मौका देना चाहिए निवेदन किया है। (व्यवधान) दो से ज्यादा सदस्य बोल नहीं सकते ? नियमों में कहां लिखा हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने गुनाह क्या किया, आपको पुस्तक उपहार स्वरूप देने की सिफारिश ही तो की है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो यह बता दें, नियमों में कहां लिखा हुआ है, दो से ज्यादा सदस्य नहीं बोल सकते? (व्यवधान) मोशन में केवल दो ही बोल सकते हैं, ऐसा कौनसे नियमों में लिखा हुआ है, आप बता दीजिए? मुझे तो भेंट नहीं, आप बता दें नियमों में। (व्यवधान) आप नियमों की किताब यूं हिला-हिलाकर सबको गुमराह करना चाहते हैं, उसमें क्या लिखा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है यूं ही खाली हिलाते रहते हो। मुझे सारे नियमों का पता है, मैं नियमों से बात करता हूं, नियमों से चलता हूं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सुबह से जिस तरह से सदन चल रहा है, उससे एक बात साफ है कि कांग्रेस वाले यह चाहते हैं कि या तो इनकी बात मान ली जाए...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): या यह सदन नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है गुड दे दे नहीं छोरी बनूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): इनकी तो हालत यह है कि इनको बोलने दो, नहीं तो यह सदन नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: आपका नाम पुकारेंगे। (व्यवधान) आपका नाम पुकारेंगे, बैठिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): पानी बिलकुल बंद कर दिया गया, किसान की फसल बर्बाद हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कह दिया, आपको अनुमति देंगे बोलने की।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि किसानों का तुरन्त मोगा चालू किया जाए, पानी चालू किया जाए। दो बारी पहले से इनको कम दी गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका दे दिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कांग्रेस में आपस में फूट है। इस कारण से वह बजट में बहस नहीं करना चाहती। (व्यवधान) वह सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान) आप बोलो, दो मिनट बोलने में सब बोल लेते, अभी तक पूरा हो जाता। (व्यवधान) लेकिन इसमें स्थगन प्रस्ताव...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, ये सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। इनका इंटेंशन सदन को चलाना नहीं है। (व्यवधान) ये सदन में बहस से भागना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सी. पी. जोशी ने अघोषित बायकाट कर रखा है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ये भागना चाहते हैं बहस से। (व्यवधान) इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, ये बहस से भागना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): पहले स्थगन प्रस्ताव पर जो भी सिग्नेटरी होते थे, उन सबको दो-दो मिनट बोलने का मौका देते थे। यह पहला मौका है कि दो माननीय सदस्यों को मौका दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय रामनारायणजी, ऐसी परम्परा नहीं है। वैसे तो दो मिनट की परमीशन देने की कोई नियमों में नहीं है। या तो पूरे प्रस्ताव पर पूरी बहस होती है। यह तो एक दे रखा है कि दो मिनट बोलने की... यह आसन की व्यवस्था दी हुई है कि आदमी को बोलने का अधिकार होता है। इसलिये यह व्यवस्था दो मिनट वाली भी, यह नियमों में कहीं नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आपसे पहले हम आये थे, आपसे पहले हम विधान सभा में आये थे और हम बोलते थे। आप रिकार्ड दिखवा लीजिये, अगर सबको दो-दो मिनट बोलने की व्यवस्था नहीं दी हो... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है। (व्यवधान) ऐसा है, लोक महत्व का विषय है। (व्यवधान) 50 आदमी बोले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): 50 आदमी कब बोलते थे? 50 आदमी कब बोले हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, इसी 12वीं विधान सभा का

(श्री अमराराम)

रिकार्ड निकलवा लीजिये, एक-एक स्थगन प्रस्ताव पर आपने अनुमति दी है और 10-10 माननीय सदस्यों ने उस विषय पर बोला है। जब हमने 21 तारीख को दिया है, आप अलग से व्यवस्था दे रहे हो कि इस पर 2-2 मिनट बोल सकते हैं तो जो 21 तारीख को इसी विषय पर मैंने, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, 5 सदस्यों ने दिया है ...(व्यवधान) 10-10 माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है इसी हाउस में। (व्यवधान) परम्परा यही रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तो कोई बात होगी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, रुल्स में कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें 50 सदस्यों को बोलने का अधिकार दिया जाए। (व्यवधान) ये चाहें तो नंदीग्राम पर जरुर बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बी. डी. कल्ला। (व्यवधान) यह कोई विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नंदीग्राम पर बहस कराओ, कराओ। (व्यवधान) तुम तो गांधीजी के +++ हो। नंदीग्राम की बात करने वाले, तुम तो गांधीजी के +++ हो। कहां नंदीग्राम की बात करते हो। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हमने 21 तारीख को दिया है, उपाध्यक्षजी, स्थगन प्रस्ताव। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बजट पर बहस होगी, इसके बाद विभाग की मांग पर बहस होगी। उसमें और बोलेंगे। (व्यवधान) श्री बी. डी. कल्ला। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ घण्टा बर्बाद हो गया हाउस का आज। कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी एजेण्डा नहीं हुआ है और डेढ घण्टा बर्बाद हो गया, हाउस का कीमती समय बर्बाद हो गया। डेढ घण्टे में कोई भी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्षजी, हमने भी दिया है, हम चाहेंगे, दो मिनट का समय हमें भी दें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दे देना, दो मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः सिंचाई विभाग की बहस होगी, उसमें भी मौका मिलेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण में रबी की फसल को पकाने के लिये 5 बारियां निश्चित की गई थीं। दो बार किसानों को पानी समय पर मिल गया। उन्होंने अपने इन्पुट्स लगाकर गेहूं की, चने की, सरसों की बिजाई कर दी। लेकिन उसके बाद 21 दिसम्बर से लेकर 30 दिसम्बर तक जो बारी निश्चित की गई थी, उसमें केवल 3 तक किसानों को पानी मिला। उसके बाद चौथी बारी जो 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक निश्चित की गई थी, उसमें किसानों को मात्र ढाई दिन का पानी मिला। और फरवरी 8 से लेकर 18 तक जो बारी निश्चित की गई थी उसमें पानी बिलकुल नहीं मिला। दूसरी तरफ वहां पर शीत लहर और पाले के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी गेहूं की फसल और चने की फसल कहीं-कहीं खड़ी हुई है, उसको पकाया जा सकता है। उनको दो बार पानी देने की आवश्यकता है। लेकिन उनको पानी नहीं देने के कारण 961 आर.डी. पर 19 फरवरी से हजारों किसान अनशन किये हुए बैठे हैं। दो किसान जिनके नाम हैं, मलूकाराम और लादूराम, वे पिछले 6 दिन से आमरण-अनशन पर बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी उस समय कभी भी कोई भूख-हड़ताल कहीं करता था, किसी भी मुद्दे को लेकर। सरकार उसका काग्नीजेंस लेती थी और काग्नीजेंस लेकर जिले के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी उनसे बात करते थे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है, मलूकाराम की हालत बहुत दयनीय है, इसके बावजूद वहां पर सरकार का कोई प्रतिनिधि, जिले का कोई प्रतिनिधि उनसे न तो कोई वार्ता कर रहा है, न उनकी सुध ले रहा है। कहीं कोई आदमी मरेगा तब जाकर सरकार कहेगी कि वहां क्या हो गया। आप किसानों को मारने पर क्यों तुले हुए हो? आपको चाहिए कि तुरन्त उनसे वार्ता करके वहां फसलों को बचाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पोंग डैम का वाटर लेवल 1301 फीट पर है। सरकार यह कहती है किसानों को कि हम इसको 1286 फीट तक लेकर आएंगे, इससे उसको कम नहीं करेंगे। सन 2002 में जब हमारी सरकार थी उस वक्त पौग डैम का लेवल 260 फीट के स्तर पर लाया गया था और 1260 फीट पर लाकर रबी की फसलों को पकाने का काम

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

किया गया था। सहयोगी पार्टनर के रूप में आप पंजाब में काम कर रहे हैं। प्रकाशसिंह बादल से और वहां के सिंचाई मंत्री से क्या आपने वार्ता की? क्या आप किसानों को दो बारी का पानी जो नहीं मिला, उसको दिलाने के लिये तैयार हैं या नहीं हैं? किस तरीके से उन फसलों को बचाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, चारणवाला और बिरसलपुर में 8 माइनर्स पर और आगे जैसलमेर में और प्रथम चरण में भी अनेक स्थानों पर हमारी जो लिफ्टें हैं, जैसे साहवा-चूरू लिफ्ट, लूणकरणसर लिफ्ट, बोगासर लिफ्ट, पोकरण लिफ्ट, कोलायत और गजनेर लिफ्ट, इन सब लिफ्टों में भी पानी नहीं मिल रहा है। किसानों ने जो रबी में हजारों रुपये खर्च करके अपनी फसलों को बोया था, उन फसलों को आज बचाने की आवश्यकता है। एक तरफ हम 1260 फीट तक पोंग डैम का स्तर लाकर पानी देने वाले थे और आज वहां पर 1301 फीट पानी का स्तर होते हुए भी राज्य सरकार पंजाब से पानी लाने में असफल रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन आमरण अनशन करने वाले किसानों को राहत दें, नहीं तो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि बीकानेर जिले में इस बात को लेकर हजारों किसान प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता हुई तो भूख-हड़ताल पर और आमरण अनशन पर मुझे बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। (व्यवधान) आप बिराजें जरा।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने किसानों की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। राजस्थान में पाले से 80 प्रतिशत फसलें खराब हो गईं, 90 प्रतिशत फसलें खराब हो गईं। इस इलाके में, इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जहां फसलें अभी तक खड़ी हैं, उनको पानी होते हुए भी पानी यदि सरकार नहीं देगी तो निश्चित रूप से पूरे राज्य के किसान आपसे नाराज होंगे। इसलिये किसानों को पानी देने के लिये आप आगे आएं। क्योंकि पंजाब ने तो पहले ही कह रखा है चुनाव घोषणा पत्र में, मुख्य मंत्रीजी वहां गई थीं, उनके सामने चुनाव घोषणा-पत्र में पंजाब ने कहा था कि हम राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं देंगे, हम इन समझौतों को मानते नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अब तक किस-किस अधिकारी से बात की और आपका क्या कार्यक्रम है? क्या दो बारियां जो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ढाई दिन और तीन दिन तक दिसम्बर और जनवरी की मिली थीं, उन बारियों को आगे देंगे? और फरवरी की बारी का जो बिलकुल पानी नहीं दिया है, उसके लिये आप क्या करेंगे? इसका पूरा माननीय सिंचाई मंत्रीजी जवाब देंगे, नहीं तो किसानों का अहित नहीं होने देंगे, हम किसानों के लिये लड़ाई लड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रणवीर सिंह गुढा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम और द्वितीय चरण में जो किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, मैं हमारे केन्द्रीय मंत्री श्रीमान रामविलासजी पासवान के आदेश पर वहां गया हूं, आर.डी. 961 जो हैड है उसके ऊपर दो नहीं, तेरह किसान आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं। वहां पर पिछले दिसम्बर और जनवरी में जो बारियां दी थीं, उसमें भी 8 दिन के बजाय दो दिन और तीन दिन तक ही पानी दिया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण में सिंचाई का पानी नहर से बिलकुल बंद कर दिया गया। किसान को 8 फरवरी के बाद कोई पानी नहीं मिल रहा है और फसल बर्बाद हो रही है, यह कह कर कि अब केवल पीने का पानी दिया जाएगा, फसल के लिए किसी भी किसान को पानी नहीं दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा बीकानेर और जैसलमेर का जो किसान है वह आज बर्बाद हो रहा है। यदि सरकार उनको पहले कह देती कि आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, आम तौर पर 31 मार्च तक का समय होता है। 31 मार्च तक किसान को नहर का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब की बार केवल 8 फरवरी को ही पानी बंद कर दिया गया है। उन किसानों को पहले बता देते तो वह 25 बीघा की बजाय 5 बीघा में ही खेती कर लेते। उन्होंने जुताई-बुआई, खाद-बीज, मजदूरी-मेहनत सारा कर दिया, अब उनके पास में और कोई भी विकल्प नहीं है। वहां पर और कोई भी सोर्स, साधन नहीं है। न वहां पर सिंचाई का कोई माध्यम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वहां के किसानों ने जब आन्दोलन किया, वहां पर कुछ किसान तो आत्मदाह करने के लिए टावर के ऊपर चढ़ गये थे। वहां के गणमान्य

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

नागरिकों ने, आन्दोलनकारियों ने समझा-बूझा कर वहां से उनको उतारा है। उन लोगों की समस्या का समाधान करने के बजाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलनकारियों पर, उन किसानों के ऊपर सरकार मुकदमे लगा-लगाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनका दमन करने का काम कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे बजू के अन्दर, चारणवाला के अन्दर, आर.डी.961 और जैसलमेर के अन्दर पूरे प्रशासन को आगाह कर दिया, वहां के जिला कलक्टर को ज्ञापन दे दिया, मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन भिजवा दिया, सिंचाई मंत्री को ज्ञापन भिजवा दिया लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी जाकर धरना स्थल के ऊपर उन किसानों की बात नहीं सुनी है। किसी ने भी उन की समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय है, राजस्थान का सबसे पिछड़ा एरिया है। यह मैं आपके माध्यम से, पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, सिंचाई मंत्री, से कि एक साल का समय कैसे निकलेगा और एक साल की जीवन-रोटी कैसे होगी? उनका पशुधन कैसे जिन्दा रहेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर तुरन्त कोई जवाब दे। पूरे बीकानेर के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घड़साना से भी बड़ी घटना वहां पर घट सकती है। किसान पूरे का पूरा सदमे में है। पूरे का पूरा किसान आशंकित है। पूरा किसान आतंकित है वहां के प्रशासन से। दुर्भाग्य की बात है कि न वहां का क्षेत्रीय विधायक धरना स्थल पर गया है। मलूकाराम विश्नोई और चार लोगों की हालत बद से बदतर हो रही है, वे जीवन और मरण के बीच जूझ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी तुरन्त इस बात का समाधान करें, तुरन्त वहां पर सिंचाई का पानी चालू करें, अन्यथा शुरू से लेकर अब तक उन सैकड़ों गांवों के किसानों का जो बरबाद हुआ है पैसा, जो खर्चा लगा है उनको मुआवजे की तुरन्त घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी जिले से संबंधित हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र भी स्टेज-।। में लगता है, मुझे भी दो मिनट का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा मत करो। आपको फिर मौका मिल जाएगा। फिर व्यवस्था कायम कैसे रहेगी? (व्यवधान) ऐसा मत करो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय चाहता हूं। दो मिनट का समय चाहता हूं। यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, क्षेत्रीय विधायक हैं, साहब, इनको आप बोलने दो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मुद्दा तो एक ही है। अब सारे ही बोलेंगे? बात तो सारी कल्ला साहब ने रख दी है? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक ही बोलने दो न। एक ही बात है। कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: हां।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सिंचाई विभाग पर बहस होगी जब बोल सकते हैं आप। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के हालात को देखते हुए, आज सरकार बारबार यह कहती है कि खराबा इतना भयंकर हो गया और इस खराबे के ऊपर राहत कहां से पहुंचाई जाए किसान को, इसको लेकर राज्य सरकार भी चिन्तित है। केन्द्र से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, इसकी बात बारबार सदन में भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज के हालात इस सरकार की देन हैं। किसान लम्बे समय से अपने सिंचाई के पानी की मांग कर रहे हैं। समय-समय पर इसको लेकर हर सिस्टम के ऊपर आन्दोलन चले हैं, चाहे अनूपगढ़ ब्रांच की बात हो, चाहे सूरतगढ़ ब्रांच की बात हो, चाहे कंवरसेन लिफ्ट की बात हो। चाहे स्टेज-I हो, चाहे स्टेज-II हो। जब-जब किसानों ने आन्दोलन किया, संबंधित अधिकारियों ने वहां जाकर उनके साथ समझौता किया और समझौता करके हर समय यह आश्वासन दिया कि आपको आपके पानी की बारी दी जाएगी। लेकिन उसकी पूर्ति कभी भी नहीं की गयी। किसान को हर समय धोखे में रखा गया। बारबार ऐसी परिस्थितियां बनीं कि किसान को मजबूरी पर आकर हैड पर प्रदर्शन करने पड़े। और कहीं अवसर मिले और पानी को अगर वे ले पाये तो लिया। इसी क्रम में अभी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हमारे 961 हैड, चारणवाला डिस्ट्रिब्यूटरी पर किसान एकत्रित हैं, लम्बा समय हो गया। हजारों की संख्या में किसान वहां पर बैठे हैं। इससे पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे वह हमारा 465 का स्थान हो, चाहे 860 का स्थान हो, हर स्थान पर किसानों ने नहर के ऊपर प्रदर्शन किया। आज हमें कम से कम दो पानी की आवश्यकता है, लेकिन सिस्टम बंद कर दिया गया और केवल पेयजल उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमने राहत की बरसात कर दी। 126 करोड़ रुपये का पैकेज दे रहे हैं। हम उन सब लोगों का दुःख दूर करना चाह रहे हैं जिनकी फसल को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ वे किसान जिनकी फसल दो बार के पानी देने से बच सकती है, उसको जलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और पानी उपलब्ध नहीं करवाने की अपनी हठधर्मिता का परिचय लगातार दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी किसान हैं, मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि आप इसके लिए मंत्री महोदय को निर्देशित करें कि तत्काल प्रभाव से वह इस पेयजल की जो व्यवस्था है इसको बंद करके सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएं। पूर्व के अन्दर भी, जो डैम के लेवल का हवाला दिया जा रहा है, डैम के स्तर को बहुत नीचे तक लाया जाकर किसानों की फसलों को बचाया गया है। आज हमारी प्राथमिकता है कि हम न सिर्फ स्टेज-I और II, जहां कहीं पर भी किसान की फसल बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि इस समस्या को समझते हुए इसका समाधान कराने के लिए आपके स्तर पर इसके बारे में एक निर्णय लिये जाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को निर्देशित किया जाए। दोनों स्टेज पर जहां किसानों की पानी की बारी पिटी है, जहां उनको उनके हक का पानी नहीं मिला है, उसकी पूर्ति तो की ही जाए, साथ में आज जो फसल को बचाये जाने के लिए पानी की आवश्यकता है, तत्काल प्रभाव से पानी उपलब्ध कराया जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : मेरा भी है इसमें नाम... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, पानी की अगर इस समय कमी है और फसल बर्बाद हो रही है, जल रही है तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से संवेदनशीलता से इस पर विचार करके पानी देना

(डा. सुरेश चौधरी)

चाहिए, लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा एक निवेदन है कि 1998 से 2003 तक के बीच में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में कितनी सिंचाई की फसलें हुईं, उसकी गिरदावरी निकलवा ली जाए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): दिसम्बर, 2003 से लेकर अब तक की गिरदावरी निकलवा ली जाए। हनुमानगढ़ जिला पिछले साल ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हनुमानगढ़ जिला पिछले साल पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में। क्या बिना पानी के वहां पर सिंचाई सम्भव थी? क्या बिना पानी वहां पर प्रोडक्टिविटी सम्भव थी? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इन्हीं से जवाब दिलवा दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं से जवाब दिलवा दिया जाए, यह ज्यादा सक्षम हैं। यह सरकार का अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं। अगर इन्हीं से जवाब दिलाना था (व्यवधान) यह आपकी सरकार का अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बारबार आन्दोलन कराने का तो आपको चरका लग गया और इधर इन कामरेडों को खून ...(व्यवधान) मुंह लग गया? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको जानकारी ज्यादा है। इनकी जानकारी इतनी अच्छी है कि वह अच्छा जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान) यह जवाब के लिए खड़े हो गये है, इनको जवाब देने दो।... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बारबार कांग्रेसी और कामरेड मिलकर वहां आन्दोलन चलाते रहते हैं, फिर बदनाम करते हैं राज्य सरकार को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : आप 2003 से लेकर अब तक की गिरदावरी निकलवा लो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): और 1998 से लेकर 2003 तक की गिरदावरी निकलवा लो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बी.जे.पी. के किसान तो आन्दोलन नहीं कर रहे हैं न, आप इसका सर्टिफिकेट दे देंगे? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसमें फसल ज्यादा हुई है या इसमें ज्यादा हुई है, अपने आप सामने आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आन्दोलन में बी.जे.पी. के किसान तो नहीं हैं न? सारे कांग्रेसी और कामरेड ही हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, बीच में नहीं। बीच में नहीं ... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप बार-बार बर्गला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भोलेभाले किसान आपकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि आपको यह चीज आती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन हमारा था, इन माननीय सदस्य का तो एडजोर्नमेंट मोशन भी नहीं था और यह सरकार की तरफ से जवाब देने खड़े हो गये। इनको इतना भय है कि सरकार ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाएगी इसलिए मैं पहले जवाब दे दूं। अच्छी बात है, आप सरकार का अच्छी तरह अच्छा बचाव कर रहे हो, आपको खडा होना चाहिए। नहीं तो आपके अनुभव से वंचित रह जाते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की जो फसल है वह नहर का पानी नहीं मिलने के कारण जल रही है, सूख रही है और सरकार उन किसानों को पानी नहीं दे रही है। किसानों की जो बारी थी निर्धारित, वह बारी का पानी उनको मिला नहीं। फसलें सूख रही हैं। जो आपने बारियां निर्धारित की हैं पानी देने की, उसके हिसाब से पानी अगर उन किसानों को मिल गया हो तो आप बता दें। अगर वह निर्धारित बारियां पिटी हैं, उसका उनको मौका नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है तो उसकी आपने क्या व्यवस्था की, यह आप बता दें? जो भी आपने व्यवस्था की है उसकी हमारे को, सदन को जानकारी दे दें और आप यह बता दें, कम से कम एक किसान को कितनी बार पानी देने की व्यवस्था करेंगे, तीन बार, चार बार, दो बार, एक बार? जो भी इनकी व्यवस्था है, कम से कम आप हमें यह एश्योर करवा दें ताकि किसान निश्चित हो सकें। आज किसान हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की फसल

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं जली, किसानों का कलेजा जल रहा है। उनका जी जल रहा है। जिसके साथ बीतती है, उसी को पता है। सत्ता में बैठे लोगों को क्या पता है? इनके वहां नहर में खेती है नहीं। इनकी तो वहां खेती है नहीं। मेरी खेती है, मेरा मुरब्बा है। उसमें बारी पिटी है। पानी नहीं लगा है। मैंने मंत्रीजी को कई बार फोन किया। यह बैठे मंत्रीजी। मैंने कहा, मंत्रीजी, पानी नहीं आ रहा है नहर में, किसानों की फसलें सूख रही हैं, आप मंत्री हो, किसान के बेटे हो, क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं, आपको कुछ विचार आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर विचार आ रहा है तो आप कुछ करिये। इन्होंने मुझे कहा कि मैंने पंजाब आदमी भेजा है बात करने के लिए और सब व्यवस्था हो जाएगी पानी की, आप चिन्ता मत करो, पानी मिल जाएगा। चिन्ता तो खैर आप कह रहे हो, नहीं करेंगे, पर आखिर तो भूखो धायो बतीजे। पानी तो मिलेगा तभी हमारी चिन्ता दूर होगी, उससे पहले ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कल्ला जी के भी कोई मुरब्बा है कि नहीं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कल्ला जी का है कि नहीं... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं किसानों का हितैषी हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा मुरब्बा है इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए पैरवी नहीं कर रहा हूं। मेरे मुरब्बे को आप पानी मत दीजिये, मेरी फसल जाएगी उससे कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत आराम है, कोई दिक्कत है नहीं उस फसल के जलने से। लेकिन जो गरीब है, उसके पास जो कुछ भी था थोड़ा बहुत, वह उसने उस फसल में पैसा लगा दिया, जो भी उसके पास था ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): व्यक्तिगत हित की बात सदस्य यहां बोल नहीं सकते। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपको कह दिया, आप उस मुरब्बे को पानी मत देना। मैं कहता हूं आपसे हाथ जोड़कर, फसल जलने दो, कोई बात नहीं। बाकी की आप बचा लो। एक की जल जाएगी कोई आसमान नहीं टूटेगा, कोई आसमान नहीं गिरने वाला। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी

(श्री हेमाराम चौधरी)

सबकी फसल आप बचा लें जलने से। विधान सभा में इस बार फिर आगे जब बजट भाषण में बोलूंगा, बहुत देवी-देवताओं का यहां पर बखान किया गया, पूर्व में तो देवी-देवता यही बने हुए थे। यहां सदस्य बहुत बोलते थे, हम भी सत्ता में थे, तब हमारे भी बहुत गुणगान होते थे, यह कोई बुरी बात भी नहीं है। अब वसुन्धराजी आईं, वर्षा आई, यह बहुत बोलते थे। अब बंद हो गया है। वसुन्धरा आई, वर्षा लाई तो वर्षा तो छोड़ो, वसुन्धराजी के हाथ में है या इन्द्र देवता के हाथ में, मुझे नहीं मालूम, पर इनके दिमाग में यहां था कि यह भी शायद वसुन्धराजी के ही हाथ में है। पर यह नहर का पानी तो वसुन्धराजी के हाथ में है, यह तो दे दो। किसानों की फसल मत जलने दो। आज डैम के अंदर पानी है 1300 फीट, उस पानी में से थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इस साल तो बहुत बर्फ पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष ऐतिहासिक बर्फ बड़ी है, डैम में पानी आ जाएगा। जो पानी कम होगा उसकी पूर्ति गर्मियों के दिनों में बर्फ से हो जायेगी इसलिए आप मेहरबानी करके पानी दो। आप पीने का पानी दे रहे हो और जो आगे पीने का पानी आप देने वाले हो, वह भी आप डैम में हो तो देना, न हो तो हम जैसे चलाते थे हमारे पूर्वज, वैसे चलाएंगे। हमारी फसल जिसमें हमने सब कुछ लगा दिया, पैसा लगा दिया, सारा समय बर्बाद कर दिया, इस साल जितनी सर्दी पड़ी, आज दिन तक कभी नहीं पड़ी उपाध्यक्ष महोदय। इस भयंकर ठंड के अंदर किसानों ने रात को वहां पर जमीन पर खड़े रहकर अपनी फसल को पानी पिलाया। एक पानी दिया या दो पानी दिया, उससे आखिर उसको मिला क्या? रात भर ठंड में खड़ा रहा, उसने सब कुछ पैसा लगा दिया, बर्बाद हो गया और सरकार अगर सुने नहीं तो उसकी आखिर सुनवाई करने वाला कौन है? और सुनाएं किसको?

श्री उपाध्यक्षः सुनेंगे, सुनेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनेंगे, सुनेंगे क्या, मंत्रीजी से तो मैंने कई बार फोन से बात की। सुनवाई नहीं हुई तभी तो यह बात आज यहां आई। अगर सुनवाई हो जाती और पानी उनको मिल जाता तो यह बात यहां थोड़े ही थोड़ी आती। अभी कह रहे थे, किसान आमरण-अनशन पर बैठे हैं। अभी कल्लाजी भी कह रहे थे। मैं आपको कह रहा हूं, भूलकर भी उन किसानों को आमरण अनशन पर नहीं बैठना था, क्योंकि यह सरकार संवेदनशील ही नहीं है। वह तो संवेदनशील सरकार के लिए है, इस सरकार के

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिए थोड़े ही है आमरण अनशन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो बार पहले आमरण अनशन पर बैठा हूं। यह कहते थे कि कभी आप बैठे? मैं बैठा हूं दो बार। भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे उस समय। दोनों बार भैरोंसिंहजी ने मेरी बात मानी। कलक्टर आया, उन्होंने मेरी मांगों को पूरा किया और जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। सत्ता तो तब भी भारतीय जनता पार्टी की थी। उस समय नेतृत्व भैरोंसिंहजी के हाथ में था, इस समय नेतृत्व महारानी के हाथ में है। इसलिए यह फर्क है, फर्क को समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर हम इस सरकार के भरोसे आमरण अनशन पर बैठ गये, मर जाएं तो कोई बात नहीं, पीछा छूटे। कभी न कभी तो मरना ही है, आज मरो, कल मरो। जिस दिन मौत आई, कोई नहीं रोक सकता। पर जैसा सांवरलालजी ने कहा, मरने वाले मरेंगे, ठीक बात है। सांवर लालजी की बात कह रहा हूं, मरेंगे, पर मरे नहीं। और हमारे अन्दर का कोई आर्गन खराब हो जाए, जिसका वापस इलाज भी नहीं हो, मेरे उससे थोड़ा असर पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि कोई आर्गन खराब हो या मरेंगे भी नहीं और ठीक भी नहीं रहेंगे, सड़-सड़कर मरेंगे, उससे तो और ही ज्यादा खराब हालत हो जाएगी। मरना हाथ में थोड़े ही है, मरेंगे नहीं सड़ेंगे। अन्दर से पुर्जा खराब हो गया, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं बैठा तो फिर वह हमेशा खराब ही रहेगा। इसलिए आमरण अनशन भी बहुत खराब है। खतरनाक है। किसानों ने कर दिया। पर किसानों को सोचना चाहिये, क्योंकि जब कभी भी किसानों ने सरकार से चाहे पीने का पानी मांगा हो, चाहे सिंचाई का पानी मांगा हो, चाहे और कोई मांग किसानों ने अपनी रखी हो, किसानों को गोलियों से भूनने का काम इस सरकार ने किया, तो वह सरकार क्या संवेदनशील हो सकती है? क्या इन किसानों की सुनवाई कर सकती है? किसानों को क्या पानी की व्यवस्था कर सकती है? और व्यवस्था कर सकती है तो आप आज ही उन किसानों को जिनकी बारी पिटी, तत्काल पानी दें। उपाध्यक्ष महोदय, फिर एक बड़ी ताज्जुब की बात है...(व्यवधान) एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। जंगल राज हो रहा है। विधान सभा सदस्यों की एक कमेटी बनाकर भेज दीजिये नहर पर आप, आप पता करवा लें, बहुत सारे लोग, प्रभावशाली लोगों ने सैकड़ों ...(व्यवधान) .

श्री उपाध्यक्षः ज्यादा नहीं बोलते हैं, कभी-कभी बोलते हैं। .. (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट में कह दूं, क्या गाली निकाल रहा हूं क्या? ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बजट पर शुरू हो गयी ..(व्यवधान) बजट पर बोल रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों किसानों ने अनधिकृत काश्त की, अनधिकृत पानी लिया। साइफन से पानी ले रहे हैं। आज भी ले रहे हैं। पानी नहर में जहां मनमर्जी आए, रोक लेते हैं। पानी रोककर अपने मुरब्बे में लगा देते हैं। कई किसान वहां मजे लूट रहे हैं और गरीब मारा जा रहा है। जंगल राज हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जंगल राज को बंद करो। कम से कम बराबर हक के हिसाब से जिसको जितना पानी मिलना चाहिये, उसके हिसाब से तो आप व्यवस्था करो। जितना है वह तो सही बांटकर खाओ न। जो है उसको भी लूटने वाले लूट रहे हैं। खाने वाले पानी के मजे ले रहे हैं, बाकी रो रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह व्यवस्था तो आपके हाथ में है न? पानी पीछे कम है तो पंजाब में आपकी एन डी ए के सहयोगी पार्टनर हैं, आप उनसे बात करके हल कर लेते तो आज दिन अच्छा होता। आप हल करेंगे तो ठीक होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। हमने हमारे किसानों की पीड़ा आप तक पहुंचा दी, आप इस पर गौर करिये। नहीं करेंगे तो परिणाम खराब रहेगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जो सबसे ज्यादा आन्दोलन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा चोरी वही कर रहे हैं।

डा. एन.एस.गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कांग्रेस के हैं। ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सबसे ज्यादा पानी चोरी माननीय नेता प्रतिपक्ष के एरिये में है। ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): घड़साना में प्रदर्शन करना चाह रहे थे पानी के लिए, उन्हें पानी देने के बजाय घड़साना में दो कि.मी. तक धारा लगाकर उनकी आवाज को भी दबाना चाहते हैं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): वह आपके समझ के बाहर की बात है। घड़साना में ..(व्यवधान) कोम्पीटेंट है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं। ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): दो कि.मी. तक धारा लगाकर उनकी आवाज को भी दबाना चाहते हैं। मैं समझता हूं, यह कतई उचित नहीं है। एक तरफ फसलें पाले से मारी गयीं, जो कुछ बाकी है उसमें पानी नहीं दे रहे हैं। डैम के स्तर को 1260 तक लाकर उनकी फसलों को बचाया जाए। धाराओं से किसान नहीं रूकेंगे। उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। इसलिए डैम के स्तर को 1260 तक लाकर किसान की फसलों को बचाया जाए। धाराओं से, लाठी से और गोली से किसान अपनी फसल जलती हुई नहीं देखेगा और गोली से किसान की आवाज नहीं दबेगी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा, एक सैकण्ड में अपनी बात कहूंगा। पूर्व में जो डैम का लेवल नीचे किया गया है, यह किसके आदेश से हुआ, तो पता कम से कम लगना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, आप अपने उत्तर में जरूर बतायें कि डैम का लेवल नीचा करना किसके हाथ में है, किसके नहीं। क्या सरकार ने इस पानी को कहीं रहन रख दिया या डैम में नहीं है। इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे सरकार ने पानी को विदेश में भेज दिया। जो उपलब्ध है उसका बखान करें। जो भी है वह हमें पूरा बताएं कि कितना पानी है, इस डैम का स्तर नीचा करने में कौन सक्षम हैं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बी. डी. कल्ला साहब ने और कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये नहरी क्षेत्र के किसानों के पानी के बारे में चिन्ता प्रकट की है। निश्चित रूप से इस देश में या दुनिया में किसान खेती-बाड़ी और पशुपालन के आधार पर ही अपना जीवन-यापन करता है। पानी जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, उसका मैनेजमेंट ठीक हो, प्रबन्ध ठीक हो और पानी आखिरी छोर के किसानों तक मिले, इस बात का प्रयास सरकार को करना चाहिये। अभी इंदिरा गांधी नहर सिस्टम की जो माननीय सदस्य बात कर रहे थे, इसमें पोंग डैम से और रणजीत सागर से पानी आता है। 20 मई तक यह खाली होता है, 21 मई से 20 सितम्बर तक वर्षा के मौसम में यह भरता है। इसका जो लेवल अभी माननीय कल्ला साहब ने कोट किया था, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बताया 2002 में 1260 तक गया, मैं इनकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 2001 में 1289 और 2002 में 1297.5 था। अब आपने कुछ बातें और कहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांध में पानी भरता है उसके लेवल के आधार पर प्लस यह जो डिप्लाटिंग पीरियड है, सिंचाई का पीरियड है....उसमें

(श्री सांवर लाल)

भी इनफ्लोज आते हैं उसके आधार पर कैलकुलेशन करने के आधार पर हम पानी का कैलकुलेशन करते हैं। दो जगह पर रैगुलेशन परामर्शदात्री समिति बनी हुई है- एक तो हनुमानगढ़ में और दूसरी जैसलमेर में। माननीय विधायक इसके सदस्य हैं, विधायकों की अनुशंसा के आधार पर सी.ए.डी. कमिशनर, बीकानेर बारियां जारी करता है। मैं कल्ला साहब को कहना चाहता हूं, अभी डींग हांक रहे थे कि, साहब, हमारे जमाने में तो कोई हड़ताल पर नहीं गये, हमने कुछ नहीं किया। आपके जमाने में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं खुद गंगानगर गया हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरवलपाल सिंहजी जो था हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, उसने पानी की मांग की और सीधा उसको जेल के अन्दर टिका दिया। उस टाइम में सौभाग्य से तत्कालीन मुख्य मंत्री भी आये हुए थे, मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी, हमारे इस किसान की क्या गलती है, सीधा जेल में टिका दिया। तो उन्होंने कहा, देखिये, कानून हाथ में लेगा तो यही होगा। तो मैंने कहा, आप तो सचिवालय की दीवार फांद कर सैक्रेटेरिएट गये, हमने तो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। आज नहीं, आपके समय का जो पानी का हिसाब -किताब है, पीने का पानी नहीं मिलता था। परिवर्तन यात्रा में, यह माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनका फार्म है, हम वहां पर गये थे तो उनके जो काम करने वाले थे, हमारे साथ ही बोरिया-बिस्तर बांध कर ले आये कि, साहब, यहां पर तो पीने का पानी नहीं आता है, हम तो बर्बाद हो गये इस कांग्रेस के राज में। तो मेरा निवेदन यह है कि आप प्रतिपक्ष में हो, चिंता करनी चाहिए पर कभी-कभार अगर आपको राज भी मिल जाता है तो उस जनता की चिंता करना बिलकुल छोड़ देते हैं, यह एक दुर्भाग्य की बात है।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस नहर के अन्दर जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है माननीय वसुन्धराजी के राज में इस चार साल के अन्दर हुआ है। एक-एक चीज को ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की समस्याओं को लेकर चार दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा, आपने मुझ से फोन पर बात नहीं की। (व्यवधान) कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। दोहरा मानदण्ड रखते हो। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो किसानों को गोली से उड़ा रही है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): सी.ए.डी. की अनदेखी के कारण लाखों रुपये भ्रष्टाचार में खाये और ऐसे लोगों को परमिशन दी उसकी वजह से मेरे क्षेत्र के किसान त्राहि-त्राहि करते रहे। (व्यवधान) मैं चार दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा और आपको माननीय अध्यक्ष सुमित्रा सिंहजी ने फोन किया, आपने उनसे यह कहा कि विधायक तो अडियल है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? ...(व्यवधान) यह कौनसी भाषा है? ...(व्यवधान) मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, आप आएं, नियमों में आकर मोशन लगाएं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अंकित नहीं होगा कोई।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप सब माननीय सदस्य जो भी बोले हैं, वह बिलकुल शालीनता से मैंने बात सुनी है। जो मैं बोल रहा हूं अगर उसमें कोई आब्जैक्शनेबल बात है, उसके प्रति आप बाद में बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री उपाध्यक्षः बात हो गयी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कहां की बात कर रहे हैं आप?

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। इनका अंकित नहीं होगा। राजस्थान कैनाल की बात और आप बीच में दूसरी बात ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच-सात साल का लेवल आपको निवेदन करना चाहता हूं, 2002-03 के अन्दर लेवल था 21 सितम्बर को पोंग का 1338.95, 10 लाख 41 हजार क्यूसेक्स पानी और इसके साथ ही केवल चार बारी दी थीं। चार ग्रुप में से एक ग्रुप, इसका मतलब 34 दिन में पानी दिया और केवल चार पानी आपकी सरकार के समय में दिया गया। इसके बाद में 2003-04 के अन्दर छह पानी दिये और

(श्री सांवर लाल)

तीन में से एक दिया जब हमारी सरकार आ गयी थी माननीय वसुन्धराजी की। इसके बाद 2004-05 में हमने पाँच बारी दीं, 2005-06 में हमने साढ़े नौ बारी पानी दिया। 2006-07 में नौ बारी दिया। इस साल हमने चार बारी, तीन में से एक ग्रुप चला कर और दो बारी चार में से दो ग्रुप चला कर दिया। छह पानी इस बार हम इर्रीगेशन के लिए दे चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार पोंग का लेवल भी कम था, इसके साथ-साथ इनफ्लोज का जो एवरेज है वह भी बहुत कम है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बैटर फ्लो केवल 8 परसेंट है जबकि पिछले वर्षों में कभी 30 परसेंट, 60 परसेंट, 45 परसेंट रहा है।

अभी माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की कि बहुत स्नो फाल हुआ है, अब कितना पानी आएगा कि नहीं आएगा, बर्फ पिघलने के बाद पता चलेगा, आज जो लेवल है वह 1299 पाइंट समथिंग है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 20 मई आएगा तब तक डिप्लीट होगा और ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया। बीच में जब ये रैगुलेशन जारी किये सी.ए.डी. कमिश्नर, बीकानेर ने तो उसमें बंदी भी प्रपोज की थी। कुछ माननीय सदस्यों की यह राय आयी कि बंदी नहीं होनी चाहिए, एक बारी पानी और मिलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सी.ए.डी. कमिश्नर को कहा कि कैसे भी व्यवस्था करिये और पानी की व्यवस्था करिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब के मुख्य मंत्री के स्तर पर भी व्यवस्था करके कोशिश की है और यह छह बारी पानी दिलवाया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, शुरू से हमने किसानों से अनुरोध किया कि इस बार पानी कम है इसलिए कम पानी की फसलें बोएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी कुछ किसानों ने इसमें गेहूं की फसल बोई है। अब छह बारी पानी हम दे चुके हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो फसल का एरिया है 2005-06, 2006-07 का 5.86, 5.85 लाख हैक्टेयर, इसकी तुलना में इस वर्ष 2007-08 में 5.89 लाख हैक्टेयर के अन्दर बुआई हुई है। यह एक रिकार्ड बुआई है। सरसों की फसलें पक चुकी है, अब केवल गेहूं की फसल के लिए, माननीय सदस्य, आप बात कर रहे हैं तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो पानी है वह किसानों को मिले।

(श्री सांवर लाल)

कल्ला साहब ने अभी एक बात खड़ी की कि बीच और इस बीच में पानी नहीं मिला, हमने जो बारियां दी हैं वह बारी एक-एक आपके सामने है। अब आपको पता है कि हरिके का हैडवर्क्स का कंट्रोल है वह पंजाब के पास है, कभी-कभार फ्लक्चुएशंस आ जाएं उसको छोड़ कर कहीं पर भी बारी कटौती नहीं हुई है, फ्लक्चुएशन में कहीं-कहीं हुई है। चारणवाला की जहां तक बात है, 14 से लगा कर 22.10 तक कम चली है, उसके बाद हमने कम्पनसेट किया है। 17.11 से लगा कर 25.11 तक, इसके बाद में फिर 13.12 से लगा कर 19.12 तक एक्सेस पानी चला है। इसके अलावा सिर्फ दो बार इसमें कुछ कमी हुई है, इसकी पूर्ति हमने फिर 2.2 से लगा कर 10.2 तक करने की कोशिश की है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों को पुराने समय की जो मार थी—पानी नहीं गया, किसानों की फसलें बर्बाद हुईं उसका आबियाना हमने माफ किया, हरिके का गेट रिपेयर करके हमने उस पानी को रोका जो पाकिस्तान जा रहा था, नहरों की डीसिल्टिंग पहली बार करवायी बिना किसी भेदभाव के। अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे, मेरा मुरब्बा नहीं है, मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने सोच-समझ कर मंत्री बनाया है, जिसकी भी जमीन उधर होगी तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। अगर आपके हाथ में आ गया, सीधी मोरी आप वहां ही लगाओगे जहां आपका मुरब्बा है। मेरा नहीं है इसलिए हमने टोटली नहर के जो मोगे थे, 25 परसेंट से ज्यादा पानी विथड्रा कर रहे थे, उसको हमने ठीक करवाया। इन सब कारणों की वजह से पानी टेल के किसानों तक पहुंचा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी बैठे हैं, आप बताइये, कभी 2500 करोड़ की सरसों की सपोर्टिंग प्राइस पर खरीदने की आवश्यकता किसी सरकार को पड़ी है क्या? यह इसलिए हुआ कि बम्पर क्राप हुई और क्राप इसलिए हुई कि पानी देने में हमने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारी अभी भी पंजाब में गये हुए हैं, हमारी कोशिश है, हमने उनको कहा, कैसे ही मैनेज करिये। किसानों को एक बारी पानी अगर मैनेज हो जाता है, अब आप सब को मालूम है कि बी.बी.एम.बी. फैसला करती है पानी छोड़ने का, आज मुख्य मंत्रीजी बराबर

(श्री सांवर लाल)

पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से बातचीत कर रही हैं, मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी का जो इण्टरवीन हो रहा है, निश्चित रूप से हम कोशिश में कामयाब रहेंगे।

माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय और आप भी दिल्ली की सरकार में भागीदारी रखते हो, हमने कभी ऐसा समझौता नहीं किया जो राजस्थान के किसानों के हित के प्रतिकूल हो। 1981 में आपने जो समझौता किया, आप यहां पर जो चिल्लाते हो उसके बजाय आप वहां जाइये, भारत सरकार से कहिये, 0.6 एम.ए. एफ. पानी जो 1981 में आपने छोड़ा वह राजस्थान के हित में रेस्टोर करवाइये। मैं कहता हूं पूरे-पूरे किसानों की किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। पर आप अपना हक तो नहीं निभाना चाहते हो। अभी कह रहे हो, ओलावृष्टि ...

श्री अमराराम (धोद): आप तो ले आओ। इन्होंने तो खो दिया, आप तो ले आओ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप भी बैठे हो वहां पर। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अभी तो आपके समर्थन की सरकार है, अब तो ले आओ। अब क्या कर रहे हो? पुराने रोजणे रो रहे हो, अब तो ले आओ। अब तो आपके समर्थन से चलने वाली पंजाब की सरकार है, अब तो ले आओ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली की सरकार के लेवल पर समझौता हुआ है, पंजाब के लेवल पर नहीं हुआ, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय समझौता हुआ है ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस समझौते में राजस्थान को पानी ज्यादा मिला है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जो पानी 1981 में छोड़ा था उसको आप रेस्टोर करवाइये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस समझौते में राजस्थान को 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी ज्यादा मिला है। पानी कहीं गया नहीं, आप भ्रम में डाल रहे हैं सदन को। उस समझौते से राजस्थान को, पहले 8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता था उस समझौते के बाद 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलने लगा है।

(13.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) वाह! क्या ज्ञान है आपका।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय बीकानेर से आने वाले सदस्य, आप कितना असत्य बोल रहे हैं ...(व्यवधान) 8.6 मिलियन एकड़ फीट ...(व्यवधान) पानी मिला ...(व्यवधान) यह कहा गया था कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, 8.6 हमारा हिस्सा था ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का क्या होगा, इतने सीनियर मैम्बर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, अब तो करो आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पानी तो हम जैसे लोगों को पता है कि उस समय खो दिया था अपना हिस्सा ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पाइन्ट सिक्स एम ए एफ पानी और मिला है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सदन में गलत बोल रहे हो ...(व्यवधान) गुमराह कर रहे हो ...(व्यवधान) पानी वहां था ही नहीं। पाइंट सिक्स एम ए एफ पानी आपके शेयर में से कटा है, 49 परसेंट मिला ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं कटा है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं ...(व्यवधान) आप सदन में बयान दे रहे हैं 8.6 एम ए एफ हमारा हिस्सा था।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बीच में बोलता नहीं ...(व्यवधान) गलत बात को रिकार्ड पर लाना ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 8 से बढ़कर 8.6 एम ए एफ ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): पानी जो छोड़ा था शिवचरणजी माथुर के ...(व्यवधान) आप पढ़ लें उसको ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने तो पूरा पढ़ा हुआ है ।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज की तारीख में 49 परसेंट ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कल्ला साहब, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढा): 1981 के अन्दर पाइंट सिक्स एम ए एफ पानी आप छोड़कर नहीं आये थे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी आपके बयान को चुनौती दे रहे हैं । आप यह सिद्ध कर दो, 1981 के अन्दर पाइंट सिक्स एम ए एफ पानी आप छोड़कर नहीं आए थे, शिवचरणजी माथुर की कुर्सी डगमगा रही थी, आपने भी उनके साथ मिलकर षडयन्त्र रचा था ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कहीं कोई षडयन्त्र नहीं किया, आप राजस्थान की जनता को भ्रम में डाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आपका प्रदेशाध्यक्ष ...(व्यवधान) आपको खुद को मालूम नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस समय राजस्थान का सिस्टम नहीं बना था ...(व्यवधान) सिस्टम नहीं बना था तब तक उस पानी को पंजाब के उपयोग में लेने के लिए छूट ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हो, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ...(व्यवधान) राजस्थान के किसान को मार देने वाले आज राजस्थान के हित की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने राजस्थान की जनता को हमेशा गुमराह किया है ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस समय का रिकार्ड उठाकर देख लें ...(व्यवधान) कल्ला साहब, उस समय का सदन का रिकार्ड उठाकर देख लें ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी इन्होंने छोड़ा था ...(व्यवधान) पानी छोड़ा था इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पहले मेरी पूरी सुनिये। आप बिराजें एक मिनट। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे प्रश्नों के बाद आप बोल लेना प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आंखों में आंसू आ गये, वह समझौता मजबूरी में कर लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजें। आपको पता तो है नहीं, चमचागीरी बहुत हो गयी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): चमचागीरी मैं नहीं करता, मैं फिर कहता हूं आपने पानी छोड़ा था इसलिए कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने कोई पानी नहीं छोड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी यह कहा कि उन्होंने सितम्बर में और अक्टूबर में जो पानी दिया ....

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): कल्लाजी, एक मिनट, आप अध्यक्ष और लीडर आफ अपोजिशन रहे...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कृपया बाद में बोलें।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं इजाजत। इजाजत आप देंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह अध्यक्ष और लीडर आफ अपोजिशन रहे, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो आप कह रहे हो न, चमचागीरी में बहुत गुण हैं। जब तक आप करते रहे आप पद पर रहे, अब आपने छोड़ दी तो आप हट गये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका अनुभव बता रहे हो क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो चमचागीरी में सफल हो गये आखिर में। आखिर में आप भी सफल हुए।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपका क्या हुआ लीडर आफ अपोजिशन ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपके चमचागीरी की क्या प्रक्रिया है, कृपा करके यह भी मुझे सिखा दो थोड़ा ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जैसे आप आये वैसे ही मैं आया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह बात कही कि इन्होंने अक्टूबर और नवम्बर में पानी दिया ।

श्री उपाध्यक्ष: कल्लाजी, इनको स्टेटमेंट पूरा करने दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं खुद ही कह रहा हूं कि दो बारियां बराबर दीं, लेकिन 21 दिसम्बर से जो बारी देनी थी उसमें मात्र तीन दिन का पानी मिला और जनवरी में मात्र ढाई दिन का पानी मिला और चारणवाला ब्रांच में फरवरी की बारी जो थी वह बिलकुल पानी नहीं मिला। आप इसकी जांच करवा लें। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, यदि वास्तव में चारणवाला ब्रांच, बिसलपुर ब्रांच और इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम और द्वितीय चरण में जहां जहां पानी की बारी काटी गयी है, क्या आप उन बारियों को पुन: देने की व्यवस्था करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? आज भी किसान जिसने हजारों रुपया बीज, खाद और उर्वरक पर खर्च किया है, उसकी फसल को जलाने के लिए सरकार आमादा है।

श्री उपाध्यक्ष: कल्लाजी, कल्लाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं दूसरी बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो हमने स्थगन प्रस्ताव उठाया था उसके इधर उधर आपने समझौते की और इनकी बातें पलट पलट कर कहीं ...

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया, बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये बातें कहना ठीक नहीं है। मैं सदन को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजस्थान को 1981 के समझौते में पाइंट सिक्स मिलियन एकड़ फीट ....

श्री उपाध्यक्ष: कल्लाजी, भाषण शुरु कर दिया आपने तो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पानी ज्यादा मिला था लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम बना हुआ नहीं था इसलिए सिस्टम बनने तक उस पानी का उपयोग करने के लिए पंजाब को कहा गया था। आप बातों को पलट पलट कर इधर उधर उसको डाइवर्ट करके कहें....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह काम चलने वाला नहीं है, इससे राजस्थान की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। आज सवाल इस बात का है कि जिन क्षेत्रों में किसानों को पानी आपने नहीं दिया है ...(व्यवधान) उनकी बारी कटी है, आज आप उनके सहयोगी दल हैं पंजाब में, क्या आप उन किसानों को पानी दिलाएंगे? यह सीधी बात क्यों नहीं कहते आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हां, सीधी कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आपने।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं तो हर बात सीधी कह रहा हूं पर वह सीधी आपके लग रही है इसलिए आपको तकलीफ हो गयी है। 1981 के समझौते में पाइंट सिक्स हुआ, वह कहां है, बता दें आप? वहीं सरेण्डर करके आये थे उसी टाइम में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई सरेण्डर नहीं किया है। सरेन्डर तो आप किये हुए हो। अब सिस्टम बना है, अब आप पानी ले नहीं पा रहे हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप आज भी ले आओ न। यहां पर उछल कूद करने से ज्यादा वहां जाकर कहोगे तो राजस्थान में ....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको तो शर्म आनी चाहिए, हमने संकल्प पारित किया है, आपको अधिकार दिया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कुछ नहीं दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पूरी विधान सभा ने कि राजस्थान को जो रावी और व्यास समझौते में पानी मिला है, राजस्थान सरकार कोई भी विधिक कार्यवाही करे, कोई प्रशासनिक कार्यवाही करे, हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, यह संकल्प पारित कर दिया और आप ...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह आपको साथ देने की जरुरत नहीं है, आपकी सरकार है, अमरारामजी की सरकार है, आपने छोड़ा उसको आप ले आइये, राजस्थान की जनता के साथ न्याय होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने नहीं छोड़ा है, सिस्टम अब पूरा बना है, अब आपको लेने की बारी है। हमने संकल्प पारित करके पूरे राजस्थान में कहा है कि हम इस पानी को लेकर रहेंगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं अब आपका जवाब दे देता हूं ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): यह सरकार ...(व्यवधान) काम करती है भाखड़ा बांध का पानी आज तक नहीं छोड़ा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड फीट पानी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के वक्त में मिला ...(व्यवधान) मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता और किसानों की चिन्ता के साथ हमारी अपनी चिन्ता बराबर रही है चार साल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मुख्य मंत्रीजी बराबर पंजाब के मुख्य मंत्री से, बी वी एम बी के सम्पर्क में हमारे अधिकारी बिलकुल वहां पर लगे हुए हैं, हमारी कोशिश है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका विषय नहीं है, बैठिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक पानी किसानों को सिंचाई के लिए मिले, यह हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपसे संबंधित नहीं है, आप बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक बार नहीं, दो बार, दो बार पानी जिनका गया है उनको दो बार दो आप ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद के राज में ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जांच कर लें, जिन किसानों की बारी काटी गयी है दो बार, उनको दो बार दो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मुझे इस बात की खुशी है, कल्ला साहब बहुत चिन्ता कर रहे हैं, दो, चार छह। मुझे तो खुशी होती, आप जब यहां बैठते थे तो पूरा पानी देते, तो वह आबियाना हमको माफ नहीं करना पड़ता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने दिया है, दिया है इसके लिए, आपको पता नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कुछ नहीं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने 8.6 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पानी लेकर दिया है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई नहीं दिया है, आंकड़े अभी बताये हैं मैंने आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मेरे साथ बैठ जाएं अपने सिंचाई सचिव को लेकर, मैं बता दूंगा, किस साल में मिला है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसकी जरुरत नहीं है, आंकड़े मुझे याद हैं और मैंने बताये हैं सारे आपको। उपाध्यक्ष महोदय, 21 सितम्बर से 27 सितम्बर दो में से चार चलाकर पानी दिया। हमने फिर 27 से बारी बांधकर 17 दिन रैगुलर चार में से दो ग्रुप चलाये, फिर 14.10 से 31.10 चार में से दो चलाये, 31.10 से 25.11 तक तीन में से एक ग्रुप चलाकर हमने पानी दिया, 25.11 से 21.12 तक तीन में से एक चलाकर पानी दिया। फिर 21.12 से 15.1 तक तीन में से एक चलाकर दिया, 15.1 से 10.2 तक तीन में से एक चलाकर पानी दिया। लेवल अब, कल्ला साहब, आप जानते हैं पानी तो जो पोंग में होगा और इनफ्लो होगा उसके हिसाब से इंटर स्टेट का शेयर आपको मिलेगा।

अब जो मैं बार बार कह रहा हूं उससे आपको तकलीफ हो रही है, पाइंट सिक्स नहीं छोड़ते तो पानी में हिस्सा आपका बढ़ जाता और ज्यादा मिलता। पर जो है एट के हिसाब से, वह मिल रहा है । अब जो डिप्लीशन हम करवा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आपकी चिन्ता के हिसाब से हम किसानों की मदद करें। किसानों को जो हमने पानी दिया है, इस साल भी सरसों की फसल के लिए पर्याप्त पानी दिया है। अब गेहूं और अन्य फसल के लिए कुछ कमी है, इसकी व्यवस्था के लिए मुख्य मंत्रीजी लगे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कारगर कार्यवाही करने की हम कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कल्ला साहब ने एक सवाल और उठाया था, जो किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जिला प्रशासन बराबर उनके सम्पर्क में है। उनसे बातचीत कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बातचीत नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बिरदवाल हैड से 620 के बीच में 420 क्यूसैक्स की नहरें छोटी जो पानी मरा है, आप कह रहे हो, वह बात प्रामाणिक कह रहा हूं मैं (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उनको रोको।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 620 और बिरदवाल के बीच में 420 क्यूसेक्स का जो सिस्टम है, छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर हैं, वे पिटे हैं दो-दो, तीन-तीन दिन, कृपा करके उनकी भरपाई करवाएं आप, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यस-यस। बिलकुल-बिलकुल। पूरी कोशिश।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो गया। यह तो नयी परम्परा हो जाएगी। मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया? (व्यवधान) अब आगे का बिजनस भी तो लो ना... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसी परम्परा हो जाएगी? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको भी अगली बार यहां बैठना है। फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे लोग? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ही बस, बोलने नहीं देना, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं रहा। जब भी बोलने खड़ा हुआ, जब भी इनके सामने डटे रहने का एक इन्होंने सिद्धान्त बना रखा है। आप इस सिद्धान्त को छोड़ दीजिए मेहरबानी करके। हमें अपनी बात कुछ थोड़ी-सी कहने तो दीजिए।। आप उस पर कुछ करने वाले नहीं हैं। आप उस बात पर गौर करने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। नहीं मानना है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हेमारामजी को बोलने दीजिए ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आपने अपने काल में तो कुछ नहीं किया और हम कुछ कर रहे हैं तो हमको उलाहना दे रहे हो। हम जो कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही क्या आपके बात ? हमने कह दिया, पानी देंगे ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आ गयी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसके बावजूद भी आप जाना चाहते हैं ? जाइये बाहर? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या पानी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो जो पानी की कमी है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह तो अपने मंत्री पद के अनुरूप? (व्यवधान) ही बैठकर रोये थे ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जिन किसानों की बारियां पिट गयीं, यह कह रहे हैं बारियां पिटीं नहीं, बारियां कैसे नहीं पिटीं? मैं आपको एक नहर की मिसाल देता हूं। एस.बी.एस. से तुली, बीडी और पीडी इन तीनों की एक साथ बारी की हुई है ग्यारह दिन की। कंटीन्युअस पानी चलता है। इन्होंने अभी दो दिन पानी चलाया है और दो दिन के बाद नहर वह बंद कर दी तो बाकी नौ दिन पानी नहीं चला। दो दिन जिन मुरब्बों को पानी मिलने की बारी थी, दो दिन वालों को तो मिल गया और नौ दिन जिन मुरब्बों को पानी मिलना था उन मुरब्बों को पानी नहीं मिला। वे वंचित रहे तो उनकी बारियां पिटीं नहीं ? क्या हुआ ? यह कह रहे हैं बारियां पिटीं नहीं। यह इनके समझ में ही नहीं आता क्योंकि इनके मुरब्बे हैं नहीं, इनको क्या पता ? यह कह रहे हैं मेरे को यह मुरब्बा दिया, क्यों यह महकमा दिया कि मेरे पास मुरब्बा नहीं है। मैंने कहा तो यह तो और अपराध हो गया। मुरब्बे वाले आदमी को तजुर्बा तो होता। कुछ तजुर्बे का फायदा तो उठाते, लाभ लेते। अब मेरा मुरब्बा है इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। यह सही बात कह देगा, कह देता है... (व्यवधान) मेरे मुरब्बे में आप ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): दुर्गादत्त जी, इनकी नाड़ी में है जिसमें पानी जाता है... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर मेरे मुरब्बे के आधा आप नाला दे दो, मैं शिकायत नहीं करूंगा। आप उसमें नाला दे दो बाकी सबको पानी दिलवाओ, और उससे भी ज्यादा तकलीफ, मैंने एक मुरब्बा ले लिया, पैसे देकर लिया उससे भी आपको तकलीफ हो तो मैं राज्य सरकार को समर्पित कर दूं उस मुरब्बे को। आपके समय में पानी नहीं मिलता ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप तो समर्पित मत करो पर मुरब्बे पर जाओ और बारियां क्या होती हैं, यह समझो वहां जाकर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाइंट आफ आर्डर। अपने बारे में प्रक्रिया और नियमों में स्पष्ट है, यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपने हित की बात, अपने और अपने परिवार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाउस में यहां बात नहीं कर सकता ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान जितना पानी मांग रहा है वह आप पूरा पानी किसानों को दे दो, आपके अगर राज का खजाना भरता हो तो मैं मुरब्बा छोड़ दूं। आप पानी तो वैसे ही नहीं देते हो। हमने तो पानी की बात कही, यह इधर-उधर की बातें घुमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता को इतना भी पता नहीं है। न अलग से उन पर बात कर सकते हैं। विधान सभा में परम्पराएं बनी हुई हैं, विधान सभा की परम्पराओं को नहीं तोड़ने देंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कभी 1981 की बात कर रहे हैं। कभी हमारे राज की बात करें। पानी तो हम इनसे मांगें, राज इनका और बात हमारे राज की करके हमें संतुष्ट करना चाहें (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की परम्पराओं को नहीं तोड़ने देंगे ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, बैठ जाइये ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, नेता जी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता इन नियमों और परम्पराओं की धज्जियां उड़ाएं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके फोन के बाद तो नहरों और पौंड पर चली है जैसलमेर में ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए ये संवेदनहीन है। यह सरकार किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किसानों को पानी एक बूंद नहीं दे, किसानों की फसलें जल रही हैं, किसान दुःखी है और सरकार से दुःखी होकर हम बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस दल द्वारा बहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किस खेत के लिए ये बहिर्गमन कर गये कांग्रेस ...(व्यवधान) इनके खेत को पानी नहीं मिल जाए, इसलिए बहिर्गमन करके जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत श्री बाबूसिंह राठौड़। नियम 295 (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 दिन से वहां की फसलें बिना पानी के हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, अगर 15 दिन किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी फसल चौपट हो जाएगी ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): फसल चौपट नहीं हुई है। 20 फरवरी तक जैसलमेर को पानी दिया हमने ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 8 फरवरी को द्वितीय चरण का कम्प्लीट पानी किसान की खेती के लिए बंद कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, 8 फरवरी के बाद में वहां के किसानों को पानी नहीं मिला है तो आप कब तक व्यवस्था कर देंगे? दस दिन पानी नहीं मिलातो फसल चौपट हो जाएगी। 31 मार्च तक का टाइम होता... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसे विशेषज्ञों ने बताया है। आप खड़े हैं, बताइये। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आप तो कब तक चालू करवा देंगे ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जल्दी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पढ़िये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची का क्या हुआ?

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बीकानेर का पूरा किसान बर्बाद है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: और मौका मिलेगा। मिलेगा, मौका मिलेगा।...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): पूरी फसल को पानी मिलना बंद हो गया है। आमरण अनशन चल रहा है। वहां किसानों की तबीयत खराब हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: अब बहुत चर्चा हो गयी इस पर।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): वहां महापड़ाव पड़ा है। हजारों किसान वहां पर बैठा हुआ है। 18 दिन से द्वितीय चरण इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसी भी खेत को पानी नहीं मिल रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब सुन ली आपकी बात।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आप मंत्री महोदय कह रहे हैं हम शीघ्र ही कर देंगे, 15 दिन अगर व्यवस्था नहीं की तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी।. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं तुरन्त आज या एक-दो दिन दिन में वहां पर व्यवस्था करवायी जाए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं। कर रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधी फसल चौपट हो गयी है। आधी पाले से चौपट हो गयी है। आधी नहर का पानी बंद करने से हो गयी है। या तो उनको मुआवजे की घोषणा करें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बराबर सरकार चिंतित है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आप तो अपने भाई को खेत में पानी दिलवा दो ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जिला कलक्टर, बीकानेर सम्पर्क में हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आप तो अपने खेतों की पानी की व्यवस्था कर दो। सरकारी पानी को अपने घर में ले जाकर पटक लो आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं व्यवधान ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): पूरे के पूरे रेगिस्तान के किसान आज

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

बर्बाद हो रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, 8 फरवरी के बाद में द्वितीय चरण का पानी कम्प्लीट बंद है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आ गयी बात। आ गयी बात। ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है ...(व्यवधान) हमेशा, मंत्री महोदय, यह बताओ कि उस बांध के अन्दर जो पानी आता है वह बर्फ का पिघलकर आता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बस बात कह दी अब आपने ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आज वहां पर तेरह सौ फीट पानी मौजूद है। पहले भी उस पानी को कम करके राजस्थान के किसान को बचाया गया था तो आज राजस्थान की सरकार को क्या दिक्कत आ रही है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): मंत्रीजी, यह बताएं कि क्या एक-दो दिन में व्यवस्थान ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य दे दिया, बता दिया मंत्रीजी ने बताना था वह। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य, आपकी जानकारी में नहीं है, पानी छोड़ने के बाद कितने दिन में पहुंचेगा। आपको यह भी नहीं पता है, नीचे बांध में कम पानी होता है। जो भी पानी है, मैंने आश्वस्त कर दिया है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। सम्पर्क में हमारे अधिकारी हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, आ गयी बात।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दूसरा, आपके जो आमरण अनशन पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे जिला प्रशासन सम्पर्क में है।

श्री उपाध्यक्षः मंत्रीजी, बैठिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची लगायी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: अब बीच में नहीं, 295 हो रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हमारी पर्ची है, आ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष: हां, आ रही है। श्री बाबूसिंह राठौड़।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूर्व में संविदा अध्यापक के रूप में सेवा दे चुके संविदा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व में राज्य सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में संविदा के आधार पर 400/- रुपये के मानदेय पर नियुक्तियां की थीं। इसी के चलते वर्ष 1989 तक संविदा आधार पर शिक्षकों ने कार्य किया, बाद में उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। संविदा शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार से गुहार करने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तत्कालीन सरकार ने केबिनेट स्तर पर फैसला लेकर संविदा शिक्षकों को जिला परिषदों के माध्यम से नियुक्तियां देना पुनः प्रारम्भ किया जो दिनांक 19 जुलाई, 2003 तक जारी रहा।

तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी श्रीमान् बी. डी. कल्ला ने 19 जुलाई, 2003 को आदेश जारी कर अगले आदेश तक नियुक्तियां नहीं देने के आदेश जारी किये जो कि आज दिनांक तक प्रभावी हैं। समान पात्रता तथा समान तारीख में आवेदन करने वाले 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गईं जबकि जिला परिषदों से अभी तक नियुक्तियां दिया जाना शेष है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी एवं संविदा नर्सेज के नियमितीकरण का कार्य किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में संविदा अध्यापक के रूप में सेवा दे चुके नियुक्ति से वंचित रहे संविदा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल वर्मा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, संविदा के कइयों को तो अध्यापक लगा दिया, कई वंचित रह गये। एक समान होना चाहिये। जो वंचित रहे उन्होंने क्या अपराध किया ? इनको भी लगा देना चाहिये।

पीपल्दा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

कार्यवाही संचालन प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मेरा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से तीन जिलों में पड़ता है। यहां की भौगोलिक स्थिति अजीब है कहीं जमीन समतल है तो कहीं रेवाइंस हैं। तीन नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। चम्बल नदी, काली सिंध एवं पार्वती नदी मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती हैं, इसके बावजूद भी क्षेत्र के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। इनके पास सीमित साधन है, जमीन उबड़-खाबड़ है, इसको अपनी भाषा में रेवाइंस कहते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र में चारों ओर नदियों के होते हुए भी किसान सिंचाई सुविधा से वंचित है, यूं कहिये कि जैसे समुद्र के किनारे इन्सान प्यासा रहता है।

देलोद लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो वर्षों में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत के समय बनी थी लेकिन कोटा डी.आर.डी.ए. द्वारा उक्त परियोजना को धन के अभाव में निरस्त कर दिया गया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस लघु सिंचाई परियोजना को स्वीकृत कर दिया जाए तो 18वां क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ है, उसे बचाया जा सकता है वर्ना यहां के गरीब लोग गांव छोड़कर अन्य शहरों की तरफ मजदूरी जाकर करने को प्रयासरत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मेरा पुरजोर निवेदन है कि आम जनता की भावनाओं एवं जीवन रक्षा हेतु देलोद लिफ्ट सिंचाई परियोजना की पुनः समीक्षा करवाकर स्वीकृत करवाने की कृपा करें। इससे आम जनता व किसानों को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बीरूसिंह राठौड़।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 295 में यह क्वेश्चन मैं चौथी बार रख रहा हूं । मुझे लगता है कि जेडीए में इसमें काफी मैनिपुलेशन चल रहा है, कमेटी गठित कर इसकी जांच करवायी जाए। मैं इस पर एक भी शब्द का पठन नहीं करूंगा। पिछले चार साल से लगा रहा हूं, इसकी आप कमेटी गठित कीजिये। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ ही अविश्वास अभिव्यक्त कर रहे हैं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आपसे राय लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि आप सबसे सीनियर आदमी बीच-बीच में टोका टाकी करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इससे ज्यादा दयनीय स्थिति ... (व्यवधान) क्या हो सकती है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): जे.डी.ए. में वो अधिकारी जो आपके द्वारा लगाया गया है उस अधिकारी का मैं नाम बता सकता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चार साल तक ...(व्यवधान)

(समय: 13.20 बजे)

(श्री शांति लाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ... वो अधिकारी कांग्रेस पार्टी का है और मेरी फाइल को रोके हुए है। वो आपका लगाया हुआ आदमी है। वो कांग्रेस पार्टी का आदमी है उसकी जांच करायी जाए।

श्री सभापति: माननीय बीरू सिंह जी।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): वो आपका ही आदमी लगा हुआ है उसकी जांच करायी जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस सरकार में भी कांग्रेस के ही आदमी दिखते हैं इसलिए जांच नहीं हो रही है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): बिलकुल आप ही लोगों का लगाया हुआ है वो। और ऐसे बहुत-से अधिकारी लगाये हुए हैं जो जानबूझकर बीजेपी के विधायकों की फाइलों को रोकते हैं। उनकी जांच कराओ आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुख्य मंत्रीजी के पास जाकर त्यागपत्र दो कि मेरी नहीं सुनी जा रही है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आप दो त्यागपत्र तो।

श्री सभापति: माननीय श्री केशरदेव बाबर।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ... ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग आप लोगों के समय से बैठे हुए हैं उनकी जांच कराओ आप लोग। जो भ्रष्ट आदमी बैठे हैं उनकी जांच कराओ आप लोग।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाल कोठी कच्ची बस्ती के आवासियों को पट्टा विलेख

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड संख्या 16 में स्थित लाल कोठी कच्ची

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

बस्ती लाल कोठी योजना में बसे निवासियों को पुनर्वासित करने के लिए प्राधिकरण की सुनियोजित एवं नियमित योजना ई एवं एफ ब्लाक में भूखंडों के संबंध में है जिसमें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.82 के अनुसार 50 वर्ग गज एवं 110 वर्ग गज के भूखण्ड लाटरी पद्धति से 5 रुपये एवं 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से आबंटित किये गये थे। उक्त ब्लाकों में करीब करीब सारे भूखण्ड पक्के एवं नियोजित रूप से निर्मित हो चुके हैं। प्राधिकरण द्वारा एफ ब्लाक में 50 प्रतिशत एवं ई ब्लाक में 25 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे आबंटित दर पर जारी किये जा चुके हैं। किन्तु अब सन् 2003-04 से उक्त योजना में शेष रहे आवासियों को पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं।

इस बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः उक्त प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखते हुए मांग करता हूं कि उक्त प्रकरण अतिशीघ्र निपटाया जाए।

(उक्त प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा सदन में पढ़ा नहीं गया)

श्री सभापति: बिराजें आप। केशरदेव जी।

एलोपैथिक चिकित्सालयों में पंचकर्म चिकित्सा

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान करोड़ों रुपये की सामग्री के अनुपयोगी पड़े होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य के 26 जिलों में मुख्यालय पर स्थित एलोपैथिक हास्पिटलों में आयुर्वेद पंचकर्म थिरैपी के उपकरणों को भिजवाया जा चुका है एवं अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाये जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया हो चुकी है। परंतु वर्तमान में हालात ये हैं कि किसी भी जिला मुख्यालय पर पंचकर्म चिकित्सा में प्रशिक्षित चिकित्सक और अधीनस्थ स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया है, इस कारण करोड़ों रुपये के उपकरण एवं सामग्री अनुपयोगी पड़ी हुई है। राज्य सरकार ने एक ही छत के नीचे एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना तो बनाई परंतु कार्यरूप में परिणत कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अनेक जिला मुख्यालयों पर पीएमओ द्वारा सकारात्मक सोच के अभाव में पर्याप्त एवं समुचित स्थान तक आयुर्वेद चिकित्सा हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसके कारण आमजन

(श्री केसर देव बाबर)

को आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ऐसे पीएमओज के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें जो आयुर्वेद चिकित्सा आमजन को मुहैया करवाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और समुचित सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। साथ ही मैं मांग करता हूं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पर्याप्त मात्रा में अधीनस्थ स्टाफ की नियुक्ति की जाए, एवं प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सों का पदस्थापन तुरंत किया जाए ताकि राज्य के हर नागरिक को आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय मेरे इस विनम्र अनुरोध को स्वीकार कर सार्थक पहल करते हुए आम जनता को आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राकेशजी मेघवाल।

मकराना में सड़क का क्रमोन्नयन

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि भारत वर्षीय समस्त तीर्थ में प्रमुख कहलाये जाने वाले सब तीर्थों के राजा पुष्कर राज जहां पूरे देश ही नहीं वरन विदेशों से भी लोग दर्शनार्थ एवं भ्रमण हेतु आते रहते हैं, यहां से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय परबतसर एवं 80 किलोमीटर की दूरी पर विश्वविख्यात संगमरमर नगरी मकराना स्थित है। परबतसर शहर से मेगा हाइवे नं. 7 निकलता है जो पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर, जयपुर एवं दिल्ली को जोड़ता है एवं स्टेट हाइवे नं. 21 जो मीरा बाई की नगरी मेड़ता, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ता है। साथ ही विश्वविख्यात मार्बल नगरी मकराना से नागौर होते हुए भी स्टेट हाइवे नं.2बी पूरे विश्व में विख्यात है जहां दुनिया के कोने कोने से व्यापारी मार्बल क्रय करने आते हैं व यहां से तीर्थ नगरी पुष्कर में दर्शनार्थ एवं भ्रमण हेतु पधारते हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण

(श्री राकेश मेघवाल)

विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कड़ैल, बस्सी, भड़सिया होते हुये पीपलाद, वीर तेजाजी की पावन धरती परबतसर जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है, उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) में क्रमोन्नत करवा दिया जाता है तो आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ देश-विदेश से आने वाले मार्बल व्यापारी एवं भ्रमण पर आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को जो पुष्कर के बाद मार्बल नगरी मकराना होते हुए जोधपुर बीकानेर एवं बाड़मेर जैसलमेर की सैर करना चाहते हैं, उन्हें आने-जाने में काफी सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।

अतः माननीय मंत्री महोदय तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कड़ैल बस्सी-भड़सिया होते हुये पीपलाद-वीर तेजाजी की पावन धरती परबतसर जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) में क्रमोन्नत करावाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्रीमती ममता शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री शिवजी राम मीणा।

जहाजपुर के शक्करगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यंत लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शक्करगढ़ में पूर्व में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत था जिसमें महिला चिकित्सक सहित दो चिकित्सक कार्यरत थे जिसे तीन वर्ष पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर का कर दिया गया है तथा स्वीकृत पदों में कटौती करने से वर्तमान में एक चिकित्सा अधिकारी का पद ही स्वीकृत है जिससे आस-पास की पंचायतों में रहने वाले लगभग 35 हजार ग्रामीणों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज के लिए 25-30 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जहाजपुर

(श्री शिवजीराम मीणा)

पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बरोदा, बाकरां, टीटोडाजागीर, बेई एवं धौड तथा भीलवाड़ा जिले की सीमा से लगती हुई बूंदी जिले की हिण्डौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नेगड, थाणा, बसोली, ओवण एवं खेरकटा के निवासियों को इलाज के लिए निकटतम एवं सुविधाप्रद केन्द्र शक्करगढ़ ही रहता है किन्तु इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग नजदीकी चिकित्सा केन्द्र शक्करगढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं नहीं मिलने से सही इलाज के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

अतः मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़ को क्रमोन्नत किया जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

खारची के वीर स्वाधीनता सेनानियों का जन-स्मारक

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान की पावन भूमि अनेकों वीर सपूतों के शोणित से श्रृंगारित हुई है। यहां के वीरों ने अपनी आन, बान और शान की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत को लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था। ऐसे महापुरुषों की शौर्य गाथाओं से राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है। हमें गर्व है कि हमने भी इस पावन माटी में जन्म लिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची का आऊवा भी आजादी का सूत्रधार रहा है।

जब भारत गुलामी झेल रहा था तो ऐसे ही शूरवीरों में से एक थे आऊवा के ठाकुर कुशाल सिंहजी जिन्होंने न केवल 1857 की क्रांति का शंखनाद किया बल्कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्षरत सभी जाति के लोगों को साथ लेकर विद्रोही सेना व उस क्षेत्र के सभी जागीरदारों के साथ मिलकर लोहा लिया।

18 सितम्बर, 1857 को जब अंग्रेजी हुकूमत की संयुक्त सेना ने एक बार मात खाने के बाद पुनः ए जी एस लॉरेंस के नेतृत्व में विशाल सैन्य बल के साथ आऊवा पर आक्रमण कर दिया तब आऊवा ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया और अंग्रेजी हुकूमत के पोलिटिकल एजेंस मांक मेसन का सिर काटकर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

आऊवा गढ़ के मुख्य द्वार पर टांग दिया। इसके कारण ही आऊवा व आऊवा के ग्रामवासियों का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। श्री भोपालराम देवासी, श्री शेराराम मीणा, श्री जीवाराम नायक व श्री रूपसिंह रावत अंग्रेजी सेना के विरुद्ध शौर्य दिखाते हुए युद्ध में सिर धड़ से अलग होने के पश्चात् भी लड़ते रहे, जिन्हें सामन्त जैसे प्रातः स्मरणीय शब्द से अलंकृत किया गया। (जो युद्ध में मातृ भूमि की रक्षा के लिए लड़ते-लड़ते धड़ से सिर अलग होने के पश्चात् भी लड़ते रहते थे उन्हें ही सामन्त जैसे पवित्र शब्द से अलंकृत किया जाता था।) ऐसे तो राजस्थान में सभी जातियों में झुंझार (सामन्त) हुए लेकिन उनको इतिहास में अब तक कोई स्थान ही नहीं मिल सका। यह उल्लेख हस्तलिखित पुस्तकों व स्थानीय क्षेत्र के लोगों की मौखिक कहानियों मात्र तक ही सीमित रह गया।

इसके साथ ही मैं बोगला गांव के 72 रावत वीर सपूतों के प्राणोत्सर्ग का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करते हुए वीर गति प्राप्त की लेकिन इतिहास में उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे अनाम स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति को अमिट बनाए रखने के लिए बोगला चौराहे में उनकी याद में स्मारक बनाया जाए। सुगाली माता के नाम से विख्यात महाकाली की ऐतिहासिक प्रतिमा आज पाली म्यूजियम में रखी हुई है। इस प्रतिमा को अंग्रेजों ने मंदिर से हटवा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार का बदनुमा दाग आज भी आऊवा के देश प्रेमी नागरिकों को साल रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर को अपने मंदिर में पुनर्स्थापित कर जन दर्शनार्थ उपलब्ध करवाया जाए।

अंत में मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जयराम जाटव।

अलवर जिले की सैक्टर रिफार्म पेयजल स्कीमों का विभाग में मर्जर

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत अलवर जिले में ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सैक्टर रिफार्म स्कीमों के संबंध में निवेदन है कि सैक्टर रिफोर्म

(श्री जयराम जाटव)

स्कीम में ग्रामीणों की कमेटी गठित कर स्कीमें बनाकर ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अधिकांश स्कीमों में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्यों में तालमेल नहीं चलने के कारण कुछ कमेटियों में पदाधिकारियों द्वारा राशि का गबन कर लिया गया एवं कुछ में स्वयं के खेतों में खेती के लिए स्कीमें चला रखी हैं। ऐसी स्कीमों में ग्रामीणों को पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। बाकी जिले में अधिकांश स्कीमों का चार्ज ग्राम पंचायत सरपंचों को दे दिया गया है। कई स्कीमों के बिजली के बिल बकाया होने के कारण उनके बिजली कनेक्शन कट गये हैं। ग्राम पंचायतों को ग्रामीणों से इतनी राशि प्राप्त नहीं हो रही है कि बिजली के बिल जमा कराकर स्कीमों को चालू करवा सकें। जिले में कई वर्षों से बरसात कम होने से जल स्तर नीचे चला गया है और पानी की स्कीमों वाले बोरिंग सूख गये हैं। सूखने के बावजूद उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। जल स्तर नीचे जाने से पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। पहाड़ के गांवों में पानी दो-तीन किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। जिले में ग्रामीणों के लिए पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रोफेसर सांवरलालजी जाट से आग्रह है कि जिले की बंद पड़ी एवं निष्क्रिय सैक्टर रिफोर्म स्कीमों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में शामिल कर लिया जाए जिससे ग्रामीणों के पेयजल की व्यवस्था हो सके।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित)। श्री बंशीलाल खटीक।

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में शैक्षणिक विकास तीव्र करने हेतु सुविधाएं

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत समय से निम्न शैक्षणिक समस्याएं बनी हुई हैं जिनका अविलम्ब निदान आवश्यक है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली में अंग्रेजी साहित्य, चित्रकला, अर्थशास्त्र, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली व राजनगर में भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐमड़ी मोही पड़ासली,

(श्री बंशीलाल खटीक)

गिलूण्ड में कृषि संकाय 5 विषयों सहित, राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द में बी.सी.ए. व मैनेजमेंट संकाय की आवश्यकता है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रुचिकर शैक्षणिक विकास हेतु बाल साहित्य व शिशु शिक्षा कक्ष का विस्तार भी आवश्यक बन गया है।

राजसमन्द-रेलमगरा क्षेत्र के ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों एवं संस्थानों सम्बन्धी शोध हेतु 'शोध मंच' की स्थापना में सहयोग राशि का प्रावधान किया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में समग्र शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षक अभिभावक फोरम की स्थापना आवश्यक हो गई है। इसके तहत चयनित शिक्षण संस्थाओं को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली व रेलमगरा में खेल संकुलों की स्थापना द्वारा चिह्नित खेलों में विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी जनहित में आवश्यक हो गया है।

इसी तरह खेल एकेडमी व हवेली संगीत प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन आवश्यक हो गया है। राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के समस्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पोषाहार कार्यक्रम हेतु किचन शेड व एक पृथक् कक्ष का निर्माण आवश्यक है।

राजसमन्द जिला मुख्यालय स्थित जावद में आबंटित भूमि पर नगरपालिका द्वारा डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक सदन का निर्माण भी वांछित है। श्री बाल कृष्ण विद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली के आंतरिक प्रांगण में टेनिस कोर्ट का निर्माण व केन्द्रीय कक्ष का आकार बढ़ाना तथा पुस्तकालय भवन का निर्माण, साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ऐमड़ी में टेनिस कोर्ट का निर्माण बच्चों के खेल के लिए आवश्यक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रेलमगरा व ऐमड़ी के खेल मैदानों का समतलीकरण, पत्थरगढ़ी, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं राजनगर के अरविंद स्टेडियम के पीछे नौ चौकी पाल के नीचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजसमन्द के खेल मैदान की मरम्मत आवश्यक है। यशवंत छात्रावास में कक्ष निर्माण मरम्मत कार्य एवं वॉलीबाल खेल मैदान का विकास एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़, ऐमड़ी व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक

(श्री बंशीलाल खटीक)

विद्यालय, कांकरोली व रेलमगरा में केन्द्रीय कक्ष का निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

श्री सभापतिः श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

रावतसर कस्बे में मेगा हाइवे पर डिवाइडर व ट्रोमा हास्पिटल का निर्माण

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अति महत्वपूर्ण सड़क परियोजना किशनगढ़ से हनुमानगढ़ मेगा हाइवे की शुरूआत की जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मार्ग से जोड़ती है। मेगा हाइवे सड़क पर यातायात करने वाले प्रत्येक नागरिक आपको याद करके धन्यवाद देते हैं। किशनगढ़ से हनुमानगढ तक की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी। इस महत्वपूर्ण मार्ग से वाहनों की मेंटिनेंस घटी है, समय की बचत हुई है एवं यात्रा सुविधाजनक हुई है। सड़क के बनने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, व्यापार में बढोतरी होगी, बेरोजगारी में कमी होगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हनुमानगढ़ जिले की जनता की तरफ से, स्वयं मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेगा हाइवे मेरे विधान सभा क्षेत्र के रावतसर कस्बे के बीचों-बीच से गुजरता है। दोनों तरफ से 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत आबादी विद्यमान है। सड़क क्रास करने में आमजनों को भारी परेशानी होती है। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जान माल का भी नुकसान हुआ है। आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि रावतसर कस्बे के मध्य मेगाहाइवे रोड जो गुजरती है उस पर डिवाइडर बनाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी, आमजन को राहत भी मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेगा हाइवे पर सरकार ने ट्रोमा हास्पिटल खोलने की घोषणा की है। रावतसर कस्बा मापदण्ड के अनुसार सही स्थान है। रावतसर शहर में माननीय राठौड़ साहब जब चिकित्सा मंत्री थे, तब 50 लाख रुपयों की लागत से सरकारी हास्पिटल की बिल्डिंग बनायी थी जिसको उपयोग

(श्री धमेन्द्र कुमार मोची)

नहीं लिया जा रहा है। उस हास्पिटल भवन में ट्रोमा होस्पिटल की स्थापना करायी जाए तो बहुत ही उपयोगी रहेगा, आमजनों को लाभ मिलेगा।

श्री सभापति: श्री केसरदेव बाबर पर्ची पर बोलें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, प्रदेश में करीब 10 सरकारी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। हमारे शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनूं और चूरू तीनों जिले आते हैं, इनमें सरकारी विश्वविद्यालय का अभाव है। इस क्षेत्र के आदरणीय शिक्षा मंत्री जिनका मन शेखावाटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और जिनके तन में शेखावाटी की खुशबू आ रही है, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान).. कालीचरण जी में आ रही है शेखावाटी क्षेत्र की।

श्री सभापति: बिराजें आप।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इनका गांव फतेहपुर है। सभापति महोदय, सीकर जिला मुख्यालय शेखावाटी क्षेत्र का हृदयस्थल है। मैं इनसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सीकर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। सभापति महोदय, मैं इनसे मांग यों ही नहीं करता हूं। सीकर में एक एस.के. कालेज है जिसमें करीब 9600 छात्र रैगुलर पढ़ रहे हैं, करीब 15 हजार छात्र प्राइवेट एग्जाम देते हैं। इस एस.के. कालेज में भवन का अभाव है। जब परीक्षा होती है तब इनके जो अनेक विद्यालय चल रहे हैं उनमें परीक्षा दिलाते हैं, यहां तक कि धर्मशाला भी किराये पर लेनी पड़ती है।

सभापति महोदय, सीकर जिले में करीब 70 निजी महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं और तीनों जिलों में कुल मिलाकर करीब 200 महाविद्यालय काम कर रहे हैं, उनका जुड़ाव राजस्थान यूनिवर्सिटी से है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय पर दबाव इतना अधिक है कि जो विद्यार्थी हैं जिनको अस्थायी प्रमाण-पत्र चाहिए, उनके लिए आवेदन करते हैं तो दो-दो महीने उनको अस्थायी प्रमाण-पत्र नहीं मिलता। इससे जो छात्र पढ़ते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(श्री केसर देव बाबर)

का दर्जा मिलने वाला है तब हमारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। जब हमें दूसरे विश्वविद्यालय से जोड़ देंगे तब हम न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे।

इस विश्वविद्यालय की मांग को पहले भी समय-समय पर जन प्रतिनिधि उठाते आए हैं और आंदोलन भी होते रहते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय से मांग करूंगा कि वे आज इसमें पाजिटिव सोचकर सदन में मुझे आश्वस्त करें कि सीकर क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना जल्दी होगी ताकि राजस्थान विश्वविद्यालय पर भी शेखावाटी क्षेत्र के जो छात्र पढ़ते हैं उनका दबाव न हो और जो फैकल्टी हमारे वहां नहीं है, जैसे- चित्रकला, भूगोल, प्राणीशास्त्र, माइक्रोबायलाजी, बायोटैक, गृह विज्ञान, इस तरह की फैकल्टी वहां हो जिनका लाभ हमें मिले। हमारी गरीब जनता है, गरीब छात्र हैं उनको लाभ मिले। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में शिक्षा मंत्रीजी से मांग करूंगा कि जैसे सांवरलाल जी हैण्ड पम्प लगाते हैं वैसे आप विश्वविद्यालय की स्थापना कर दें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मांगीलाल जी गरासिया।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं।

श्री सभापति: जरूरी नहीं है, पर्ची का रिप्लाई देना आवश्यक नहीं है।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इनकी इच्छा है।

श्री सभापति: We can not compel him. At least I can not compel him.

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, शेखावाटी क्षेत्र का भला हो जाएगा। इनकी इच्छा है कुछ बोलने की।

श्री सभापति: **This is not desirable.** बिराजिए आप। कहना होगा तो वे कह देंगे। **I can not compel him.**

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, अभी कोई विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। वित्तीय साधन जब उपलब्ध होंगे और जब विश्वविद्यालय खोले जाने की बात आएगी तो इनकी बात पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

श्री सभापति: मांगीलाल जी गरासिया।

गोगुन्दा में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में गिर्वा उपखण्ड बहुत ही विस्तृत एरिया में फैला हुआ है, इस गिर्वा उपखण्ड में दो तहसील पड़ती हैं गिर्वा और गोगुन्दा। तीन उप तहसील हैं और 14 भू-अभिलेख निरीक्षक का एरिया पड़ता है जिसमें 105 पटवार वृत्त, 118 ग्राम पंचायतें। 2,89,639 हैक्टेयर इसका भौगोलिक क्षेत्र है और 9,12,198 की जनसंख्या है। यह पूरा एरिया 150 किलोमीटर उपखण्ड गिर्वा के क्षेत्राधिकार का मामला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा दूरदराज के एरिया से गोगुन्दा के लोगों को 90 किलोमीटर आकर गिर्वा में अपना काम निपटाना पड़ता है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासी बहुल अंचल होने के नाते लोगों को आने-जाने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जब बंदूकों के लाइसेंस का मामला होता है तो एक तहसील को पार करके दूसरी तहसील में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से कई समस्याओं से जूझते हुए काश्तकार आर्थिक स्थिति से भी तंगी में आता है और समय व धन की भी बर्बादी होती है। माननीय सभापति महोदय, 90 किलोमीटर दूर जाकर काश्तकार भाई समस्याओं से जूड़ते हैं उनके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अलग से गोगुन्दा उपखण्ड कायम हो जिससे कि वहां एसडीएम मुख्यालय बन सके और काश्तकारों का भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, गिर्वा मुख्यालय की गोगुन्दा से दूरी 35 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामों की दूरी से यहां के काश्तकार भाई आते हैं। मेरा अनुरोध है कि इससे प्रशासनिक तथा कानून व व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है उससे भी निजात मिल पाएगी। इस नवीन उपखण्ड में एक तहसील, एक उप तहसील, 5 भू-अभिलेख वृत्त होंगे और 40 पटवार मण्डल और 45 पंचायतें तथा 223 गांवों का यह एरिया एक नवीन दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र में इस तरह का एक अच्छा उपखण्ड कायम हो सकता है। इसमें एक लाख 893 हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल निर्धारित हो सकता है और 1,71,335 की जनसंख्या का निर्धारण इसमें हो सकता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें 78649 की

(श्री मांगीलाल गरासिया)

जनसंख्या एसटी की शामिल है और यह एरिया यदि उपखण्ड गोगुन्दा बनता है तो उस एरिया के काश्तकारों का और प्रशासनिक कानून-व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बड़ा संबल मिल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पूरी प्रशासनिक रिपोर्ट भी सरकार के पास में विचाराधीन है और 12.11.2000 की प्रस्तावित रिपोर्ट भी हमने सरकार के पास भेज रखी है। मैं, माननीय सभापति महोदय, इसीलिए अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि इसी वित्त वर्ष में गोगुन्दा उपखण्ड कायम हो सके। अन्य दूसरे एरिया के बजाय वहां गोगुन्दा उप खण्ड कायम करना नितांत आवश्यक है। सभापति महोदय से छिपी हुई बात नहीं है और माननीय गृह मंत्रीजी भी इस एरिया से वाकिफ हैं, वह भी मेरा समर्थन करेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गोगुन्दा उपखण्ड हमारा मुख्यालय बन सके जिससे कि वहां पर हजारों काश्तकारों का भला हो सके। मेरा यही अनुरोध, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से है। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापतिः श्री राजकुमार रिणवा ।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से जवाब दिलवाइए।

श्री सभापतिः अभी कौन जवाब दे सकता है ? आपने गृह मंत्री के नोटिस में ला दिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं नोटिस में लाया इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार आश्वस्त करे कि यह काम हो सके। मेरा अनुरोध है आपसे।

श्री सभापतिः इसका इतनी आसानी से उत्तर नहीं दिया जा सकता आप भी जानते हैं, गरासिया साहब। माननीय रिणवा साहब।

गौ संवर्धन व संरक्षण के उपाय

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान और गांव प्रधान देश है और कृषि और गांव का सीधा संबंध पशुओं से है और पशुओं में प्रमुख है गाय। गायों की स्थिति की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से किसान और गांव का भला नहीं होना है। जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, 50 लाख गायें हर साल हमारे भारत

(श्री राजकुमार रिणवा)

वर्ष से कम होती जा रही हैं और आने वाला समय इतना खतरनाक समय आ रहा है कि हमें देशी नस्ल की गाय देखने को नहीं मिलेगी। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। गाय भारत की आत्मा है। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ने अपना कर्मयोग गौ सेवा से शुरू किया था। जन्म देने वाली मां कुछ महीनों तक दूध पिलाती है। गाय घास-तृण खा कर मरण पर्यंत हमको अमृत के समान दूध, दही, घी सब देती है। आज हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम क्या कर रहे हैं ? विदेशी षड़यंत्रों के चक्कर में फंस कर और कुछ अपने आर्थिक लाभ के चलते जिसको काउ कहते हैं, हम उसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं और इतना बड़ा हमारी देशी नस्ल की गायों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनका कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं। यह गायों के साथ अन्याय है। मेरी सरकार से माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से पुरजोर प्रार्थना है, उनकी पूरी मंशा है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि किसी भी तरह से गौ-वंश की रक्षा हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं की स्थापना हो, नंदी शालाओं की स्थापना हो। हम हर चीज को आर्थिक आधार से नहीं देखें। हमारी एक श्रद्धा है, हमारी एक भावना भी उसमें होनी चाहिए। आज हमारे मां-बाप कमाते थोड़े ही हैं, वृद्ध हो गये मगर हमारी भावना है उनमें। आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज की क्या कीमत है, यह नहीं देखते हैं, हम उसके लिए करोड़ों लोग कुर्बान हो जाते हैं। आज हमारी गाय की रक्षा होनी कितनी जरूरी है, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर गौ-शालाएं, नंदी शालाएं बनाएं और हमारी देशी नस्ल की जो राठी है, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज है, इनकी किसी तरह से रक्षा करें, जिनका विश्व में कहीं भी कोई भी मुकाबला नहीं है। यह हमारे वैज्ञानिक लोग प्रमाणित कर चुके हैं। इसमें इसका जो खाद है, जो इसका गौ-मूत्र है, पंचगव्य है, इसके जो पांच अमृत हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गौ मूत्र, इन पांचों को अमृत के बराबर माना है। औषधियां बनती हैं गौ मूत्र से तो और गोबर का तो हमारे यहां इतना महत्व बताया गया है कि खाद के अलावा हमारे धर्म के हिसाब से तो हम इसमें लक्ष्मी का बास मानते हैं। अगर घर से निकलते हैं उस टाइम पर गाय का गोबर मिल जाए तो उसकी यात्रा सफल मानी जाती है। इस तरह की हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। किसी भी तरह से हम मानते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी चेष्टा हमारी सरकार कर रही है और हमारे राजस्थान में गौ वंश पर प्रतिबंध भी है, पर

(श्री राजकुमार रिणवा)

सात राज्यों में जो गौ वध हो रहा है उसके चलते इतनी ज्यादा स्मगलिंग हो रही है, सरकार की पूर्ण चेष्टा के बावजूद भी स्मगलिंग रूक नहीं रही है। स्मगलर्स का दुस्साहस देखिए पूर्व में मीठा लाल सैनी एक एएसआई ने एक ट्रक को रोकने की चेष्टा की तो स्मगलर्स ने उनको कुचल दिया। आज हम पुलिस की अकर्मण्यता की, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं पर इस तरह का एक पुरस्कार भी होना चाहिए जो गाय की ज्यादा सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं, उन लोगों को मीठा लाल सैनी पुरस्कार के नाम से सरकार की तरफ से उनको सम्मानित किया जाए। मेरी यह इच्छा है।

मैं निवेदन करता हूं आपके द्वारा, कि इस तरह का आपका संविधान बन रहा था उस टाइम एक आपको बताऊं, कि एक इस तरह की भावना है, इस तरह का भ्रम हमारे पोलिटिकल लोग फैलाना चाहते थे कि इससे शायद साम्प्रदायिकता का कुछ होगा, शायद मेरे मुस्लिम बंधु नाराज होंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान में जब हो रहा था स्थापना के टाइम में तो जो संविधान की कमेटी थी उसमें जेड एम लारी और अकरम अंसारी, इन दोनों सदस्यों ने पुरजोर चेष्टा की थी कि इसको मौलिक अधिकारों में लिया जाए, सैक्शन 48 में लिया जाए। जैसे शेर है, मोर है, बहुत-से पशु पक्षी ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकारों के अन्दर अवैध घोषित किया गया था। गाय को नहीं लिया गया, हमारा दुर्भाग्य था। मगर हमें एक संकल्प पारित करना चाहिए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी विधायकों से और मंत्रियों से हम सम्पर्क दो दिनों में, तीन दिनों में कर पाये हैं, उन सब ने पुरजोर हमें पूर्ण सहयोग, चाहे विपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों, सब ने कहा है कि इस मुद्दे पर हम दिल दिमाग से पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें यह जो सत्र है, यह गौ रक्षा के लिए समर्पण करना चाहिए कि हम कम से कम राजस्थान में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आपको बताएं कि अगर दो-दो लाख रुपये भी, मात्र दो लाख रुपये में हर पंचायत के अन्दर गौ शाला की स्थापना हो जाएगी और गांव के लोग एक एक रुपया महीने के हिसाब से उसके मैम्बर बन जाएंगे। हमारे तो धर्म में नियम है कि जब हम खाना खाते हैं तो पहली रोटी गाय के नाम से बनती है, गाय ग्रास के नाम हर सदस्य एक-एक रुपया दे देगा गांव का। ज्यादा चेष्टा करेगी, सरकार मदद करेगी कुछ ज्यादा, जो दानदाता हैं, भामाशाह हैं, उन लोगों से चेष्टा करेंगे हम कि किसी भी तरह से गौ शाला का अनुदान करें। अभी सबसे बड़ी स्कीम आई

(श्री राजकुमार रिणवा)

है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमें मिल सकता है। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में प्रस्ताव हम केन्द्र को भेजें कि इसमें जो काम हो रहे हैं, उनमें गौ शालाएं बनाएं। हम सुनते हैं, आज 20 गायें मर गईं, 50 गायें मर गईं, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं हो सकतीं। ग्रामीण स्तर पर अगर 10-20-30 गायों का, 10-20-30 नदियों का अगर हम करेंगे पालन तो एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको आत्मा से कह सकता हूं कि यह बहुत बड़ा हमारे प्रदेश का धर्म बढ़ जाएगा। अगर हम गायों की रक्षा कर सकेंगे तो आज 126 करोड़ मुख्य मंत्री जी ने एक पैकेज दिया है पाला के लिए जो किसान पीड़ित हो गये हैं, मैं बोलूं, गायों की रक्षा करना आप शुरू कीजिए, इस तरह से आपके कभी पाला नहीं पड़ेगा। ये 126 करोड़ रुपये आप मिनी गौशालाओं और नंदी गौशालाओं के लिए लगाइए और फिर इसका रिजल्ट देखिए आप। तो मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि इस तरह का एक संकल्प पारित हो, हम केन्द्र को भेजें कि मौलिक अधिकारों में सैक्शन 48 में इसको लिया जाए ।

दूसरे जो कृषि मंत्री महोदय भी बैठे हैं, कृषि की उपज में जो देशी घी के ऊपर और अन्य पर टैक्स लिया जाता है, उसको गौ संवर्धन में लगाया जाए। सड़कें पीडब्ल्यूडी भी खुद बना रही है और भी मुख्य मंत्री जी की तरफ से भी खूब इसमें कर रहे हैं, पीएमजीएसवाई से भी आ रहा है, तो सड़कों पर उतना रुपया नहीं लगा कर अगर वह रुपया गौ संवर्धन के लिए लगाया जाए तो यह बहुत बड़ा काम हो सकता है।

हरा चारा जो है वह गऊओं के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में गोचर भूमि उपलब्ध है, उसके अन्दर ट्यूबवैल बनाकर माननीय जल संसाधन मंत्री भी बैठे हैं, इस तरह की व्यवस्था करके एक बहुत पुनीत काम हम कर सकते हैं। अगर मेरे को मुख्य मंत्री महोदय, सभापति जी, आपके द्वारा मैं निवेदन करूं, वह अगर इजाजत देते हैं तो मैं यह पायलेट प्रोजेक्ट है वह रतनगढ़ तहसील से शुरू कर सकता हूं। हमारे यहां 32 पंचायतें हैं, 6-7 में आलरेडी गौशालाएं चल रही हैं, बाकी की हम किसी तरह से व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। तो यह मेरी बहुत बड़ी आपसे मांग है।

श्री सभापति: आप जरूर स्टार्ट करें। माननीय हरिसिंह जी।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): बहुत बड़ा एक कार्य है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार का क्या ख्याल है इनके सुझाव पर, कुछ बोलो तो सही सामने वाले भी?

श्री सभापति: माननीय हरिसिंह जी रावत।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो चुपचाप ही बैठे हो। गौ रक्षा के नाम पर वोट तो ले लिये और इनकी बात पर बोलो नहीं। आप बोलो तो सही, आपकी क्या योजना है? वह हर ग्राम पंचायत पर जो गौ सेवा के दृष्टिकोण से बढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो बोलो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप समर्थन कर रहे हैं न ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, कर रहा हूं न।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप बिराजो तो सही, फिर बोलेंगे न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह क्या बात हुई ?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप बिराजो तो सही फिर बोलेंगे न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो फिर विरोध क्यों है ? ...(व्यवधान) इस नाम से सरकार बनाने वाले भी तो कुछ बोलें।

(समय : 14.00 बजे)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हरिमोहन जी, आप आसन ग्रहण करें तब तो वे कुछ बोलें।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): ..... मैं हार्दिक आभारी हूं उनका, भगवान उनका भला करे।

श्री सभापतिः मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि गौ-वंश के संरक्षण और संवर्द्धन के बारे में रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है, उस सम्बन्ध में मैं सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में गौ-वंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए राजस्थान की जो हमारी चार प्रमुख नस्लें हैं राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज, उसको बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। हम लोगों ने राजस्थान में 4 फार्मों पर गौ-वंश के संवर्द्धन के लिए, संरक्षण के लिए 22 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है और शीघ्र हम देशी गौ-वंश को बचाने का काम करेंगे।

दूसरा, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि गौ-वंश

(श्री प्रभुलाल सैनी)

के संरक्षण के लिए गौ-शालाओं का खोला जाना आवश्यक है। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान गौ-शाला अधिनियम, 1960 बना हुआ है उसमें गौशालाएं बनाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई भी संस्था, कोई भी एन. जी. ओ. या कोई भी व्यक्ति यदि गौशाला खोलना चाहता है, गौशालाओं के लिए काम करना चाहता है तो जहां गौशालाएं खोली जाएंगी, अगर वो अभावग्रस्त क्षेत्रों में होंगी तो उन गौशालाओं में बड़े पशु के लिए 18 रुपये प्रति दिन प्रति पशु और छोटे पशु के लिए 9 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से उनके भरण-पोषण और चारे के लिए दिये जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में गौ-सेवा आयोग भी बना हुआ है। गौ-सेवा आयोग का मुख्य काम यही है कि वे इस बात को ध्यान में रखे कि कहीं गौ-वंश का वध तो नहीं किया जा रहा है। उस पर वो सुपरविजन रखें, उसकी जानकारी रखें और यदि इस प्रकार का गौ-वंश का वध कहीं किया जा रहा है......

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, यह तो बता दो कि हिंगोनिया में कितनी गायें मर रही हैं? रोजाना हिंगोनिया गौशाला में कितनी गायें मर रही हैं यह तो बता दो आप?

श्री सभापति: बिराजो आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): बिराजूं क्या, जयपुर नगर निगम से संचालित गौशाला के अन्दर कितनी गायें भूखी मर रही हैं? कोटा में कितनी गायें भूखी मर रही हैं? यह तो बताओ, मंत्री जी।

श्री सभापति: बिराजो। इन्हें बोलने दें आप।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): भूख से कोई गाय नहीं मर रही है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): भूख से मर रही है, भूख से मर रही है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नहीं, बीमारी से मर रही है, भूख से कोई गाय नहीं मर रही है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपको नहीं बोलने के लिए कागज दिखा दूंगा। मैं टेबल करने को तैयार हूं। भूख से गायें मर रही हैं, आपके इलाज के उपचार के अभाव में मर रही हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपकी वहां पर प्रोपर व्यवस्था नहीं है इसलिए मर रही हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराजो। किसी पर्ची के माध्यम से कोई बात उठी तो मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जवाब दे रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है मंत्री जी से बात पूछने का।

श्री सभापतिः इस तरीके से बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आप जबरदस्ती किसी बात को.....

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): हमारा अधिकार है, मंत्री जी अगर गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है।

श्री सभापतिः .....वो बोल रहे हैं वह अलग बात है, अदरवाइज अधिकार नहीं है। नो-नो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह कोई अधिकार नहीं है, यह तो दादागीरी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): वह तो आप कर रहे हो बैठे बैठे। यह कौनसा तरीका है दादागीरी का?

श्री सभापतिः बिराजो आप।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं उसको भी दादागीरी की परिभाषा में ला रहे हो।

श्री सभापतिः ......बात पूरी करने दें अब।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि पहले वो इस बात के पूरे तथ्यों की जानकारी अपने ध्यान में लें। यह पशुपालन विभाग के द्वारा.....

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री जी, मेरे पास तथ्य हैं और तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): आप मेरी बात सुन लीजिये, माननीय विद्वान जी। मानता हूं कि आप जब बोलते हैं तब पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं लेकिन मेरी बात जरा सुनिये, क्योंकि बोलने की आदत आपकी जरा ज्यादा हो सकती है लेकिन हम जो कुछ भी कहेंगे आपको, वही बात कहेंगे जो सत्य होगी। हिंगोनिया गौशाला.... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): हम असत्य नहीं बोलते हैं, हम भी सत्य बोलते हैं। आपके ध्यान में लाना चाहते हैं।

श्री सभापतिः आप बिराज जाइये न। वो कुछ बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): आप असत्य नहीं बोलते हैं लेकिन जरा मुस्कुरा कर बोला करें। आपके बोलने से आपका जो बोलने का भाव है वह अच्छा भाव भी बुरा लगता है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः यह कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): इसलिए हिंगोनिया गौशाला पर जो चर्चा हुई है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित किया है, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि नगर निगम के द्वारा इस गौशाला को संचालित किया जा रहा है। समय-समय पर पशुपालन विभाग द्वारा कई टीमें भेजकर वहां हम लोगों ने उपचार की व्यवस्था भी की है और चिकित्सक भी हम लोगों ने लगा रखे हैं। नगर निगम उस पूरे कार्य को देखती है। जहां तक गौ-वंश के वध का प्रश्न है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा.... (व्यवधान) बात तो सुनिय।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हकीकत क्या है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कितनी आप गायों की रक्षा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापतिः बिराजिये आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप बिराज जाएं। बिराज जाएं। इनको बोलने ही नहीं देते, यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): जैसा कि रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित किया है, राजस्थान में गौ-वंश का वध किया जा रहा है उस पर प्रतिषेध है। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां पर गौ-वंश का वध, प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन निर्यात विनियमन अधिनियम, 1995 लागू हुआ है। इसमें इतने सख्त प्रावधान किये हुए हैं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हरिमोहन जी विधि के ज्ञाता हैं, वो जानते भी हैं कि इसमें धारा 3 में इतने बड़े प्रावधान किये गये हैं कि

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किसी भी गौ-वंश को लेकर जाएगा या उसका वध कराएगा या किसी प्रकार लिप्त पाया जाएगा उसमें एक साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान दिये हुए हैं। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी चाही कि धारा 48 में गौ-वंश को भी सम्मिलित किया जाए। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि एक सेण्ट्रल एक्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल क्रूअल्टी एक्ट, उस एक्ट के अन्तर्गत 5 ऐसे पशु हैं जिनमें शेर भी है, गाय भी है, मोर भी है, उनको राष्ट्रीय पशु और पक्षी के रूप में सम्मिलित किया गया है। उस अधिनियम में 10 साल से आजीवन कारावास तक के प्रावधान दिये हुए हैं। इसलिए मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार गौ-वंश के संवर्द्धन के लिए, संरक्षण के लिए तत्पर है। हम लोग इसमें हर समय योजनाएं बनाकर सरकार की ओर से गौ संवर्द्धन का काम करते हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नगर निगम हिंगोनिया गौशाला संचालित कर रहा है या नहीं? अगर कर रहा है तो उसमें जो गायें मर रही हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आज भूख से मर रही हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, उनको सूखा चारा मिल रहा है।

श्री सभापति: बिराजिये आप। श्री हरिसिंह जी रावत।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करें?

श्री सभापति: बिराजो आप। माननीय हरिसिंह जी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक बार पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात हो जाए फिर हिंगोनिया गौशाला की बात भी हो जाएगी। कितना संवेदनशील मुद्दा था और माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता से इसका जवाब दे रहे थे कि राजस्थान सरकार गौ संवर्द्धन, गौ संरक्षण के लिए और गौ वध को निषेध करने के लिए कानून बनाने जा रही है, जो कर रही है उस मुद्दे को आप इतना.....

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जो कानून बना हुआ है उसका तो पालन करो। जो कानून बना हुआ है, नगर निगम उसको संचालित कर रही है उसका तो कुछ करो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): .....आप इतने गंभीर मुद्दे को इतना डाएल्यूट कर रहे हैं, यह बड़ा समझ से परे है।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): पंचायत स्तर पर छोटी गौशालाएं होने से बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय हरिसिंह जी रावत।

भीम विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के पेयजल के सम्बन्ध में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है और मगरा क्षेत्र भी इस प्रकार से है, जिस प्रकार एक कहावत है कि ऊँट का थुम होता है उस ऊंट के थुम की तरह मेरा मगरा क्षेत्र है, जब पानी भरता है तो एक तरफ मारवाड़ चला जाता है और दूसरा पानी मेवाड़ में चला जाता है जिससे मेरे यहां पर पेयजल की समस्या रहती है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं हमारी मुख्य मंत्री माननीया वसुंधरा राजे सिंधिया जी और जल संसाधन मंत्री श्री सांवर लाल जी जाट साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी बदौलत मेरे यहां पर पेयजल समस्या के समाधान के लिए 22 किलोमीटर भोमादेह से पाइप लाइन आई जिससे भीम से लेकर भोमादेह तक जितने भी बीच में गांव पड़ते हैं उनकी पेयजल समस्या का समाधान हुआ। सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पानी की समस्या थी उसके लिए भी इन्होंने काफी योजनाएं बनाई और वो योजनाएं काफी क्रियान्वित भी हुईं। उसके अन्तर्गत काफी गांवों में पानी उपलब्ध हो रहा है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है, जो पाइप लाइन डाली जा रही है वह सीमेंट की पाइप होने की वजह से पूरा रॉकी और चट्टानी एरिया होने से वो पाइप लाइन सक्सैस नहीं हो पा रही है। एक कहावत है कि मुर्गी जान से जा रही है लेकिन खाने वाले को मजा नहीं आ रहा है। यह कहावत चरितार्थ हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां मेरी राइजिंग पाइप लाइन जा रही है उस पाइप लाइन मे मैटेलिक पाइप डाली जाए ताकि पानी जिन गांवों में जा रहा है वो उनको कम्प्लीट मिल सके। हालात ये हो रहे हैं कि प्रैशर से पूरे पाइप टूट जाते हैं जिससे पानी जिस जगह जाना चाहिए वहां पहुंच ही नहीं रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पाइप लाइन जितनी भी सीमेंट की है उसको चैंज करके मैटेलिक लाइन डाली जाए।

सभापति महोदय, दूसरा, हमारे यहां पर हैण्डपम्प भी मंत्री महोदय की

(श्री हरीसिंह रावत)

बदौलत काफी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लगे हैं लेकिन अभी जो नये पाइप वितरित किये जा रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से जब भी हैण्डपम्प चालू करते हैं तो उसमें जंग का पानी आ रहा है। मेरा निवेदन है कि उन पाइप की भी टैस्टिंग की जाए और पाइप चैंज किये जाएं।

दूसरा, जिस प्रकार मेरे भीम की पानी की समस्या का स्थायी समाधान हुआ उसी प्रकार मेरा जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे यहां छापली में आपके द्वारा जो 63 लाख की एक हरिसागर पेयजल योजना के अन्तर्गत सैंक्शन हुई वह अगर उसमें जोड़ दें तो मैं सोचता हूं कि हमारे देवगढ़ में भी पानी का स्थाई समाधान होगा। छापली से देवगढ़ तक के बीच में जितने भी पड़ने वाले गांव हैं, उनको भी पानी मुहैया हो जायेगा और देवगढ़ नगर के लिए भी पानी का स्थाई समाधान हो जाएगा। अभी जो योजना है वह केवल आठ मीटर की है, अगर 25 मीटर तक उसकी हाइट बढ़ा दी जाएं तो मैं सोचता हूं कि बीच में आठ-दस पड़ने वाले गांव हैं, प्लस देवगढ़ नगर को भी पानी मिल सकेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी आठ मीटर की हाइट है, उसको 25 मीटर तक कराया जाए।

दूसरा लसानी में भी हमेशा पानी की समस्या रहती है इसलिए वहां पर भी दाता का देव एनीकट का प्रस्ताव विचाराधीन है, अगर उसको भी बना दिया जाए तो वहां लसानी के लिए भी स्थाई समाधान हो सकेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा विचार किया जाए।

तीसरा, मेरे क्षेत्र में 1500 से अधिक की आबादी वाले गांव हैं, जो वर्ष 2000 की आबादी के अनुसार है, 10 गांव ऐसे हैं जहां पानी की अत्यन्त आवश्यकता हैं, जो सिंचाई के क्षेत्र में आते हैं। काला गुमान, मियाला खेत, डांसरिया, तीतरी, शेखाबास, बार, राजवा, लसाड़िया, सदाभोज का बाडिया, डूंगरखेड़ा, ये 10 गांव ऐसे हैं, यहां पर 2000 और 2000 से ऊपर की जनसंख्या है। अगर इन्हें भी जनता जल योजना से जोड़ दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि वहां पर हमारा पानी का स्थाई समाधान हो जाएगा।

तीसरा, जो फ्लोराइड प्रभावित गांव हैं, जैसे कुशलपुरा चाक हीराज, समेलिया, भीलखेड़ा वहां पर न तो हैण्डपम्प लगा सकते हैं क्योंकि फ्लोराइडयुक्त गांव में हैण्डपम्प भी सक्सेस नहीं है, पानी अच्छा नहीं है। मेरा

(श्री हरीसिंह रावत)

निवेदन है कि वहां आबादी कम है लेकिन अगर उन्हें भी जनता जल योजना से जोड़ दिया जाए तो वहां पर भी स्थाई समाधान हो जाएगा। ये सब जो मैंने आपको बताये हैं, ये अगर मेरे सब काम होंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता जो एक सपना देख रही है कि राष्ट्र के अन्दर हमारा राजस्थान भी हो, जो बीमारू प्रदेश की परिधि से बाहर निकलकर सम्पन्न प्रदेश बनेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसी के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, मैं भी इस मामले में कहना चाहता हूं। भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भोमादा बांध की बात की है, भोमादा बांध रायपुर क्षेत्र में आया हुआ है, माननीय जलदाय मंत्रीजी वहां पधारे थे और वहां उन्होंने भीम की स्कीम बनाई, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन घर का पूत कुंवारा डोले और पड़ोसी के फेरे, इनको तो पानी दिया जा रहा हे और हमारी पंचायत बाकी है। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि अभी भी वहां पर लोगों ने अनशन किया, वहां पर लोगों ने हड़ताल की कि मंत्रीजी से बात करेंगे। चार करोड़ रुपये की स्कीम जो आपके यहां पड़ी हुई है, कृपा करके उसको पास कर दो। अन्यथा माननीय मंत्रीजी, वहां पर जितने भी रावत समाज के लोग हैं, आन्दोलन करेंगे, भीम को पानी जाने नहीं देंगे। अगर आप इनको पानी देना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आप हमारी पंचायत को पानी दीजिये और फिर आप भीम में पानी ले जाइये। मंत्री महोदय, इसकी कोई व्यवस्था करें अन्यथा इस आन्दोलन की जिम्मेदार यह सरकार होगी।

श्री सभापति: बिराजिये आप, बिराजिये। अधिसूचना। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कृषि विभाग

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्न पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री प्रभुलाल सैनी)

1- अधिसूचना संख्या : प.4(79)कृषि/ग्रुप-2/2002 दिनांक 27 अप्रैल, 2005 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-2 दिनांक 9.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.15(10)कृषि/2-बी/90 दिनांक 27.9.91 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-1 दिनांक 9.3.2007 जिसके द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 7.4.2007 जिसके द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट नियम, 1963 में संशोधन किया गया है; एवं

5- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 7.4.2007 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9.3.2007 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

श्री सभापतिः श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना का आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 2006-07

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापित महोदय, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री युनुस खान, परिवहन मंत्री, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य विद्यत उत्पादन निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 2007 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 21)

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2008 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 26 फरवरी, 2008 से 17 मार्च, 2008 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2008 बुद्धवार, दिनांक 27 फरवरी, 2008 गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2008	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 पर सामान्य वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
शनिवार, दिनांक 01 मार्च, 2008 रविवार, दिनांक 02 मार्च, 2008	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2008 मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2008 बुद्धवार, दिनांक 05 मार्च, 2008	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
गुरुवार, दिनांक 06 मार्च, 2008 शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2008 शनिवार, दिनाक 08 मार्च, 2008 रविवार, दिनांक 09 मार्च, 2008	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 बुद्धवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(आय-व्ययक अनुदान वर्ष 2008-2009 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगे मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 14 मार्च, 2008 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।)

शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 2008	राज्य में अकाल की स्थिति पर चर्चा
रविवार, दिनांक 16 मार्च, 2008	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2008	राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

जन लेखा समिति (क्र.सं. 223 से 248)

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। डा. सी.पी. जोशी, सभापति, जन लेखा समिति, 2007-2008 समिति के 26 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2007-2008 के निम्नांकित 26 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. जनलेखा समिति, 2005-06 के 108वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 223वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2006-07 के 173वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 224वां प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति, 2006-07 के 155वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान

(डा. सी.पी. जोशी)

सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 225वां प्रतिवेदन।

4. जनलेखा समिति, 1999-2000 के 28वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 226वां प्रतिवेदन।

5. जनलेखा समिति, 2006-07 के 156वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 227वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 2001-02 के 108वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 228वां प्रतिवेदन।

7. जनलेखा समिति, 2004-05 के 73वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 229वां प्रतिवेदन।

8. जनलेखा समिति, 2003-04 के 214वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक सिमति का 230वां प्रतिवेदन।

9. जनलेखा समिति, 2005-06 के 103वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 231वां प्रतिवेदन।

10. जनलेखा समिति, 2005-06 के 129वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 232वां प्रतिवेदन।

11. जनलेखा समिति, 2003-04 के 207वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 233वां प्रतिवेदन।

12. जनलेखा समिति, 2006-07 के 186वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 234वां प्रतिवेदन।

(डा. सी.पी. जोशी)

13. विनियोग लेखे वर्ष, 2003-04 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों के मामलों पर समिति का 235वां प्रतिवेदन।

14. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के वर्ष 2001-02 के पैरा संख्या 44.2 ग्रामीण विकास, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, पशुपालन, जल संसाधन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 236वां प्रतिवेदन।

15. जनलेखा समिति, 2006-07 के 175वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 237वां प्रतिवेदन।

16- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के वर्ष 2002-03 के पैरा संख्या 4.1.1 वन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 238वां प्रतिवेदन।

17- विनियोग लेखे वर्ष-2004-05 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरकों के मामले पर समिति का 239वां प्रतिवदेन।

18. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों (सिविल) में समाविष्ट पंचायतीराज विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 240वां प्रतिवेदन।

19. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2004 -05 के पैरा संख्या 4.2.6, 4.1.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग, पैरा संख्या 4.3.3 सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय मामले, पैरा संख्या 4.4.4. भू-संरक्षण तथा पैरा संख्या 4.4.6 प्राथमिक शिक्षा, वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 241वां प्रतिवेदन।

20. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों (सिविल) वर्ष 2005-06 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 4.1.5, 4.3.1 तथा 4.4.3 गृह विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 242वां प्रतिवेदन।

21. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सिविल) के वर्ष 2003-04 के

(डा. सी.पी. जोशी)

अनुच्छेद संख्या 3.2 तथा 4.2.12 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 243वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट उच्च शिक्षा एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 का अनुच्छेद संख्या-4.6.6., देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित वर्ष 2004-05 का अनुच्छेद संख्या 4.4.1, पर्यावरण विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 4.4.4, वित्तीय भाग से संबंधित वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 1.7.3, वन आयुर्वेद एवं महिला बाल कल्याण विकास विभाग से संबंधित वर्ष 2005-06 के अनुच्छेद संख्या- 4.4.1 तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या-4.4.2 से संबंधित मामलों पर समिति का 244वां प्रतिवेदन।

23. जनलेखा समिति, 1999-2000 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 31, 32 एवं 36वें तथा जनलेखा समिति, 2002-03 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 134 एवं 135वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 245वां प्रतिवेदन।

24. जनलेखा समिति, 2003-04 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 208 एवं 209वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 246वां प्रतिवेदन।

25. जनलेखा समिति, 2006-07 के 185वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 247वां प्रतिवेदन।

26. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का पैरा संख्या 4.1.10 एवं 5.1 से संबंधित मामलों पर सिमति का 248वां प्रतिवेदन।

श्री सभापति : श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। **(अनुपस्थित)**

(श्री सभापति)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर: स्थापन

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 पर बहस होगी। मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए 16 घंटे का समय उपलब्ध है। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :-

भारतीय जनता पार्टी – 9 घंटे 43 मिनट, इण्डियन नेशनल कांग्रेस – 4 घंटे 24 मिनट, इण्डियन नेशनल लोकदल – 15 मिनट, जनता दल (युनाइटेड) – 10 मिनट, बहुजन समाज पार्टी – 10 मिनट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – 5 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी – 5 मिनट, निर्दलीय – 01 घंटे 03 मिनट। यह इस प्रकार से 16 हुआ। अब, माननीय डाक्टर सी.पी.जोशी, प्रारम्भ करें आप।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2008-09 का जो बजट प्रस्तुत किया गया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष बनने के बाद पहला भाषण है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उस सम्बन्ध में मैं, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सरकार का अंतिम बजट है। (व्यवधान) अच्छा बजट है, मानना चाहिए आपको। पर सुनने में जरा ठीक रहेगा फिर आप बोल लेना। नहीं बोलने के लिए आपको पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी बनाया है, बाकी वहां रखते।

सभापति महोदय, इस बजट को बनाने के पीछे जो सिद्धांत है उसको ठीक ढंग से हम नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि बजट की जो परिणति है वह परिणति पिछले चार बजट जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये, उसी तरह की होगी। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की आर्थिक सलाहकार परिषद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्य मंत्रीजी की क्या टिप्पणी है, मैं समझता हूं कि उससे मैं अपनी बात प्रारम्भ करूंगा, माननीय सभापति महोदय। उनका जो दृष्टिकोण है, मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं, ''राज्य का बजट घाटे के स्थान पर सरप्लस में आया है। राजस्व घाटा भी समाप्त हो रहा है। पैसा आने के रास्ते खुले हैं, उससे आर्थिक समृद्धि आई है। राज्य सरकार को घोषणाओं पर अमल करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है लेकिन आर्थिक समृद्धि ऐसी नहीं है कि उसे सुखद कहा जा सके। कर्ज ग्राफ बढ़ रहा है, कर्ज पर लगने वाला ब्याज जरूर कांग्रेस शासन से थोड़ा कम हुआ है। राज्य को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाने की कल्पना ऐसी स्थिति में तो नहीं की जा सकती। हम किसी भी क्षेत्र में पहले नम्बर पर नहीं हैं। यहां की भौगोलिक स्थितियां भी ऐसी नहीं हैं। जहां तक निवेश का सवाल है, बातों के अनुरूप नहीं हुआ। व्यवसायी यहां आने की बजाय एक्सपोर्ट जोन में जाना पसंद करता है। सेज आया है उससे भी रोजगार की विशेष उम्मीद नहीं की जा सकती है। सेज में आईटी जैसे क्षेत्र के लोग आ रहे हैं जो अधिकतर मैन पावर अपने साथ लेकर आएंगे। हमारे यहां तो काटेज, लघु उद्योग व हस्तशिल्प क्षेत्र से ही बात बन सकती है। लाखों लोगों को रोजगार भी इन्हीं से मिल सकता है। बड़ी इण्डस्ट्री के स्थान पर इन क्षेत्रों पर

(डा. सी.पी. जोशी)

ध्यान देने की जरूरत है। हस्तशिल्प में तो प्रतिस्पर्द्धा भी इतनी नहीं है। गुणवत्ता पर ध्यान अवश्य देना होगा क्योंकि सब्जी भी आज रिलायंस जैसे शोरूम में बिक रही है। विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आने का राजस्थान के लिए तो एक ही फार्मूला है, किसान, मजदूर और निवेशक के बीच में सामंजस्य की कारगर नीति बनाई जाए। ''यह सभापति महोदय, मैंने इसलिए कोट किया'' मुझे बहुत खुशी है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह साथ में प्रद्युम्न सिंहजी वाला भी कोट कर दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह आप पर छोड़ा मैंने। माननीय सभापति महोदय, यह मैंने इसलिए कोट किया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पिछले बजट पेश किये हैं उन बजट की परिणति भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के ध्यान में आए तो मैं समझता हूं कि हम चीजों को ठीक ढंग से चर्चा कर पाएंगे।

12 जुलाई, 2004 को मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया, उस बजट प्रस्तुत करने में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन विकास व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन, दोबारा पढ़ रहा हूं, अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार तथा आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास । उस बजट प्रस्तुत करते समय, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में कहा ''शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों वाले प्रत्येक जिले में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला जाएगा जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें आदि सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के बालक-बालिकाओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ 61 लाख रुपये की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाएगी।'' मैं आगे जाकर बताऊंगा कि यही 2008 में वापस कोट किया है। यह 2004 का भाषण है सभापति महोदय। सभापति महोदय, उसी भाषण में यह कहा गया- ''राज्य में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त

(डा. सी.पी. जोशी)

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष विश्व बैंक की सहायता से 472 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान हैल्थ सिस्टम प्रोजैक्ट प्रारम्भ किया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष 92 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।'' राज्य में चल रहे, माननीय घनश्यामजी शिक्षा मंत्री थे, बड़े उस समय खास एडवाइजर थे, ''राज्य में चल रहे शाला स्वास्थ्य केन्द्र के साथ साथ आदिवासी जिलों में स्वस्तिका, स्कूल हैल्थ प्रोजैक्ट नाम का एक विशेष कार्यक्रम बाह्य सहयोग से चलाया जाएगा जिस पर 14 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।'' सरकार के विभागों तथा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता विकसित करने और इन प्रवृत्तियों से राजकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं को चलाने के उद्देश्य से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था के तत्वावधान में सेंटर फार गुड गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी।'' सभापति महोदय, यह भी उल्लेख किया गया- ''पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से संविधान का 73वां संशोधन लागू किया गया। पिछली सरकार द्वारा 16 विषयों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गईं परंतु उनके साथ जुड़े फंड्स एवं फंक्शनरीज का हस्तांतरण नहीं किया गया, फलस्वरूप इनकी क्रियान्विति नहीं हुई। वर्तमान सरकार का यह मत है कि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जाने वाली गतिविधियां मय फंड्स एण्ड फंक्शनरीज इस प्रकार हस्तांतरित की जाएं कि पंचायती राज संस्थाएं वास्तविक रूप से स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य संपादित कर सके।''

माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्रजी राठौड़ मुख्य मंत्रीजी के बहुत नजदीक हैं और राय भी बराबर देते हैं, उसका भी उल्लेख किया है वहां उन्होंने। ''माननीय सदस्यगण को यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने 1236 किलोमीटर लम्बे चार राजकीय मार्गों को उच्च स्तरीय राज मार्गों में विकसित कर उत्तर-दक्षिण अन्तरराज्यीय आवागमन सुविधा विकसित करने हेतु योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इन राज मार्गों को राजस्थान राज सड़क विकास निगम'', फिर पढ़ रहा हूं मैं, ''राजस्थान राज सड़क विकास निगम, बीओटी के माध्मय से विकसित किया जाएगा।'' सभापति महोदय, मैं आरयूआईडीपी के संबंध में कमेटियां बनानी है, उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, यह तो डिपार्टमेंट, यूडीएच की बहुत डिटेल में आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इलैक्ट्रिसिटी के संबंध में कहा सभापति महोदय, ''विद्युत वितरण में टी

(डा. सी.पी. जोशी)

एण्ड डी लासेज में कमी लाने की दृष्टि से फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम को हाथ में लिया जा रहा है जिसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से लगभग सभी छह हजार ग्रामीण फीडरों को पुनरूद्धार किया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्तमान में इन फीडरों पर हो रहे टी एण्ड डी लोसेज को कम किया जाकर 25 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा।'' 2008 का पढ़ लें, 2004 में इंटेंशन था कि 25 प्रतिशत लाया जाएगा। (व्यवधान) घर पर पढ़ लेना पहले वकील साहब। सभापति महोदय, ''राज्य के तीव्र आर्थिक विकास हेतु बिजली की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है अतः राज्य को उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। राज्य में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने हेतु इस वर्ष 50 करोड़ रुपये का निवेश लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, गिराल तथा 120 करोड़ रुपये का निवेश गैस थर्मल प्रोजेक्ट, धौलपुर में किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2003-04 के अंत में स्थापित 5160 मेगावाट विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त इस वर्ष राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित परियोजनाओं में 230 मेगावाट तथा राज्य में स्थापित हो रही पवन ऊर्जा परियोजना में 135 मेगावाट बिजली की उपलब्धता करा दी जाएगी।'' माननीय सभापति महोदय, दूदू-बीसलपुर योजना का काम प्रारम्भ करने की भी इसमें घोषणा की। यह तो 2004 का बजट है, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं, 2005 के बजट का भी मैं कुछ उल्लेख कर दूं।

''योजना के आकार में वृद्धि के साथ-साथ हमने योजनागत व्यय की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2002-03 में कैपिटल आउटले मात्र 2570 करोड़ रुपये का ही था। वर्ष 2003-04 में हमने कैपिटल आउटले को बढ़ाकर 3444 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में'' फिर पढ़ रहा हूं मैं, 2004-05 में 3900 करोड़ रुपये किया। ''वर्ष 2005-06 में बजट अनुमानों में केपिटल आउटले 5161 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।'' यह 2005 का बजट है। 2008 का आउटले भी, राजेन्द्रजी, राठौड़ साहब, सदन को बता दें। पशुपालकों के बच्चों के लिए, सभापति महोदय, 2005 में कहा गया कि राज्य में पड़ने वाले सूखे के कारण पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पास के राज्य में चले जाते हैं जिनके कारण ऐसे परिवार के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवार के बच्चों के लिए

(डा. सी.पी. जोशी)

एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, 2005 में। यह आवासीय विद्यालय उस स्थान पर खोला जाएगा जहां पाली सिरोही, जालौर ज़िलों की सीमाएं एक साथ मिलती हैं ताकि तीनों ज़िलों के पशुपालक अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ा सके। भिक्षावृत्ति व अन्य अवांछित प्रवृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एक विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इन योजनाओं पर आगामी वर्ष में लगभग छह करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है। 2005 की जगह 2008-09 में भी पशुपालक का ही बना रहे हैं। आगे पढ़ रहा हूं आप पढ़ लेना उसको, आपको अधिकार है जवाब देने का। अध्यक्ष महोदय, यह भी उल्लेख किया गया, योजना तैयार करते समय कई बार देखा जाता है कि स्थानीय जन-आकांक्षाओं की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में विकेन्द्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देने एवं योजना तैयार करने में जन आकांक्षाओं व स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्व-विवेक योजना लागू की जाए। इस हेतु निर्बंध राशि के रूप में 9 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसको अब एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, नालेज सेंटर की भी कल्पना 2005 के बजट में कर दी गई थी। नालेज कॉरिडोर की भी कल्पना इसलिए की, इस दृष्टि से आगामी वर्ष में नालेज कॉरिडोर तथा नालेज पार्क की स्थापना की जाएगी। यह 2005 में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 2005 में कितने पदों की भर्ती के लिए इन्होंने उल्लेख किया है वह आगे बताऊंगा कि सैकिण्ड ग्रेड के और स्कूल लैक्चरर्स के कितने पद इन्होंने भरे? 2005 में माननीय पीडब्लूडी मंत्री जी, सड़क निर्माण के क्षेत्र में सहभागिता के क्रम में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी आफ राजस्थान स्थापित की गई है, जिसके द्वारा चार उच्च मार्गों का विकास कार्य बीओटी पद्धति पर किया जाकर 1 हजार 19 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का कार्य जुलाई, 2005 में प्रारंभ होकर सितम्बर, 2007 तक समाप्त हो जाएगा। मई, 2008 तक दौसा के लिए सोच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के बीसलपुर बांध आधारित पेयजल योजना के ट्रांसमिशन पावर, ट्रांसफर सिस्टम के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था हो चुकी है। इन योजनाओं को दिसम्बर, 2007 तक पूरा कर दिया जाएगा।

(डा. सी.पी. जोशी)

दूदू बीसलपुर परियोजना का कार्य भी आगामी वर्ष में प्रारंभ कर दिया जाएगा। नागौर के पानी के संबंध में लिखा है, इस योजना के प्रथम चरण के प्रथम भाग में इंदिरा गांधी नहर की आरडी-750 से मूंडवा तक मुख्य पाइप लाइन डाली जाएगी जिससे नागौर ज़िले के तीन शहर व सौ गांवों को पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। माननीय यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2005 के बजट में की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006 के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की आउटवर्ड लुकिंग, हमें समृद्धि की ओर बढ़ना व लुकिंग होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय उसमें यह लिखा है कि स्कीम्स को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं और मैं सदन का, सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करती हूं कि इन सभी योजनाओं की वास्तविकता व समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति हम सब आने वाले साल में सतर्क और समर्पित हों। अध्यक्ष महोदय, हम सतर्क और समर्पित होने के बाद 2008 में भी वहीं चीज़ें कर रहे हैं जो हमने 2005 और 2006 में की हैं। बजट प्रक्रिया के समय के साथ परिवर्तन लाते हुए हमने आउटकम बजटिंग प्रारंभ करने का निर्णय लिया है ताकि हम केवल वित्तीय प्रावधानों का ही नहीं बल्कि योजना के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन कर सकें। आउटकम बजटिंग परिणाम प्राप्त होने पर मैं सदन को अवगत कराऊंगी। आउटकम का बजट 2006 से लगाकर 2008 तक माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि घोषणा जो 2005 में की या 2007 में की, उसका आउटकम आज क्या हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 2006 के बजट में कहा है कि विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की छात्र संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु एक स्थाई नीति बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर उपयुक्त कदम उठाएगी। इसी प्रकार प्रदेश के महाविद्यालयों में निजी सहभागिता से दस नॉलेज सेंटर स्थापित करने की योजना विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। 2006 में की है, 2008 में नालेज सेंटर खोले हैं हमने, गर्ल्स कॉलेज में फंक्शन में गये हैं वहां पर। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्यायजी, मुझे बहुत तकलीफ है, विचारवान, संस्कारित मंत्री, संस्कारित पार्टी के लोग उन्हें याद ही नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में क्या योजना बनाई थी। गुरु गोलवलकर के बारे में क्या योजना बनाई थी? निर्मल घाट की योजना क्या थी? उनका

(डा. सी.पी. जोशी)

क्या फेट है? अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, इसमें 2006 में लिखा है हमारे गांव, हमारी विरासत की जो विपुल संभावनाएं संजोएं हुए हैं, यूं तो गांवों तथा ग्रामीण जनता के विकास के लिए नई योजना की क्रियान्विति की जा रही है परंतु राज्य सरकार तमाम योजनाओं को समर्पित करने के साथ-साथ एक आधुनिक और आदर्श गांव का सपना साकार करना चाहती है। इस हेतु आगामी वर्ष से जन सहभागिता आधारित दीनदयाल आदर्श गांव योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नशा, विवाद एवं अपराधमुक्त गांवों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सारे राजस्थान में दीनदयाल आदर्श गांव की जितनी भी हैं सब कर दिये हैं। मेवात क्षेत्र को विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2 करोड़ 50 लाख बालिकाओं के लिए दस आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। इनमें निजी सहभागिता भी आमंत्रित की जाएगी। आज भी मेवात में निजी सहभागिता में बालिका विद्यालय को देखने की मेरी भी इच्छा है कि कहां-कहां इन्होंने किया।

मेगा हाइवे जनवरी, 2008, आप 2005 में तो बना रहे हैं कारपोरेशन, फिर प्राइवेट आदमी को लाये फिर यह किया और फिर कहा गया, आपको याद होगा, मैंने मेरे पिछले बजट भाषण में चार महत्त्वपूर्ण राज्य उच्च मार्गों को रिडकोर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए 18 जनवरी, 2006 को 1 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह मेगा हाइवे फलौदी से रामजी के गोल, हनुमानगढ़ से किशनगढ़, अलवर से सिकंदरा, बारां से झालावाड़ को जोड़ा जाएगा। लालसोट से कोटा मार्ग के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। मई, 2006 में इसका अनुमोदन कर कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी, ये सभी कार्य जनवरी, 2008 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर हैं, इसलिए लिखा है अब मई, 2008 में करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी के संबंध में भी लिखा है, 2006 में राज्य सरकार ने चार हजार पांच सौ मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने की भी योजना बनाई है जिसमें एक हजार पांच सौ मेगावाट क्षमता की वृद्धि निजी क्षेत्र में होने की संभावना है। वर्ष 1996 में अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया को अपनाते हुए मै. वेस्ट पावर को लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना

(डा. सी.पी. जोशी)

स्थापित करने हेतु प्रयोजित घोषित किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पुनर्गठित कंसोडियम स्वयं आगे किया है और राज्य सरकार ने एक हजार मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना दो चरणों में स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। परम्परागत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पहली बार निजी क्षेत्र में लगभग चार हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस परियोजना से राज्य को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो जाएगी। आदर्श मिल की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, उसमें मैंने क्या बातें कहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये सब बातें इसलिए कहना चाहता हूं 2007 भी कर लो, 2008 आने तक, 2007 में भी पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप, उस समय 2004 के बजट में तो प्राथमिकता अलग थी पर पंचवर्षीय योजना के लिए प्लान की साइज बढ़ाई तब उन्होंने क्या कहा? हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसी सोच को आगे ले जाते हुए हम निम्न चार मुख्य स्तम्भों पर आधारित होंगे। चार स्तम्भ बनाये। समाज के गरीब, वलनटेबल एण्ड डिसएडवांटेज वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। राज्य के सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की सशक्त नींव रखना एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना। राजकीय भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण करना एवं विकसित स्तर पर बनाना, राजकीय शासकीय एवं विकसित ढांचे को पुनर्गठित कर उत्तरदायी शासन उपलब्ध करना। अध्यक्ष महोदय, ये बजट की प्राथमिकताएं उन्होंने बदल दीं और फिर यह कहा गया, राज्य में आरएसी की 12 मेवाड़ भील कोर की एक कुल 3 सशक्त बटालियन कार्य कर रही हैं। इन बटालियनों में महिला सिपाहियों की संख्या बहुत कम है। मैं घोषणा करती हूं कि महिला सिपाहियों की एक एक्सक्लूजिव इंडियन रिजर्व बटालियन वर्ष 2007-08 में बने जिसका नाम हाड़ा रानी हो। वही घोषणा फिर, फंक्शन था अजमेर में भी, मुख्य मंत्रीजी झण्डारोहण में भी हम करवा दें गवर्नर से। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की निष्ठा बनाए रखना एवं स्थान को सुविधाजनक बनाने के लिए नदियों एवं अन्य तालाबों के साथ घाट बनाने के लिए मैं निर्मल घाट योजना शुरू कर रही हूं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में सौ फिर पढ़ रहा हूं, 2008-09 में तीन बने, सौ निर्मल घाट बनाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसको आवश्यकता होने पर बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सौ निर्मल घाट योजना बनाई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस समय तो

(डा. सी.पी. जोशी)

घनश्यामजी तिवाड़ी हिन्दुस्तान के बड़े आदमी थे, सैकण्डरी स्कूल फाउण्डेशन के अध्यक्ष थे, ये कहें और कैसे बात नहीं हो, इन्हीं की राय से मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी सब सैकण्डरी स्कूल कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, क्या कहा गया? सर्व शिक्षा अभियान को माध्यमिक स्तर तक ले जाने के लिए यह घोषणा केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी अभी हाल ही की है। प्राथमिक शिक्षा के माफिक राजस्थान इस सहायता को लेने में भी अग्रिम राज्य रहे, इस हेतु राज्यांश के रूप में मैं 150 करोड़ रुपये वर्ष 2007-08 के लिए उपलब्ध करा रही हूं। आगामी वर्ष में 1500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। पिछले वर्ष के क्रम को जारी रखते हुए राज्य सरकार 12300 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। यदि मेरी जानकारी ठीक हो तो सीनियर स्कूल और सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सैकिंड ग्रेड और स्कूल के लैक्चरर के पद क्रियेट करने थे राइट फ्राम 2004 से आज तक, भाषण देना, वाहवाही लेना, डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रोविजन करने के बाद सरकार की हिम्मत नहीं है और ये उलट कह रहे हैं। इस 2008 में क्या कहा? यदि डेढ़ सौ करोड़ रुपये आपके पास थे, अशोक गहलोत सरकार भीख मांग कर पैसा लेती थी, आपके पास पैसा था तो किसने रोका कि डेढ़ सौ करोड़ रुपये में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलते, क्यों इंतजार भारत सरकार का? आज 2008 में उन्होंने क्या बोला, मैं आगे बोलूंगा, सभापति महोदय।

इसी तरह से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा, वो बताना चाहता हूं। (व्यवधान) कोटा से विशेष प्यार है। ये सारे कोटा ही कोटा से हैं। जोधपुर में तो किया है वो बाद में जवाब दूंगा। कोटा शिक्षा में एक बहुत बड़े प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उभर कर आया है। कोटा में हजारों की तादाद में छात्र पूरे देश में आकर यहां रहते हैं, इनके शैक्षणिक मनोरंजन एवं अन्य गतिविधियों के लिए कोटा में एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का स्टूडेंट्स कल्चरल सेन्टर खोला जाएगा। यहां पर इन्टरनेशनल फिल्म क्लब होगा नाटक एवं अन्य कल्चरल प्रोग्राम आदि आयोजित किये जा सकेंगे। खुल गया इन्टरनेशनल? वहां पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत जोरदार हो रहे हैं? सभापति महोदय, भवानी सिंह जी और ओम बिरला जी के जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनको कम बोला जाए उतना अच्छा है।

(डा. सी.पी. जोशी)

सभापति महोदय, यह भी घोषणा की...(व्यवधान) चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य में रोगियों की आवश्यक दवाइयां राजकीय अस्पतालों में ही मिलें। राज्य में भी वर्ष 2007-08 में जेनरिक आधार पर आवश्यक दवाइयां क्रय कर उपलब्ध करवाने की संभावनाओं की जांच की जाएगी। योजना लागू होने पर राजकीय कर्मचारी, पेंशन एवं बीपीएल परिवार के लोगों को तमिलनाडु की तर्ज पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। सब कर्मचारी उसका बहुत ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। सभापति महोदय, यह भी घोषणा की कि बायेबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब हमारा तो वर्ल्ड, विजन, वायेबिलिटी ये अंग्रेजी है इसमें तो मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं कि हम सबको अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी कपड़े, ड्रैस उन्होंने इस मामले में किया, उसके लिए तो मैं उनका प्रशंसक हूं । तो आगे लिखा है कि इससे प्रेरित होकर जहां भारत सरकार ने आर्थिक ढांचागत परियोजना हेतु वायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की है मैं सामाजिक ढांचागत सुविधा के लिए राजस्थान सोशल सैक्टर वायेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम शुरू किये जाने की घोषणा करती हूं। मैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस योजना के लिए सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराऊंगी। मन के लड्डू और फीके क्यों? लाख में तो बात होती नहीं है, इस सरकार में करोड़ों के नीचे कोई काम ही नहीं होता। आप बताएं, सभापति महोदय, यह बायेबिलिटी गैप का है, उसका पैसा इसमें खर्च कर दिया गया? गुरु गोलवलकर जी के लिए तो, सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सम्मान होना चाहिए, लिखा है, जनसहभागिता आधारित चालू की गयी, गुरु गोलवलकर जनसहभागिता योजना के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत आबंटित पिछले वर्ष की राशि को बारह गुना करते हुए वर्ष 2007-08 हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार का अंशदान कार्य की लागत के सत्तर प्रतिशत अथवा 3 लाख 75 हजार जो भी कम हो, तक करेगी। यदि चयनित कार्य डिस्ट्रिक्ट प्लान में स्वीकृत कार्यों में से हैं तो राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत या 5 लाख रुपये जो भी कम है किया जाएगा। आवश्यकता होने पर कार्यक्रम के लिए और अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। 2008-09 में गुरु गोलवलकर जी, सब भूल गये, दीनदयाल जी भूल गये, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिनोवेशन फंड भूल गये। अब तो हमें धोबी समाज, दूसरे समाज, राजपूत

(डा. सी.पी. जोशी)

समाज, तनसिंह जी, सूरजमल जी उनको याद करने की जरूरत है काहे को जरूरत है कि हम गुरु गोलवलकर जी को याद करें, दीनदयाल जी उपाध्याय को याद करें? उनकी याद करने वाले आदमियों का ही जब बिलकुल मुंह बंद कर दिया, उनके घुटने टिका दिये तो इनकी जरूरत कहां पड़ रही है? अब तो नयी-नयी बातें, 2008 के बजट में एक भी शब्द गुरु गोलवलकर जी के संबंध में, दीनदयाल जी के संबंध में नहीं है। जिनके संबंध में की है उनके संबंध के पीछे मंशा क्या है, सभापति महोदय, इसलिए बताना चाहता हूं। एनआरईजीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत केशवबाड़ी योजना ...(व्यवधान) रतनजोत योजना। यह केशवबाड़ी योजना, मेरा आरोप है, यह एक कहावत वो बहुत गन्दी कहावत है मुझे नहीं कहना चाहिए सदन में, 'माल खावे माटी का न, गीत गावे बीरां का।' जमीनें उसी आदमी की पैसा एनआरईजीपी से पेमेंट होगा। केशवबाड़ी के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। बाहर से प्राइवेट लोगों को बड़ी-बड़ी कीमत से प्लांटेशन करवाया गया और गरीब आदमी को प्लांटेशन दिया गया वो कभी भी मेवाड़ के अन्दर नहीं उगेगा। लेकिन केशवबाड़ी योजना के नाम पर एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था की। यह पैसा एनआरईजीपी का है, इस योजना के अन्तर्गत रतनजोत की भी व्यवस्था की । लिखा है, सभापति महोदय, राज्य में बायो फ्यूल प्लांटेशन को बढ़ावा देने में वन विभाग की वन भूमि पर एनआरईजीपी से उपलब्ध एवं तेल कंपनियों एवं आरएसएमएम की खरीद गारंटी के आधार पर रतनजोत के एक करोड़ पौधे रोपित किये जाएंगे एनआरईजीपी स्कीम में। एनआरईजीपी स्कीम तो भारत सरकार की स्कीम है, उसमें क्या करना था? सभापति महोदय, इसी तरह से घोषणा की, अभी पंचायत राज का आनरेरियम बढ़ाया गया। उसका भी, याद रहे, 2007 में किया और 2008 में क्या कह रहे हैं? पंचायती राज सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों के आनरेरियम व मीटिंग भत्तों की राशि का निर्धारण अंतिम बार 1998 में हुआ था, उन्हें देय आनरेरियम व मीटिंग भत्ते का संशोधन निम्न प्रकार किया जा रहा है। जिला प्रमुख का बढ़ा दिया गया, साथ ही बैठक के लिए दिये जाने वाले भत्तों को भी लगभग डेढ़ गुना किया जा रहा है। ये 2006-07 के बजट में है और 2008-9 में भत्ता बढ़ाने का काम किया है। भूल गये कि 2007 में हमने क्या किया।

सभापति महोदय, एक काम और किया है, राज्य सरकार कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक

(डा. सी.पी. जोशी)

राजस्थान इनोवेटिव फाउंडेशन की स्थापना करेगी। राज्य सरकार इसके कारपोरेशन को तीन करोड़ रुपये का योगदान देगी। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान इनोवेटिव फाउंडेशन का तीन करोड़ का कारपोरेशन का काम प्रारम्भ हो गया?

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि दो वर्ष में क्रमोन्नत फुल फ्लेजेड पशु चिकित्सालयों को बना दिया जाएगा जो अभी 2008 में रिपीट किया है। सभापति महोदय, ये नये मंत्री जी बने हैं ...(व्यवधान) आप बोल लेना। प्लीज बैठिये। हो गया, आपको जरूरत नहीं है। विराजिये आप। अध्यक्ष महोदय, I will not allow it.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, एक आप यह बजट का पैरा 217 पढ़ लें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): वो पढ़ देना आप। अपने घर में बच्चों को पढ़ा देना, ठीक रहेगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 217 पढ़ें, उसमें यह बताया है। आपने कहा न कि दीनदयाल जी उपाध्याय और गुरु गोलवलकर योजना के बारे में ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, तो आप बोल लेना। पहली बार आये हैं हाउस में।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये, माननीय राठौड़ साहब, विराजिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पैरा 217 कृपया पढ़ लें, आपको जवाब मिल जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): पढ़ लिया, आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ हूं, पढ़ कर आया हूं । बोल लेना।

श्री सभापति: विराजिये आप। आपका अवसर आवे तब बोल लेना।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कल्पना की थी, आदर्श गांव की संख्या बताएं, खाली बोलने का अवसर ही नहीं। ये नकली है न, जिन आदमियों में संस्कार नहीं हों और आ जाते हैं पार्टी में, वो अपने आपकी लायल्टी बताने के लिए दीनदयाल जी की बात करते हैं। जब आया था तब बोलना चाहिए था, दीनदयाल जी के लिए एक शब्द नहीं बोला है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं-नहीं, पैरा 217 में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आप विराजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कितने गांव हुए बताएं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पैरा 217 में ...(व्यवधान) ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में कमिटेड आदमी हैं आरएसएस के, बताइये, इनके विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल जी उपाध्याय के कितने आदर्श गांव बने?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरे 6 गांव बने और गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना में चार काम हुए हैं। आप मेरे विधान सभा क्षेत्र की सुनना चाहते हैं तो मैं जवाब देता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं ...

श्री सभापति: अभी आपका अवसर नहीं आया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, पैरा 217 पढ़ लीजिये तो जवाब मिल जाएगा कि वर्तमान में चल रही योजना यथावत चलती रहेगी।

श्री सभापति: बीच में टोका-टाकी नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये कह रहे हैं उनका नाम नहीं है इसलिए बता रहा हूं।

श्री सभापति: ये टोका-टाकी मत करो, बोलने दो उन्हें। जोशी साहब। बीच में कोई न बोलें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, बहुत खुशी है, जो आदमी अपने आप को आरएसएस का, दीनदयाल जी का कहता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार गांवों में हुआ है, तकलीफ नहीं हुई कि चार गांवों में ही क्यों हुआ? चमचागीरी कम करते तो चालीस गांवों में करवा लेते और कहते कि मेरे वहां चालीस गांवों में हुआ है। खुशी होती। पर यह नकली संस्कार लेकर जो पार्टी में आ जाते हैं उनको इस संस्कार का मालूम नहीं होता कि कितना कमिटमेंट रहे। आज के बाद ध्यान रखना, अगली बार कहना, चार सौ गांवों में हुआ मेरे, तब खुशी होती मुझे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गुरु गोलवलकर जी के चार काम हुए हैं तो गांव तो नहीं हुए एक भी। गांव तो नहीं कह रहे हैं, दीनदयाल जी तो यों ही बैठे हैं, गुरु गोलवलकर जी के चार काम हुए हैं ।

श्री सभापति: बिराजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मंत्री जी बदल जाएं तो सरकार की नीति भी बदल जाती है? कोआपरेटिव मिनिस्टर विद्वान विधायक सर्वश्रेष्ठ बड़ी मुश्किल से बड़े संघर्ष से मंत्री बने। सभापति महोदय, यह लिखा है कि शार्ट टर्म क्रेडिट देने वाली सहकारी समितियों को राहत में पुनर्जीवित करके उन्हें बाइब्रेंट बनाने के लिए राज्य में वैद्यनाथन समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए, वर्ड यूज कर रहा हूं स्वीकार करते हुए नाबार्ड के साथ 14.11.06 को एमओयू किया है, इसके तहत कुछ शर्तों के पूरा होने पर राज्य की उपरोक्त सभी सहकारी समितियों की संग्रहित हानि-पूर्ति की जाएगी जिससे राज्य में सहकारी आंदोलन को सम्बल मिलेगा । यह मुख्य मंत्रीजी का भाषण है। अभी मंत्री जी मीटिंग में गये कोआपरेटिव मिनिस्टर फिल्म में हीरो बनते हैं वो डायलाग बदल देता है कभी यह रोल करना पड़ता है, कभी यह रोल करना पड़ता है अब ये फिल्म में कोअपरेटिव मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वैद्यनाथन समिति को हम नहीं मानते। नहीं मानते तो राजस्थान में कोआपरेटिव के जितने सिक यूनिट हैं उनको कैसे पुनर्जीवित करेंगे? यह तो सरकार ने फैसला किया है, मंत्री जी ने वहां जाकर बोल दिया कि वैद्यनाथन कमेटी की सब सिफारिशों को हम नहीं मानते। बहुत अच्छा।

सभापति महोदय, राज्य में 8475 ग्रामीण फीडर्स में से 40 से 60 प्रतिशत तक, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 40 से 60 प्रतिशत टी एंड डी लासेज थे, हमने इन फीडर्स को ये नुकसान अधिकतम 15 से 20 प्रतिशत तक सीमित करने के उद्देश्य से, मैं फिर पढ़ रहा हूं, 15 से 20 प्रतिशत, जो 9 प्रतिशत लिखा है खाली आगे, उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विजय ज्योति फीडर सुधार अभियान हाथ में लिया है । श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम 15 से 20 प्रतिशत कम करना और 9 प्रतिशत पूरा किया, 2008 में लिख रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिख कर भी 15-20 परसेंट कम करने की बात करते हैं जबकि वास्तव में हमने की है 9 परसेंट, वह भी अब जाकर।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 1053 किलोमीटर लंबी मेगा हाइ-वे परियोजना का 33 परसेंट कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यह 2007 में बोल रहे हैं। वह कम्प्लीट कब कर रहे थे? दिसम्बर, 07 तक चार परियोजना पूर्ण कर राज्य को समर्पित कर दी जाएगी और लालसोट से कोटा तक की परियोजना मई, 2000 तक पूर्ण हो जाएंगी। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं अलाउ नहीं करूंगा. I will not speak. I will not

(डा. सी.पी. जोशी)

speak. आप चाहते हैं कि यह स्थिति बने तो मैं नहीं बोलूंगा । आप हाउस में बैठे रहिए । I will not allow it. जो हाउस में नहीं बैठा है उसकी मैं नहीं सुनूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मुझे पर्सनली कोट किया है। Therefore, I have a right.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप हाउस में बैठिए, फिर बोलिए आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं हाउस में बैठा रहता हूं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बाद में रिप्लाई दीजिए । I am not yielding.

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपने मेरा नाम पर्सनली कोट किया है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am not yielding. I am in possession of the Floor. I am not yielding.

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): He has quoted my name personally, that's why I have a right to …..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Hon'ble Speaker, I am not yielding. I am in possession of the Floor of the House.

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अगर वह मेरा नाम पर्सनली कोट नहीं करते और अगर विभाग के बारे में बोलते तो मैं नहीं बोलता but now I have a right to speak.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): You have been quoted as the Cooperative Minister. पर्सनल क्या है? पर्सनल आपकी हैसियत क्या है? You have been quoted as the Cooperative Minister. पर्सनल क्या होता है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (व्यवधान) अभी तो आप कह रहे थे हीरो... (व्यवधान) हीरो की बात सुनिए । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): …. (व्यवधान) चाहे जब खडे हो जाएंगे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) **…**(व्यवधान) एक शब्द चीफ मिनिस्टर को नहीं बोलने दूंगा बुलाइए आप । एक शब्द चीफ मिनिस्टर बोल जाएं तो बताइए आप, बोलिए आप ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी परमिशन लेकर बोलना चाहता हूं ।

श्री सभापति: आप बिराजो ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, मैं बोलूंगा, मेरे को कोट किया है इस तरह से । सभापति महोदय, इन्होंने मेरे लिये यह भी कहा कि वह हीरो हैं, फिल्मों में रोल करते हैं । मैं हीरो हूं, रहूंगा इनके कहने से विलेन नहीं हो सकता। यह इनको ग़लतफ़हमी है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हीरो नहीं हो तो क्या जीरो हो क्या आप? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने वैद्यनाथन कमेटी की बात कही, वैद्यनाथन कमेटी में हम ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, उसके कई बिन्दु ऐसे हैं, आप भी मंत्री होते तो ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, यह सरकार बोल रही है, आप पागल हैं क्या बिलकुल ही? आप सरकार में नहीं हो, रिजाइन कर दीजिए। आप एग्री नहीं हो तो रिजाइन कर दीजिए । यह मुख्य मंत्री जी का भाषण है और कैबिनेट से एप्रूड है। यह भाषण कैबिनेट से एप्रूठ है, कोई आपके घर का भाषण नहीं है । आपको मालूम ही नहीं, बातें कर रहे हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए । हमने यह कभी नहीं कहा, टोटल वैद्यनाथन कमेटी को हमने रिजैक्ट नहीं किया । उसके कुछ बिन्दुओं पर हमारा रिजर्वेशन है? (व्यवधान) कुछ बिन्दुओं पर केवल हमारा ही रिजर्वेशन नहीं है, जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी रिजर्वेशन किया है । इसलिए उन बिन्दुओं पर अभी बहस जारी है और अभी भी उसमें अमैंडमेंट ड्राफ्ट नहीं आया है ।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति: क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): बता रहा हूं आपके हित में ही बता रहा हूं। आदरणीय सभापति महोदय, हमेशा यह परम्परा रही है, जब भी किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात आए और वह समझे कि वह मेरे खिलाफ बात है तो जब तक माननीय सदस्य का भाषण पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद उसको क्लैरिफिकेशन देने का अधिकार होता है ।

श्री सभापति: आपका कहना बिलकुल दुरुस्त है क्योंकि बीच में बात उठ गई थी...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं भी पाइंट आफ आर्डर पर ही बोल रहा हूं ।

श्री सभापतिः अब आप बोल दीजिए फटाफट । (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): (व्यवधान) आप बोलने ही नहीं दे रहे किसी को । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने इनको अलाऊ किया है क्या? (व्यवधान) मैं तो इतना जानना चाह रहा हूं कि आपने इनको अलाऊ किया है क्या?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप मुझे अलाऊ कीजिए, मैं बोलना चाहता हूं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के लिये आपने इनको अलाऊ किया है क्या?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, इस पाइंट आफ आर्डर पर मैं बोलना चाहता हूं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह खडे हो जाते हैं और यह कहते हैं कि आसन की परमिशन से बोल रहा हूं बिना परमिशन के ही । (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, मैं परमिशन लेकर बोल रहा हूं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आसन ने परमिशन दी है क्या? और आसन ने परमिशन दी है तो गलत किया है ।

श्री सभापति: आप कम्प्लीट करें, माननीय सदस्य ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): .... (व्यवधान) जिसमें लिखित में देकर किसी मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया जाता है .... (व्यवधान)

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): सभापति महोदय, मेरे पाइंट आफ आर्डर पर कृपया निर्णय दें । मैंने अभी जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है उस पर पहले निर्णय दें, उसके बाद दूसरा बोल सकता है। आप पहले निर्णय दें इस पर।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं इस पर मेरी बात भी कहूंगा।

श्री सभापतिः मैं पहले इनको अलाउ कर चुका हूं इसलिए मैं अभी आपका पाइंट आफ आर्डर .... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसी पाइंट आफ आर्डर पर मैं रूल्स की बात कर रहा हूं । सभापति महोदय, जब भी किसी पर आरोप लगाया जाता है, किसी पर कमेंट किया जाता है तो लिखित में पहले नोटिस देकर बोला जाता है। उसमें यह मंत्री को राइट होता है कि जब वह आरोप लगा कर बैठ जाएं उसके बाद मिनिस्टर को राइट होता है कि वह उसका रिप्लाई दे । लेकिन न तो इन्होंने कोई मुझे सूचना दी, इन्होंने चलते भाषण में मेरे पर टिप्पणी की कि हीरो हैं, एक्टिंग करते हैं और सहकारिता में यह बोल दिया और यह कह दिया वैद्यनाथन कमेटी में अस्वीकार कर आये। यह गलत तथ्य हाउस को दे रहे हैं और यह भाषण में यह कह रहे हैं, मैं इस बात पर एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं । मैं पाइंट आफ एक्स्प्लेनेशन पर खड़ा हुआ हूं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं या एक्स्प्लेनेशन पर बोल रहे हैं?

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

नाथूसिंह श्री, सहकारिता मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं पाइंट आफ एक्स्प्लेनेशन पर बोल रहा हूं । हमने कहीं भी पूरी तरह से, जहां तक पाइंट आफ आर्डर का सवाल है मैंने रूल कोट कर दिया। मैंने बता दिया कि क्या व्यवस्था है उसमें। एक्स्प्लेनेशन पर मेरा राइट है। इन्होंने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी को यह रिजैक्ट कर रहे हैं । हमने वैद्यनाथन कमेटी को रिजैक्ट नहीं किया । कुछ पाइंट पर स्टेट का रिजर्वेशन है और वह रिजर्वेशन रहेगा । चिदम्बरम जी ने भी उसमें से कई पाइंट स्वीकार किये हैं और उन्होंने कहा है कि इसका अमैंडमेंट ड्राफ्ट हम स्टेट को भेजेंगे, जब इस पर सहमति हो जाएगी उसके बाद ही इसको जारी करेंगे। इसमें क्या गलत है? कहां विरोधाभास है?

श्री सभापति: आप बिराजिए ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि इस सरकार में इतने इग्नोरेंट मिनिस्टर हैं । मैं जो कोट कर रहा हूं यह कैबिनेट से ड्यूली एप्रूव्ड स्पीच है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यह ड्यूली एप्रूव्ड बाई कैबिनेट है। लिखा है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, शार्ट टर्म क्रेडिट देने वाली सहकारी समितियों को राज्य में पुनर्जीवित करने, उन्हें वाइब्रेंट बनाने

(डा. सी. पी. जोशी)

के लिये राज्य में वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नाबार्ड के साथ 14.11.06 को एमओयू किया । इग्नोरेंट मंत्री का मुझे आश्चर्य होता है, **they were knowing as to what the terms and conditions are. ….**(व्यवधान) **….** मुझे नहीं सुनना आपको? **I am sorry. I am not supposed to repeat. I am not supposed to say all these things.**

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जानकारी नहीं हो उस चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिये ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): **I am talking about the government.** (व्यवधान) बात कर रहे हैं । यह जब हुआ उस समय आप मिनिस्टर नहीं थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलने दें उन्हें । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कौन होते हैं? यह केबिनेट का पार्ट है, नाथूसिंह जी मिनिस्टर नहीं थे जिसका पार्ट है । अपने आप को कहां समझ रहे हो?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हमने वैद्यनाथन कमेटी से एमओयू कर दिया । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कौन हैं, **who are you?** आप 2007 में कुछ नहीं थे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): **I am speaking as a Minister. …**(व्यवधान)…. कुछ आब्जेक्शन लगाये हैं और केन्द्र ने भी उन आब्जेक्शन के ऊपर …..

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया बिराजें आप ।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): केन्द्र सरकार ने भी स्वीकार किया है हमारे आब्जेक्शन को ।

श्री सभापति: अपनी बात कहने दे उन्हें। आपका जब रिप्लाई का मौका आएगा तब रिप्लाई दे देना आप ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यह जो डाक्यूमेंट कोट कर रहा हूं क्या यह केबिनेट से एप्रुड है या नहीं है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): है न।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कौन हैं, मैं आप से नहीं पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: आप दोनों माननीय सदस्य आसन की तरफ देख कर बात करें ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं तो आपसे ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: न तो आप इधर देखेंगे और न आप उनको टोकेंगे, इधर देखिए आप ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, एक अध्यक्ष ने दूसरे भूतपूर्व अध्यक्ष को बहुत अच्छी बात कही, सदन की परम्परा है यह । मैं जो कोट कर रहा हूं वह 2007 का माननीय मुख्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, उनका भाषण है । मेरी जितनी जानकारी है उसके अनुसार यह कैबिनेट से एप्रूव होता है और केबिनेट से एप्रूव्ड डाक्यूमेंट को ही मैं पढ़ रहा हूं और 2007 में माननीय सदस्य जो आज मंत्री हैं वह केबिनेट के सदस्य नहीं थे । मान लो, जो केबिनेट ने कहा वह उनको बदलना है तो केबिनेट के पास जाएं, बदलें, अपनी बात कहें। 2008 में भी मेंशन नहीं है, 2007 में मेंशन है वही आज है । आपको यदि वैद्यनाथन कमेटी की टर्म्स-कंडिशन नहीं माननी थीं, एमओयू बदलना था तो कैबिनेट में जाकर एप्रूव करवाते । पर अपने ज्ञान का वर्धन उतना ही करो जितना दूसरे को नहीं हो । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2007 में मैंने कोट किया, मेरे मित्र को कोई तकलीफ नहीं है । कोई आदमी की आदत होती है कि फिल्म में विलेन भी बन जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं 2004, 2005, 2006, 2007 ...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अभी तो यह बता दो कि हीरो आप हो या हेमाराम जी हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अपना काम करो न आप । पहले कालूलाल जी से पूछ लो.. .(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सभी हीरो ही हो। बडी मुश्किल से जीत कर आते हैं, सभी हीरो ही हैं । बिराजिए आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, आपने एक बात कही, मुझे उस पर आपत्ति है । आपने माननीय नाथूसिंह जी को और माननीय सीपी जोशी जी को कहा कि मेरी तरफ देखो, दुनिया तो हीरो की तरफ देखती है, आपकी तरफ कैसे देखें?

(समय : 15.00 बजे)

श्री सभापतिः मेरा मतलब है, आसन की तरफ देखें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हीरो की दुर्गति की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः उनको तो हीरो बनने पर आपत्ति है, उनको हीरो कह दिया तो उनको बुरा लग रहा है1 वह कहते हैं मुझे जीरो कहो।

श्री सभापतिः बिराजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः हीरो कहना कोई गलत बात है क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागिरक आपूर्ति मंत्री)ः मैंने दोनों को बनाया है, भाई । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः मेरे को बताइये, आपको पंडित कह दें तो आपको बुरा लगेगा क्या ?

श्री सभापतिः बिराजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः हीरो को हीरो कह दिया, इसमें क्या गलत बात कह दी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री)ः मुझे बहुत अच्छा लगेगा....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः हां, किसी जीरो को हीरो कह दिया हो तो फिर बात बुरी है।

श्री सभापतिः बिराजिए, आप बिराजिए।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः सभापति महोदय, इसी तरह से 2007 में आसींद और टोडाभीम में कालेज की बात भी की और 2008-09 में भी यह बात कही । सभापति महोदय, मैं जो खाली बात कहना चाहता हूं, 2008-09 का बजट है इसकी क्रेडिबिलिटी, जो सरकार घोषणा करती है, घोषणा करने के बाद उनका जो फेथ है, मेरी अपनी मान्यता है कि जो 2008-09 का बजट है बजट का फेथ भी वही होगा जो 2005 से अभी तक, सभापति महोदय, आपको कही है। मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं, गम्भीरता से इसलिए कहना चाहता हूं यह बात सही है कि चुनाव का समय है और पोलिटिकल पार्टी को

(डा. सी.पी. जोशी)

कम्पल्शन होता है कि चुनाव में जाते समय हर पोलिटिकल पार्टी पापुलिस्टिक बजट पर जाती है। जाना चाहिए, पर पापुलिस्टिक बजट में जाने के लिए, शेर शायरी, क्या कहते हैं उडान करना, ये सब जितने आदमी, परिंदे उड रहे थे बिना हवाओं के वे नीचे आकर गिर गये आज। इन परिंदों को मालूम नहीं है सभापति महोदय, 2008-9 के पीछे जो सिद्धान्त मुझे समझ में आए वे यह समझ में आए कि पब्लिक मैमोरी शार्ट है। मुझे समझ में आया पब्लिक मैमोरी शोर्ट है इसलिए पब्लिक भूल जाएगी कि हमने 2005 में क्या कहा, 06 में क्या कहा, 07 में क्या कहा, 2008 में क्या कहा, उन्हीं सब चीजों को हम कम्पैल करें। अच्छा होता, यह बजट होता, यह तो रिपोर्टिंग है आइटम। एक किसी स्कूल की नई नई हैडमिस्ट्रेस बने और उसको एक चीज याद है, आज वीआईपी आ रहा है, वीआईपी आने के बाद उसकी स्कूल की एनुअल रिपोर्ट को प्रजेंट करना है, स्कूल के 365 दिनों की गतिविधियों का पूरा वर्णन करती है। सभापति महोदय, सारे बजट के अंदर मन में केवल एक लालसा है, मुंगेरी लाल के सपने हैं कि राजस्थान की जनता को हम फाल्स बातें करके सत्ता में आ सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, याद करिये, पहली बार राजस्थान के इतिहास में अमरूदों के बाग में सरकार अपना जश्न मनाए और जश्न मनाने के बाद राजस्थान सरकार उसमें पैसा दे और पार्टी पार्टिसिपेशन करे। अच्छा है, नई परम्परा प्रारम्भ की आपने। यह परम्परा आपने प्रारम्भ नहीं की। इस बजट से मैं आपको बताना चाहता हूं जो परम्परा गुजरात में प्रारम्भ हुई उस गुजरात की परम्परा को राजस्थान में आगे बढ़ाने के लिए यह आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का आनेरेरियम बनाया गया, यह व्यवस्था दी गई कि अगले तीन महीनों में आंगनबाड़ी की मीटिंग बुला बुलाकर कहा जाए कि हमने आपका आनेरेरियम बनाया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विरोध कर रहे हैं क्या ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया उसका विरोध कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढाया...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सेंट लगी साड़ी दिलाने की बात कर रहा हूं, दिलाओगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मानदेय बढ़ाने का भी पचा नहीं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप हमारी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को सेंट लगी साड़ी भी दें साथ में, घूघरा और यह जो दे रहे हैं उसकी जगह, यह दे देंगे आप? (व्यवधान) प्रस्ताव करिये न आप। मैं तो इससे सहमत हूं। (व्यवधान) मुझे क्या तकलीफ है, पर इसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है वह लोकतंत्र के लिए गम्भीर चुनौती है। राजस्थान की जनता के, स्टेट के एक्सेचर का पैसा...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): इस उम्र में सेंट याद आ रहा है जोशी जी को।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बाकी किस उम्र में आवे ? (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सफेद आ गये अब सेंट की बात...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे पता नहीं है कि आपको राजा महाराजाओं के संस्कार में रहते हुए भी मालूम नहीं कि सेंट की उम्र कौनसी होती है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सेंट लगाने वाली अपनी उम्र चली गई, जोशी जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए, बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि सारे बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर का भविष्य क्या होगा, आप उठाकर देख लीजिए। इस सरकार का टेन्योर 5 दिसम्बर, 2008 है, अच्छा होता, होना भी चाहिए कि दिसम्बर, 2008 तक जो-जो चीजें कर सकते हैं उसका कमिटमेंट करना चाहिए। आप पापुलिस्टिक मेजर में करते, कोई तकलीफ नहीं। 2009 में कर देंगे, 2010 में कर देंगे, 2009 तक यह कर देंगे। माननीय तिवाड़ी साहब मुझे माफ करें, माननीय मंत्री जी, मुझे आज भी याद है जब नई नई सरकार आपकी बनी थी तब आप विद्युत मंत्री नहीं थे, विद्युत मंत्री माननीय मुख्य मंत्री थीं, तब आपने हाउस में जवाब दिया था, याद करिये

(डा. सी.पी. जोशी)

आपको दो जवाब याद दिलाना चाहता हूं। एक जवाब, दो साल बाद डिमांड पर एकदम कनेक्शन दे दें हम, यह रिकार्ड में है। हर जिले में, यह शिक्षा मंत्री का भाषण है, अगली जुलाई में सब शिक्षकों के पद भर देंगे। सभापति महोदय, सरकार की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा जरूरी है जनप्रतिनिधियों की क्रेडिबिलिटी। सरकारें तो आएंगी-जाएंगी, लेकिन जनता में, जन प्रतिनिधियों की क्रिडिबिलिटी खतम होती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी खतम होती है तो फिर यह हमारा बजट है इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी इसमें मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है उन अधिकांश घोषणाओं के संबंध में, आप बिजली को उठाकर देख लीजिए। यह बात सही है कि आपकी किन किन चीजों पर प्राथमिकता रही, आपकी प्राथमिकता रही पानी में। माननीय सभापति महोदय, सरकार के मापदण्ड का दूसरा तरीका होता है कि जो सरकार की ब्यूरोक्रेसी है, सरकार ने नीतियां बनाई हैं उनकी क्रियान्विति कैसे हो रही है। क्रियान्विति का सर्टिफिकेट तो मुख्य मंत्री जी ने खुद ही ले लिया। सभापति महोदय क्रियान्विति के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं कि किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैं, सभापति महोदय, कोट करना चाहता हूं Accelerated Rural Water Supply Programme. Report of the Comptroller and Auditor General 2006-07 यह परफारमेंस आडिट होती है। सभापति महोदय, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है परफारमेंस रिपोर्ट है, उसमें लिखते हैं 'The Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) aims at providing safe and adequate drinking water facilities to the rural population. The Annual Action Plans did not focus on coverage of non-covered habitations, targeted population and water sources sustainability. Government was deprived of...."मैं दुबारा पढ़ रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट''...Government was deprived of Central assistance of Rs. 188.59 crore due to slow spending."188.59 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को सरकार की स्पेंडिंग के कारण नहीं मिले। ''Its contribution towards matching share in Minimum Needs Programme was less by Rs. 174.95 crore. Expenditure of Rs. 140.05 crore was charged to ARWSP in violation of Programme guidelines. More than 65,000 habitations in the State did not have adequate drinking water as against about 38,000 in April, 2002." अप्रैल, 2002 में 38 हजार ढाणियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी अब 60 हजार ढाणियों में पानी की व्यवस्था नहीं है। ''Six fluoride control projects planned in 1994 were not completed. More than 8000 rural schools were yet to be provided with drinking water under ARWSP. The Field Testing Kits for water quality monitoring were not procured despite availability of funds.

(डा. सी.पी. जोशी)

Water supplied in 49 habitations contained Total Dissolved Solid much above the permissible limit of 1500 Parts per Million. Sixty water supply schemes were lying incomplete after spending Rs. 78.48 crore. Pipes valued Rs. 3.46 crore were not used and water supply schemes under Sector Reform (Rs. 5.67 crore) were lying incomplete. Expenditure of Rs. 4.62 crore was incurred on poor performance of pipeline and extra liability of Rs. 8.70 crore was committed due to delays in issue of technical sanctions and finalizing the tenders for the works. No Vigilance and Monitoring Committees were set up at State, district and village levels. The Research and Development Cell for investigation works was not established and Management Information System was inadequate." यह तो ड्रिंकिंग वाटर के साथ, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सरकार के बारे में यह ध्यान रहे। दूसरी यह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं 2005-06 की, ''Performance Audit of Relief Operations during the years 2004 and 2005 by Disaster Management and Relief Department." मैंने इसलिए कोट किया गुड गवर्नेंस, सेन्ट्रल गुड गवर्नेंस बनना है, अच्छा शासन इनकी प्राथमिकता, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं ''The State Government declared 31 of the 32 districts in the Rajasthan State as drought and/or hail storm affected during the year 2004 and 2005. To provide relief to the affected population, funds were transferred by Government of India and State Government to Calamity Relief Fund. Government of India also extended grant for relief operation activities to the State Government out of National Calamity Contingency Fund. Performance Audit of relief operations during the years 2004 and 2005 by Disaster Management and Relief Department revealed that the total expenditure of Rs. 554.66 crore incurred was even less than the grants received from Government of India (Rs. 717.24 crore). गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 717.24 करोड की ग्रांट दे दी, उसके अगेन्स्ट में आपने केवल मात्र 554.66 करोड़ रुपये इसमें खर्च किये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ''Submission of detailed contingent bills for Rs. 6.16 crore was overdue (June 2006). Funds of Rs. 4.37 crore provided for different relief activities in four districts were surrendered. Banswara district was declared drought affected though it did not satisfy the prescribed determinants (deficiency in rainfall etc.) for such declaration. Therefore, expenditure of Rs. 10.21 crore incurred on various relief activities there was unjustified. Relief works on which Rs. 2.79 crore were incurred were left incomplete or abandoned. There was delay of two to 172 days in payment of wages of Rs. 4.13 crore to 56,575 labourers. Gaushala subsidy of Rs. 2.67 crore was paid to nine gaushalas though they had sound financial position." This is the management of the Government. सभापति महोदय, क्योंकि शिक्षा मंत्रीजी, भूतपूर्व, बैठे हुए हैं, यह भी बताना जरुरी है, नम्बर-एक, यूनेस्को अवार्ड, शिक्षा में बहुत आगे बढ़े हैं। Implementation of Sarva Shiksha Abhiyan. Sarve Shiksha Abhiyan, a Centrally sponsored scheme is being implemented since 2001-

(डा. सी.पी. जोशी)

02 in all the districts of the State to cover elementary education by laying special emphasis on enrollment, retention and quality education in primary and upper primary schools. The achievement of the objective to enroll all children in school was below target. Similarly, targets relating to providing infrastructure facilities…"

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह इनके समय का वर्णन किया है। दी 03-04 में है, परन्तु 01-02 में इन्होंने जो काम किया था, उसका वर्णन कर रहे हैं। पढ़ लेना इसको।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। मैंने जो वर्णन किया है, उसका जवाब दे देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके समय का है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इतना अनपढ़ मैं भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। जितना आप अपनी पार्टी में समझ रहे हैं अनपढ़ों को.....। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, इसलिये बता रहा हूं कि आप अपनी बात क्यों पढ़ रहे हो, मेरी पढ़ो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पढ़ लूंगा मैं। मैं पढ़ लेता हूं, आगे पढ़ रहा हूं, आगे सुन लें आप। बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने से अपनी इन्काम्पिटेंसी खतम नहीं होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब बुढापे में मैं कहां स्मार्ट बनूंगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आप दोनों ही स्मार्ट हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ''Funds were not provided as per Annual Work Plan during 2001-05. Out of funds given to seven test-checked districts during 2002-05, Rs. 5.67 crore were lying unutilized as of March 2005." मंत्रीजी, मैं दुबारा पढ़ रहा हूं। मेरी यह रिपोर्ट नहीं है।'' ''Funds were not provided as per Annual Work Plan during 2001-05. Out of funds given to seven test-checked districts during 2002-05, Rs. 5.67 crore were lying unutilized as of March 2005." आपकी सरकार तो 2004 में आ गयी थी, 2003 में, तो 2005 तक किसने रोका था कि यह कार्यवाही नहीं करते आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दो साल बाद आती है, महाराज।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अजी हां, आती है, आए तो दो साल हो गये इसको भी। महाराज, इस हुकुम को भी दो साल हो गये। इसको पढ़ लेते आप, क्या तकलीफ थी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उसके आगे की रिपोर्ट भी पढ़ी है क्या आपने?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पढ़ी, पढ़ लिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पढ़कर दिखाइये फिर उसे, बताइये उसको।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़िये, आप बता दीजिये। अब आप पढ़ लीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बताइये, क्या है वह? आगे की रिपोर्ट आप बता दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बता दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप लेकर आये हो तो आप बता दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बता दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं क्या करुंगा, आप लेकर आये हैं, आप कहिये। पुरानी रिपोर्ट को पढ़कर.......... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है। यह रिपोर्ट पढ़ी है कभी?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, आगे की रिपोर्ट भी तो पढ़ो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़ो। बताओ उसको। बताइये, मुझे बहुत खुशी होगी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पी.यू.सी. या पी.ए.सी. में बैठते हैं, जो आडिटर रिपोर्ट देता है उसके बाद में आगे एक्सप्लेनेशन भी होता है सरकार की तरफ से, उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िये। आप आधी चीज प्रस्तुत मत कीजिये।

श्री सभापति: बिराजिये, बिराजिये, बिराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आंकड़ों की जादूगरी वाला काम मत कीजिये।

श्री सभापति: कृपया टोकें नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, जिस आदमी को लायल्टी बतानी है तो कालीचरणजी के साथ बताएं, घनश्यामजी के साथ क्यों बता रहे हैं? लायल्टी बताने की जगह जहां बतानी है, वहां तो बताते नहीं हैं। वहां तो बैठना है। घनश्यामजी के साथ बताने में कोई फायदा नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह लायल्टी की बात नहीं है, विद्वान साथी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आप आंकड़ों की जादूगरी करके इस सदन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप दुबारा पढ़िये, इस रिपोर्ट को, इसके बाद सरकार का क्या जवाब है, वह भी पढ़िये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप चेयरमैन थे पी.ए.सी. के या मैं था?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने तो आपके अण्डर में ही काम किया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो आपने अटैण्ड की मीटिंग क्या? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उसमें सरकार के जवाब आते हैं। उसमें सरकार के जवाब आते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, पी.ए.सी. की रिकार्ड 225 रिपोर्ट सब्मिट की हैं, 10 दिन की अनुपस्थिति नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिस कमेटी के चेयरमैन आप हैं, उस चेयरमैन को यह अधिकार नहीं है। जिसमें आप एक्जामिनेशन करते हैं, जिसके चेयरमैन हैं या उस कमेटी के मैम्बर भी हैं, वह यहां इस सदन में तो, वहां पर आपने क्या एक्जामिन किया और क्या उसकी रिपोर्ट है, उसकी चर्चा यहां नहीं करनी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। पी.ए.सी. की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे मालूम है। **I am not reading.** सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। **As a Member I am not reading.**

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कहा न, मैं पी.ए.सी. का चेयरमैन हूं, मैं करता हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं वह रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं, आप चिन्ता न करें।

श्री सभापति: यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, अभी तो रिलीफ हुआ है, एजुकेशन हुआ है, पानी हुआ है, आगे रुको तो सही, चिन्ता क्यों कर रहे हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर कमेटियों में डिस्कशन होता है, वहां पर अधिकारी जवाब देते हैं और जवाब के बाद में उसकी पूरी कार्यवाही पी.ए.सी. में होती है और उसके बाद यहां सदन में रखी जाती है रिपोर्ट। आप उसको गलत क्यों कर रहे हो यहां पर।

श्री सभापति: बिराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब इतना ज्ञान बताकर क्यों अपने आपको एक्सपोज कर रहे हो, यह म्युनिसिपैलिटी नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह विधान सभा का सदन है।

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, इसी तरह से "Food Security, Subsidy and Management of Foodgrains. Improving the access to food by the poor through the various foodgrain distribution schemes under Targeted Public Distribution System has been at the core of Government of India's food security strategy. However, Government of Rajasthan could not fully implement this objective as foodgrains allotted by Government of India for distribution to public could not be fully lifted by it during the year 2001-06. Other important findings are as follows:-

1. During 2001-06 shortfall in lifting of wheat allotted for Below Poverty Line families ranged from seven to 32 per cent and for Antyodaya Anna Yojana introduced for poorest of the poor ranged between four to 13 per cent.
2. No foodgrains were distributed to additional beneficiaries to be covered under Annapurna Scheme with effect from April, 2005.
3. Due to shortfall in availability of wheat in some food Corporation of India depots, foodgrains were not distributed as per prescribed scales.
4. Cases of quality of wheat being lower than that prescribed were noticed.
5. There was lack of adequate inspections in Fair Price Shops at district levels besides shortfall in targets for meetings of Vigilance Committees."

सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि सरकार की ड्यूटी बनती है यह जानना कि आपने जिस योजना की विगत में घोषणा की उसका इम्पलीमेंट कैसे हो रहा है। खाली मैं इसको हाइलाइट करना चाहता हूं,

(डा. सी.पी. जोशी)

सभापति महोदय, कि सरकार उन योजनाओं की मानिटरिंग करने में असफल रही है। यदि यह असफल नहीं रहती तो इस तरह से सी.ए.जी. के आब्जर्वेशन नहीं आते। इस सरकार की जो पास्ट परफार्मेंस है, घोषणा पर मानिटरिंग का जो फेट है वह इस बात को इंगित करता है कि 2008-09 में भी इसका फेट यही होने वाला है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 2008-09 में मुख्य मंत्रीजी ने एक बड़ी घोषणा, की है। यह बड़ी घोषणा, जो बी.पी.एल. फैमिली के सम्बन्ध में की है, उसके बारे में मैं जरुर, निश्चित तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब यहां के किसान को पाला पड़ जाए, किसान की तकलीफ हो गई, तब इन्होंने कहा कि भारत सरकार जब तक नार्म्स नहीं बदले, तब तक हम पैसा नहीं दे सकते हैं। आपने नार्म्स बदलने की बात की। हालांकि 420 करोड़ रुपये सी.आर.एफ. के, 2005 के आपके पास पड़े हुए हैं। 2005-06, 2006-07 के एक हजार करोड़ रुपये आपके पास और आ गये। एन.आर.ई.जी.पी. स्कीम लागू होने से आप अकाल राहत के काम शुरू नहीं कर रहे हैं। आपको अल्टीमेटली इस 5 साल के बाद भी सी.आर.एफ. का पैसा बचेगा। लेकिन कोई बात नहीं। आपने बी.पी.एल. फैमिलीज के लिये घोषणा की, 450 करोड़ रुपये का आपने प्रोविजन किया। सभापति महोदय, 450 करोड़ रुपये, 1500 रुपये आप उनको देंगे, जो खाता खुलाएंगे। और 400 करोड़ आपने दो के लिये कहा। मैं पढ़ लेता हूं, सभापति महोदय, ''यह मानते हुए कि सभी बी.पी.एल. परिवार इस आह्वान को स्वीकार करेंगे, इस फाइनेंशियल इनक्लूजन योजना पर लगभग 450 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। और नीचे और लिखा है, सभापति महोदय, इंटरेस्टिंग बात यह है, ''लेकिन ऐसा इकोनोमिक एम्पावरमेंट बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूं कि समाज के अन्य वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, लघु एवं सीमांत कृषक आदि भी इस कदम को उठाकर समाज के आर्थिक ढांचे में सम्मिलित हों। अतः मैं यह भी घोषणा करती हूं कि ऐसे अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल करने हेतु एक योजना जून, 2008 तक की अवधि में लागू कर दी जाएगी, जिसके तहत भी महिला के नाम बैंक खाता खुलवाने वाले प्रत्येक परिवार को समान एक हजार पांच सौ रुपये भेंट किये जाएंगे। यह मानते हुए कि इस योजना का लाभ लगभग 25 लाख और परिवार ले सकेंगे, जिसके लिये 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गई है।'' इसका मतलब 450 करोड़ रुपये तो ये, और 400

(डा. सी.पी. जोशी)

करोड़ रुपये जून के बाद चाहिए, आपने लगभग 850 करोड़ रुपये किसके लिये किया, अन्प्रोडक्टिव इन्वैस्टमेंट? अच्छा होता, आप इसको प्रोडक्टिविटी से लिंक करते। ये 800 करोड़ रुपये का एन.आर.ई.जी.पी. स्कीम के मैटीरियल कम्पोनेंट के लिये प्रोविजन करते। मैटीरियल कम्पोनेंट का प्रोविजन करते तो वहां पर कहते कि जो बी.पी.एल. परिवार का आदमी है, जिसका मकान नहीं है, उस मकान में खुद मेहनत करेगा तो उसके मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा राज्य सरकार देगी। आप 1500 की जगह 2000 रुपये देते उस आदमी को तो उसका मकान बनता। लेकिन आप तो चैरिटी बांट कर वोट की फसल को काटना चाहते हो। आप चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपये रोकड़े जमा कर दें, फिर उनकी मीटिंग बुलाएं, फिर हम भाषण करें।

सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। आप राज में आएं-जाएं, आप राज में तो विचारधारा के आधार पर आना चाहते थे, **Party with a differences.** से **Party with differences,** दुर्गति यह हो गई। श्यामाप्रसाद मुखर्जी को हम भूल जाएं, दीनदयाल उपाध्याय को भूल जाएं। वोट लेने के लिये 1500 रुपये, वोट लेने के लिये साड़ी देवें, वोट लेने के लिये लूगड़ी देवें। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान में कभी नहीं हो सकती है कि सरकार इतनी वीक विकेट पर आ चुकी है कि राजस्थान की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिये राजस्थान के गरीब आदमी के पैसे का दुरुपयोग कर ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जिस योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को लाभ मिले और लाभ मिलकर हम उसका वोट लेवें। **This is the temptation of corrupt practice.**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापतिजी, एक मिनट। उन लोगों को, अमीरों को जब सब्सिडी देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं उसमें तो पेट में दर्द नहीं हुआ और बी.पी.एल. परिवार की महिला को 1500 रुपये दिये तो आपके पेट में दर्द हो गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): न पेट में दर्द उस समय हुआ, न आज हुआ पेट में। पेट में दुःख तो आपको हो रहा है, श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, जिसने 25 साल तक संस्कार की पोलिटिक्स की उसकी दुर्गति यह हो गयी है कि वोट मांगने के लिए ऐसा काम करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा पचास साल पहले कर लेते। पार्टी में डिफरेंस है। आप यह कहते कि 450 करोड़ रुपये उस

(डा. सी.पी. जोशी)

गरीब आदमी, बी.पी.एल. फैमिली का आदमी, मैटीरियल कम्पोनेंट देंगे, उसका एक कमरा बनेगा, उसका पक्का मकान बनेगा तो बहुत खुशी होती। उस आदमी को ताकत मिलती। यह इकोनोमिक एम्पावरमेंट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह मकान भी बनेगा और उसके पेट में या उसके बैंक खाते में अगर 1500 रुपये सरकार ने दे दिये तो वह कोई एहसान कर दिया क्या उस पर? कोई वोट मांगने के लिए दिया है क्या? माननीय सभापति महोदय, उस गरीब आदमी की सहायता के लिए दिया है हमने? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, मैं यही सुनना चाहता था। मुझे बहुत खुशी है, इस सरकार के इस बजट में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वह किसका है? नम्बर-1, अब मैं इस पर आना चाहता हूं, डूंगरपुर का वह गरीब आदमी जो स्वाभिमानी आदमी है, सरकार की पूरी ताकत, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के नेतृत्व में पूरी ताकत लगाने के बाद भी डूंगरपुर में कांग्रेस जीती। जब इनको मालूम है कि कांग्रेस वहां जीतेगी। मेड़ता का किसान, इस मेड़ता के किसान ने वहां से जिताकर भेजा। उनको मालूम है कि यह किसान राजस्थान में कांग्रेस के साथ जा रहा है इसलिए वोट को रोकने के लिए कभी तन सिंहजी को याद कर लो, कभी सूरजमलली को याद कर लो। वह भी पार नहीं पड़े तो लूगड़ी और साड़ी देकर और 1500 रुपये बांटकर आप राज में आना चाहते हो? यह इस बजट के पीछे जो मंशा है, माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान के भविष्य के लिए खतरा है। यह कंसोलिडेशन नहीं है। आपको इकोनोमिक एम्पावरमेंट करना है तो इकोनोमिक एम्पावरमेंट करिये उन लोगों का जिन किसानों की फसल नष्ट हो गयी। उन किसानों को पैसा देने में तकलीफ है आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 125 करोड़ रुपये दे रहे हैं। आज यह सरकार का कमिटमेंट होता किसान के साथ में, 400 करोड़ रुपये देते किसान को और कहते कि किसान हमारे साथ में है। लेकिन ये किसान को 400 करोड़ रुपये इसलिए नहीं देते क्योंकि वह किसान कांग्रेस को वोट देगा इसलिए किसान को मत दो। लेकिन इन गरीब आदमियों को मूर्ख बनाकर, धोबी को

(डा. सी.पी. जोशी)

यह देंगे, नाई का यह कर देंगे, आदिवासियों का यह कर देंगे, यह कर देंगे ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): धोबी-नाई को नहीं देना चाहिए क्या? तो इनका नहीं करना चाहिए क्या? उनका नहीं करना चाहिए क्या? धोबी-नाई को याद नहीं करना चाहिए क्या? ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं-नहीं, ये किसान नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गरीब को 1500 रुपये नहीं देने चाहिए? बी.पी.एल. वालों को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? तन सिंह को याद नहीं करना चाहिए? सूरजमल को याद नहीं करना चाहिए? तो यह अपने मैनिफेस्टो में लिख दो न आप कि इस-इस को याद नहीं करेंगे? ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, कल्याण सिंहजी कालवी, चंद्रशेखरजी, सुरेन्द्र सिंहजी, किन-किन को याद करते हो आप? तन सिंहजी का पचास साल बाद याद आया आपको। वोट लेने के लिए तन सिंहजी याद आये। तन सिंहजी कौन हैं, आप मुझे बता रहे हो अब। पूरी राजनीति में 25 साल तक राज करते-करते ...(व्यवधान) कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला ...(व्यवधान) कभी तन सिंहजी का नाम निकला है पहले आपसे ? .. (व्यवधान) 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, तन सिंहजी का नाम निकला कभी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने इलैक्शन मैनिफेस्टो में यह लिखा देना । आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह लिखवा देना कि सूरजमल का नाम लेना गुनाह है। तन सिंहजी का नाम लेना गुनाह है। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 25 साल से आज राजनीति कर रहे हो, तन सिंहजी का नाम मुंह से निकला कभी? ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने इलैक्शन मैनिफेस्टो में लिख देना न? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वोट लेने के लिए तन सिंहजी याद आ गये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने इलैक्शन मैनिफेस्टो में लिख देना न। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह धारिया ...(व्यवधान) याद कर रहा है। सूरजमल जी की जय बोले या किसकी बोले, मुझ से मत कहलवाओ सब। अपन को यह करना है ...(व्यवधान) मुझे भी ध्यान है क्या होता है, क्या नहीं होता। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है इस बजट में दो चीजों का तो, असर है- डूंगरपुर का चुनाव, मेड़ता का चुनाव। उसके बाद नयी परम्परा, हर पार्टी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है वह संक्रमण काल में गुजर रही है। आडवाणीजी ने जिन्ना की बात की, आर.एस.एस. ने डिसओन किया। फिर नेता बना दिया। मोदीजी ने जो डिसओन किया आर.एस.एस. को, विश्व हिन्दू परिषद को, वह जीत गये। अब राजस्थान में भी जो संस्कारित लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि बोलो मत। यह गुजरात माडल है, सब ठीक हो जाएगा। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भीड़ एकट्ठी करेंगे। जय-जयकार कराएंगे और हम दुबारा सत्ता में आ जाएंगे। यह राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है। भूखी रह सकती है, जो दड़ राखे दम्भ को, तेही राखे करतार। यह चूरू नहीं है। यह मेवाड़ की जनता जानती है कि गरीबी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। कैसे जमखड़ करते हैं। अबकी बार फिर आ जाना मेवाड़ के अन्तर्गत, यह तो कटारियाजी बैठे हुए हैं? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, चूरू राजस्थान में नहीं है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वहां कटारियाजी की कितनी भूमिका है, मुझे कहनी नहीं चाहिए। सम्मान करता हूं, मैं पर ऐसे ही आपको भगवान ने जो अक्ल दी है, यह फोटो दो साल से एन.आर.ई.जी.पी.स्कीम चल रही है, यह माननीय मंत्रीजी खड़े होकर बोल रहे हैं, याद नहीं है वह एन.आर.ई.जी.पी. स्कीम दो साल से चल रही है। तब तो फोटो कालूलालजी का नजर नहीं आया था। तब वसुन्धराजी का नजर नहीं आया था। दो साल से एन.आर.ई.जी.पी. स्कीम चले, सरकार मानिटरिंग नहीं कर सके। सरकार की व्यवस्था मालूम नहीं, ये प्रोविजन थे कि लोगों को नौकरी देनी है, उसमें मॉनिटरिंग करवानी है। मॉनिटरिंग करवायी नहीं आपने। वेजेज मिले नहीं। आज राजस्थान में

(डा. सी.पी. जोशी)

मिनिमम वेजेज 73 है, कितने लोगों को 73 वेजेज मिल रहे हैं? प्राइवेट सैक्टर में मिल रहे हैं? आपके प्लेसमेंट सर्विस में मिल रहे हैं? पर क्योंकि भारत सरकार से पैसा मिलेगा इसलिए 100 रुपये देंगे मिनिमम वेजेज का। एन.आर.ई.जी.पी. का पैसा भारत सरकार का है, भारत सरकार लेबर कम्पोनेंट उठाती है, इस एश्योर पर करके ...(व्यवधान) माल खाए माटी का, गीत गाए वीरा का, यह थोड़े ही चलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): भारत सरकार कोई विदेशी थोड़े ही ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह करिये। ...(व्यवधान) आप में हिम्मत हो तो बताएं, लेबर मिनिस्टर, कि राजस्थान में कितने प्राइवेट सैक्टर के आदमियों को मिनिमम वेजेज पर आपने चालान पेश किया? आप बताइये। लेते हैं आप वहां से? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): भारत सरकार पैसा कहां से लाती है? भारत सरकार पैसा कहां से लाती है? क्या हमारा पैसा नहीं है? भारत सरकार के पैसे में ...(व्यवधान) भारत सरकार हमारी ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले, माननीय जोशी साहब, आप यह बताइये कि आप उसके विरोध में हैं, यह मिनिमम वेज नहीं बढ़नी चाहिए गरीब की? आप विरोध में हैं क्या कि मिनिमम वेज नहीं बढ़नी चाहिए? ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं किस में हूं, मैं बता दूंगा। आप बिराजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं फिसकल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, माननीय सभापति महोदय, वित्तीय प्रबंधन में, इस तरह जोरदार वित्तीय प्रबंधन है। वित्तीय प्रबंधन यह बात सही है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत आपने जो सरकार के नियम और कानून है उनका पालन किया। **At the cost of what?** माननीय सभापति महोदय, उसकी **cost the sufferer is the social sector.** माननीय सभापति महोदय, यह सोशल सैक्टर नहीं है। आज भी जी.डी.पी. और डैट का जो रेशो है वह नेशनल एवरेज से राजस्थान का ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आर.बी.आई. के आकड़ों से कहना चाहता हूं, डैट पोजीशन हरियाणा,

(डा. सी.पी. जोशी)

चंडीगढ़, कर्नाटका और तमिलनाडु, आज टॉप की स्टेट्स हैं। और राजस्थान का ब्रेकेट है, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और बिहार। डैट, और जी.एस.डी.पी. रेशो जो है वह राजस्थान में आज भी 48.1 परसेंट है। नेशनल एवरेज 10 परसेंट है। बताइये। यह फिस्कल आपने जो व्यवस्था की है आपको समझना पड़ेगा कि भारत सरकार से पैसा ज्यादा आ रहा है। फ्लो फण्ड माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी जब केन्द्र के प्रधान मंत्री थे तब 1998-2003 तक राजस्थान सरकार को जो केन्द्र से पैसा मिला, उस पैसे का जोड़ लगा दो, उसका एक आकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। पूरे पांच साल का जितना पैसा मिला उतना पैसा राजस्थान सरकार को 2007-08 में मिल रहा है। आज राजस्थान सरकार को केन्द्र से 7000 करोड़ रुपये 2008-09 के अन्दर मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, आप यह बताए कि 1998-99 में कितना मिला? 1999-2000 में कितना मिला? दिल्ली में सरकार आपकी थी। आपने नीतियां बनायीं कि मन मोहनसिंहजी प्रधान मंत्री हैं, 9 परसेंट की जी.डी.पी. है? (व्यवधान) टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। अशोक गहलोत की सरकार के समय मिड-डे मील का पैसा नहीं मिलता था। अभी तो मंत्रीजी भाषण दे रहे हैं कि हम 500 तक में यह कर लेंगे। राजस्थान में कितने गांव थे जो पांच हजार के थे? कितने गांव तीन हजार के थे? अब 500 के ज्यादा गांव आ गये। पैसा ज्यादा आ रहा है तो हमने ये काम पैदा कर लिये। फ्लो फण्ड भारत सरकार का है और वाहवाही अपन लेना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सब वहां? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): पैसा किसका है, यह बताओ? भारत सरकार का पैसा किसका है, यह बताओ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरा।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपका कहां से आ गया? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरे घर से? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं, टैक्स? (व्यवधान) हम टैक्स देते हैं। आपका पैसा है तो आप? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो प्रधान मंत्री का फोटो लगा दो उनमें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आपने एक तरफ तो वसुन्धराजी सज़ा दीं और दूसरी तरफ कालूलालजी। प्रधान मंत्री का फोटो भी लगा देते क्योंकि देश के प्रधान मंत्री का पैसा? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके राज में लगाया है क्या? आपको पता है, आपके राज में भी लगाया है क्या कभी पहले? (व्यवधान)

श्री सभापति: टोका-टोकी नहीं करें। बोलने दें? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भारत सरकार तो उस समय थी जब आपका राज था। क्या भारत सरकार की योजना में आपने लगायी? आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। भट्टजी भुट्टा खा रहे हैं और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो कालूलालजी गुर्जर, या तो प्रधान मंत्री का फोटो लगवा दो वर्ना आपकी और मुख्य मंत्री के +++ जाएगी। +++ जाएगी इन पोस्टरों पर। +++ जाएगी फोटो पर? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उस स्कीम को हम चला रहे हैं। हम उस पर फोटोग्राफ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): प्रधान मंत्री का फोटो छपवा दो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भारत सरकार एहसान नहीं कर रही है। भारत सरकार का अकेला का पैसा नहीं है। यह बता दो कि भारत सरकार के अलावा राजस्थान सरकार का पैसा है उसमें? (व्यवधान) केवल भारत सरकार का नहीं है। राजस्थान का पैसा भी है और हम उस योजना को चला रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनरी बनायी है, हमारा नाम नहीं करेंगे तो क्या आपका नाम करेंगे? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप अच्छे ढंग से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कालूलालजी आप करिये। आपके बच्चे का भी लगेगा। बच्चे के साथ लगवाइये, आप बच्चे के साथ लगवाइये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : (व्यवधान) जिनकी जरूरत होगी...

एक माननीय सदस्य: आपके बच्चे के साथ करेंगे? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी फाउंडेशन में 45 हजार करोड़ रुपये हैं उसमें से दिलाओ न। पाला पड़ गया उसमें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, दिलवाएंगे। दिला देंगे, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, यह केशव बाड़ी योजना भारत सरकार की है या आपकी? आपकी है या भारत सरकार की है? तो फिर किस मुंह से आप सारा पैसा, भारत सरकार के पैसों से कर रहे हो। यह बताओ आप ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारी वह सारी ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केशवबाड़ी योजना राजस्थान सरकार ने अपनी बनायी और केशवबाड़ी योजना का सारा पैसा भारत सरकार से इस नरेगा में दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको। आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं कहता हूं कि राजस्थान की सरकार को भारत सरकार से पैसा मिलता है वह कोई मेहरबानी नहीं है, हमारा हक है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और यह सारी योजना, यह सारी योजनाओं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और यह सारी योजनाओं में मिलता है जो कि ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जनता का पैसा है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केवल यह अकेली योजना नहीं है। सारी योजनाओं में भारत सरकार पैसा देती है और भारत सरकार देती है तो कोई एहसान नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नरेगा में ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह राजस्थान की जनता की खरी कमाई का टैक्स है, यह हमारा राइट है। आप क्या मेहरबानी कर रहे हो? यह कृपा नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह ...(व्यवधान) व्यवस्था की है। हमारा पैसा है वह। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह जो बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपने नाम की योजना के लिए आप फण्ड दो न। अपनी नाम की योजना के लिए फण्ड दो। आप। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब आप तो यूं ही करते रहेंगे। आपका तो क्या है, विरोध करने का काम है। आप विरोध करो, बाकी और कोई काम है नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यहां अपने नाम की योजना का कोई फण्ड नहीं है और जो साड़ियां दे रहे हो न ...(व्यवधान) नरेगा में काम करने वालों को, वह इसलिए ही दे रहे हो कि उस नाम से आप घोषणा चाहते हो, उस योजना के नाम से...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह राजस्थान की जनता का अपमान किया है, राजस्थान नहर का नाम बदल कर इंदिरा गांधी नहर रखा है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपने तो कभी जीवन में नहीं दी है इसलिए आपको दु:ख है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके बजाए तो बी.जे.पी. वालों का ही सुन लेंगे। आपके दल को विलय कर रहे हो। आपके बजाए तो बी.जे.पी. वालों को ही सुन लेंगे न। आप इस सीट की और शोभा बिगाड़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके बजाए तो सी.पी. जोशी साहब ही बहुत बोल लेंगे। आप क्यों बिगाड़ रहे हो इनका, यह सक्षम नहीं हैं क्या? सी.पी. जोशी साहब सक्षम नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सारे कलक्टर्स से पैसा वसूल किया जाएगा, जांच की जाएगी। केशव बाड़ी योजना का जिस कलेक्टर ने भी पैसा नरेगा में से दिया है तो वह सस्पैंड होगा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने राजीव गांधी के नाम पर स्कूलें खोलीं सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से। (व्यवधान) आपने राजीव गांधी के नाम से स्कूलें खोलीं सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से, उस समय आपका जमीर कहां गया था? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आने वाली सरकार उसको सस्पैण्ड करेगी। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको कलक्टर से पूछने का मौका कहां मिलेगा, आप तो विरोध में रहोगे। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, टोका-टोकी नहीं करें। (व्यवधान) ज्यादा मत बोलो। बार-बार टोकना ठीक नहीं है, एकाध बार टोक दिया तो ठीक है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह है, सभापति महोदय, कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट लागू होने के बाद जिस तरह की हम व्यवस्था कर रहे हैं, उस व्यवस्था में जो ऋण का भार है, उसका पेमेन्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। आवश्यकता की बात यह है, सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अभी हमारा डैट, आज की डेट में जो प्रोजेक्शन है, जब कांग्रेस की सरकार गयी तब ऋण था 53,190 करोड़ रुपये, आज राजस्थान का ऋण भार हो गया है 80,274 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, इस ऋण भार को चुकाने के लिए जो पैसा आ रहा है, बोएंसी के कारण आज आपके स्टेट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, वह पैसा ब्याज देने में खर्च हो रहा है। उस ब्याज में खर्च करने से क्या हो रहा है कि हमारा जो नान डवलपमेंट टैक्स एक्सपेंडिचर है, वह नान डवलपमेंट

(डा. सी.पी. जोशी)

एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और डवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अच्छा होता, सभापति महोदय, एम्बीशिएस प्लान बनाकर हम प्लान की साइज बढ़ा रहे हैं, उस प्लान की साइज की बनिस्पत हम पहले इस लायबिलिटी को करते। हम नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करते और प्लान की साइज को नहीं बढ़ाते तब, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था ठीक होती। लेकिन, सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज की डेट में ब्याज संदाय में 6,440 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 5,701 करोड़ रुपये देने थे 2006-07 में, 2007-08 में 6,125 करोड़ रुपये दे रहे हैं, 2007-08 में 5,921 करोड़ रुपये, 2008-09 में 6,440 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, यह जो खर्चा है, यह खर्चा जा रहा है ब्याज संदाय में। यह पैसा आपका जा रहा है मजदूरी और वेतन में। इस पैसे को हमने नहीं रोका तो छठी योजना के बाद में आपकी और प्रॉब्लम हो जाएगी। आज, सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): कर्मचारियों को पैसा नहीं दें ...(व्यवधान) यह बढ़ा है, वह नहीं दें? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कहां दे रहे हैं, हम देंगे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक तरफ तो कल यह कह रहे थे कि छठा वेतन आयोग आ रहा है, उसका पैसा नहीं दें, एक तरफ आप कह रहे हो देओ। कर्मचारियों के विरोधी हो इसलिए नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1998 से कितना दिया .. (व्यवधान) ब्याज का पैसा कांग्रेस ने बढ़ाया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कर्मचारियों का वेतन आयोग बनाने वाले मनमोहन सिंहजी कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं। मैं कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूं सदन के माध्यम से कि उनकी लैजिटिमेट मांगों को कांग्रेस पूरा करेगी। हम इनके भरोसे नहीं हैं। ये एन डी सी में जाकर तो बोलें कि हम इसका विरोध करते हैं और यहां यह सब नहीं बोलें। और घूमते हो, ऐसा काम नहीं करेंगे। छठा वेतन आयोग कांग्रेस की सरकार ने लगाया है, मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री हैं, मैं सदन के माध्यम से कर्मचारियों को भरोसा दिलाना

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करेंगे, इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जब सत्ता में थे तो कर्मचारियों का गला घोंट दिया और आप दुबारा सत्ता के लिये देख रहे हो। मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मुर्गा बनकर कहो कि हमारी गलती हो गयी, आइन्दा नहीं होगी। मुर्गा बनकर कहो, मुर्गा बनकर। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): पहले जैसे ध्यान रखा, वैसे रखोगे? कर्मचारियों का ध्यान पहले जैसे रखोगे, जोशीजी। पांच साल बहुत ध्यान रखा आपने। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, दो-तीन फीगर आपको देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। शेयर जो सेंट्रल एक्सेस का है राजस्थान का, सभापति महोदय, 2005-06 में 5,300 करोड़ रुपये मिले, 2006-07 में 6,760 करोड़ रुपये, 2007-08 में 8,001 करोड़ रुपये और 2008-09 में यह राशि है 9,877 करोड़ रुपये। यह सरकार बताए कि 9,877 करोड़ रुपये क्या पिछले पांच साल में अशोक गहलोत की सरकार में, अटल बिहारी जी की सरकार में राजस्थान को मिले थे? शेयर हमारा ज्यादा, मिड-डे-मील का पैसा हमारा, हैल्थ की स्कीम भारत सरकार की, भारत निर्माण की स्कीम भारत सरकार की थी। सरकार इम्प्लीमेंट करे, फैडरल स्ट्रक्चर है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में मैंने बताया कि स्थिति क्या बनी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पग-फेरा ही गलत था उस समय, न तो बारिश आई, न पैदावार हुई, न पैसा आया। पग-फेरा ही गलत था। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नौकरियां ज्यादा दी हैं जिस कारण से नान प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यह नौकरियां अधिक देने के कारण बढ़ा है, सभापति महोदय। उसके कारण नान प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराज जाएं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, नौकरी किसी को दी कि नहीं, पर चमचों को नौकरी जरूर दी है। जो मंत्री बन गये और नौकरी हो गयी। बाकी नौकरी नहीं मिली राजस्थान में। (व्यवधान) सभापति महोदय, एक बात अन्त में कहना चाहता हूं, चार स्टेट आन्ध्रा, महाराष्ट्र...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, यह वर्ड बाहर निकलवाए, नहीं तो हम भी कहेंगे कि ये भी अशोकजी के चमचे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, हैं हम तो। हैं हम तो। बोलो आप भी किसके चमचे हो। मैं हूं चमचा, क्या तकलीफ है आपको? आप तो न भैरोंसिंहजी के रहे, न वसुन्धराजी के रहे, किसके चमचे हो आप, बोलो न? मैं तो किसी का हूं, आप भी तो बोलो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पहले थे, अब तो खुद ही चक्कर में हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हम तो राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, किसी के चमचे नहीं हैं। आप चमचे बनते हो तो ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जोशीजी, चमचा होना मुबारक हो आपको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले चमचे थे। पहले तो यह थे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यहां चमचों की चर्चा क्यों हो रही है? ..(व्यवधान) सभापति महोदय, चमचों की चर्चा तो यहां बंद करो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपके लिए हो रही है। ऐसे चमचे आ जाते हैं तकलीफ देने के लिए, इसलिए कह रहे हैं, बाकी नहीं कहते हम। आपके लिए कह रहे हैं हम। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब आप तो खुद स्वीकार कर रहे हो कि आप चमचे हो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरी तरह यह चमचा आपको कह रहे हैं। (व्यवधान) मुझे तकलीफ है, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): कालूलालजी, यह इसलिए हो रही है .. (व्यवधान) एक मिनट, जोशीजी। कालूलालजी, यह इसलिए हो रही है कि भारत सरकार के न्योते पर राजस्थान के लोग डोल रहे हैं। राजस्थान के पुरसगारे डोल रहे हैं। पुरसगारी अच्छी नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अपना मामला है, वही निपट लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जोशीजी, क्लीयर करो पहले। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें न, बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह अभी कह रहे थे कि मैं अशोकजी का चमचा हूं। यह सोनियाजी के चमचे हैं या अशोकजी के चमचे हैं, यह तो क्लीयर करो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: कम्प्लीट करने दें आप। (व्यवधान) बैठो आप। बार-बार मत बोलो आप। लैट हिम कम्प्लीट। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो प्लान बना हुआ है, उसमें स्टेट के शेयर में जो एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिये। मुझे कहते हुए तकलीफ है, चाहे हमारा राज हो, चाहे किसी और का राज हो, जो हमने प्लान बना रखा है, उसका आज दिन तक लैस दैन थ्री परसेंट एक्सपेंडिचर है। स्टेट का नान प्लान का हिसाब-किताब लगा लें, प्लान का हम छोड़ दें, मैं समझता हूं शिड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेंट प्लान है, उस प्लान का जो एलोकेशन है, वह बढ़ाया जाना चाहिये। उसमें जो हैड है उसके संबंध में निश्चित तौर पर चर्चा करनी चाहिये, कैसे उसका लाभ गरीब आदमी को मिले। केवल मात्र हम टोकन से व्यवस्था करें, वह नहीं हो। स्टेट का जो प्लान है वह फीगर मैं चाहता हूं, जरूर देखें। इसमें लैस दैन थ्री परसेंट है प्लान और नान प्लान का, इट इज वैरी सीरियस मैटर। राजस्थान में भी 12 प्रतिशत और 16 प्रतिशत हमारे जो वलनरेबल सैक्शन हैं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा, वलनरेबल सैक्शन मेरी प्रायोरिटी हैं, उसके बाद भी पांच साल में शिड्यूल्ड कास्ट के कम्पोनेंट प्लान के अंदर इतना इन्वैस्टमेंट है तो यह गम्भीर प्रश्न है।

(डा. सी.पी. जोशी)

सभापति महोदय, आखिर में मैं कुछ बातें गम्भीर कहना चाहता हूं। गम्भीर, बहुत गम्भीर और गम्भीरतम। सभापति महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं, नान टैक्स रेवेन्यू राजस्थान का कैसे बढ़ाया जा सकता है मुझे कहते हुए तकलीफ है, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, और सरकार जब जवाब दे तो इस बात को कहे कि राजस्थान में जिस तरह की जमीन का लैण्ड यूज चेंज किया, उस लैण्ड यूज चेंज में, सभापति महोदय, दो उदाहरण देना चाहता हूं। जे डी ए की बाउण्ड्री के अंदर जो लैण्ड यूज है, उसकी रेट अलग है, नियम बने हुए हैं और जो गांव जे डी ए की बाउण्ड्री के बाहर थे, ऐसे गांवों के अंदर बड़े-बड़े बिल्डर्स को लाकर जमीन अलाट की। माननीय सभापति महोदय, जे डी ए के अदंर यदि एक बीघा जमीन की कीमत 10 लाख रुपये है तो स्टेट की एक्सचैकर में जमा होता, पर जे डी ए के बाहर जो गांव थे, उन गांवों का एक भी पैसा स्टेट एक्सचैकर में जमा नहीं होता था। 131 गांव राजस्थान में जयपुर के अंदर जो जे डी ए की बाउण्ड्री में नहीं थे, कलक्टर से लैण्ड यूज चेंज करवाया गया। वह जो पैसा आया, माननीय मंत्रीजी जवाब दें, चैक कर लें, वह पैसा यदि राजस्थान की रेवेन्यू में आता तो राजस्थान का नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ता, जो हम डिप्राइव हुए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह फन किंगडम, मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं फन किंगडम की जमीन किसकी थी? फन किंगडम की जमीन रीको की जमीन थी। रीको की जमीन किसने खरीदी? खरीदकर किसको बेची? और क्या व्यवस्था की? 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का सौदा हुआ, बताएं यह कि यह रीको की जमीन थी या नहीं ? लैण्ड यूज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहना चाहूंगा गम्भीरता से, राजस्थान में गम्भीर खेल खेला गया। इस तरह से लैण्ड यूज चेंज किये गये। यह मंगलम ग्रुप कौन है? इस मंगलम ग्रुप के आदमियों ने कहां-कहां लैण्ड यूज चेंज करवाये? कहां-कहां व्यवस्था कराई? यह यूनिक बिल्डर कौन है? मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं, और मैं गम्भीरता से इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान की जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जितना आज दिन तक नहीं हुआ। यह पैसा राजस्थान की जनता के पास नहीं आया। आप 400 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं, 1500-1500 रुपये देना चाहते हैं और पांच हजार करोड़ रुपये अपने घर रखना चाहते हैं। इससे राजस्थान की जनता गुमराह नहीं हो सकती। राजस्थान की जनता को गुमराह करके, इस तरह से

(डा. सी.पी. जोशी)

लैण्ड यूज को चेंज करके राजस्थान के खजाने के साथ जो मजाक किया गया है, इस सरकार के ऊपर गम्भीर आरोप है। यह सरकार राजस्थान का नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकती थी। नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया नहीं। आज भी राजस्थान सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जिन्होंने लैण्ड यूज इस तरह से करवाया, जो विलेज जे डी ए के अंदर नहीं थे, उन्होंने लैण्ड यूज चेंज करवा दिया, यदि वो फ्लैट बना रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, राज्य के अन्दर टैक्स वसूल किया जाए।

मैं अंत में आशा करता हूं, गम्भीरता से आशा करता हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं आरोप लगाऊं लेकिन मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ पिछले चार साल से हुआ है, राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। समय आ गया है, सभापति महोदय, इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, इस करप्ट सरकार की प्रैक्टिस को जनता के बीच में बताना पड़ेगा और जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम न्याय करेंगे, पारदर्शिता के आधार पर करेंगे और यदि बेइमानी की है तो उसके साथ हम कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, कटारियाजी बैठे हुए हैं, अंत में कहना चाहता हूं कि ये सरकारी अधिकारी कब से राजनीतिक आदमी हो गये? क्या आर.एस.एस. इतनी कमजोर हो गयी, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गयी कि छोटे-छोटे तहसीलदार और एस.डी.एम. को बुला कर माननीय मुख्य मंत्रीजी के घर में लोग आएं, गाड़ी में बैठ कर आएं, उनके खाने की व्यवस्था करें? ऐसे राजनीति चलेगी? यह राजस्थान की जनता को करप्ट करने की जो व्यवस्था की जा रही है इसको राजस्थान में रोका जाना चाहिए, सभापति महोदय। मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी में भी जो साहस था वह साहस खतम हो गया है। कटारियाजी में, घनश्यामजी तिवाड़ी में और आप जैसे आदमी में वो संस्कार थे वो खतम हो गये, यह संस्कारविहीन राजनीति राजस्थान को कहां ले जाएगी, यह सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान के लिए ऐसा बजट लाओ जिस बजट में गांव वाले आदमी का भला हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराज जाएं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ऐसा बजट लाओ जिसमें राजस्थान का

(डा. सी.पी. जोशी)

विकास हो, ऐसा बजट मत लाओ जिस बजट से आप आशा करते हो कि लोगों को गुमराह करके फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): फालतू की बात करते हैं ...(व्यवधान) आपके, कांग्रेस के राज में होता होगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का ...(व्यवधान) भूखा मर जाएगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह बजट न राजस्थान का विकास करेगा, न यह बजट आपको सत्ता में लाएगा। यह बजट लोकतंत्र के लिए गम्भीर चुनौती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कहते हो सरकारी कर्मचारी ने खाना खिलाया, यह कैसे आरोप लगा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी ने खाना खिलाया? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप। श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस करती होगी, कांग्रेस के संस्कार अभी बी.जे.पी. में नहीं आये हैं। आपके संस्कार हम में नहीं आये, आप करते होंगे इस प्रकार की ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, जमा नहीं आज तो। जोशीजी, आपका भाषण आज जमा नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सरकारी कर्मचारी खाना खिलाता है, आप में यदि हिम्मत हो तो बताओ, किस सरकारी कर्मचारी ने खाना खिलाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें। श्रीमती अनिता भदेल, बोलें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। यहां विधान सभा के बाहर हजारों राजपूत महिलाएं आरक्षण के लिए आन्दोलन कर रही हैं, माननीय संसदीय मंत्रीजी को कहिये कि उनको

(श्री सी. डी. देवल)

जाकर आश्वासन दें। राजपूत महिलाएं कर रही हैं जिनको वसुन्धराजी ने लिख कर दिया था 26.02.2003 को राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ की मध्यस्थता से कि इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आज हजारों महिलाएं बाहर खड़ी हुई हैं।

श्री सभापति: विराजें आप, मैंने अनिताजी का नाम पुकार लिया। माननीय सदस्य, आपकी बात हो गयी, मैंने अनिताजी का नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन। आप इनसे कहिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी जाएं चाहे मंत्रीजी जाएं, चाहे गृह मंत्रीजी जाएं, उनसे मिलें और उनकी बात को सुनें और उनको आश्वस्त करें।

श्री सभापति: विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जानते हैं कि राजपूत महिलाएं परदानशीन हैं और राजपूतों की जो आरक्षण की मांग है बिलकुल जायज है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति राजा-महाराजाओं की नहीं है, जागीरदारों की नहीं है सामान्य राजपूतों की है, उनकी स्थिति खराब है। इसलिए वहां जाकर उनको आश्वासन दें और उनकी बात को सुन कर कोई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। अनिताजी, आप प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और वो आपके लिए चूडियां लायी हैं उनको तो पहन लो। वो चूडियां लेकर आयी हैं उनको तो पहनो। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो पहन लो पहले। आपके लिए क्या लायी हैं? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह वसुन्धरा राजे का पत्र है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का पत्र है जिन्होंने लिखा है – मैं राजपूत घराने से हूं परन्तु राजपूतों को आरक्षण देने के लिए यदि मेरे घराने को आरक्षण नहीं दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यह बजट पर बोलने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः मेरा घराना राजपूतों के हित में यह त्याग करने को तैयार है। यह माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे का 2003 का पत्र है, इस पत्र की क्रियान्विति करने के लिए, माननीय संसदीय मंत्री राजेन्द्र राठौड़ साहब, आप जाइये। जब गूजर समाज एक हो सकता है, मीणा समाज एक हो सकता है तो राजपूत समाज क्या ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)ः यह क्या हो रहा है, सभापति महोदय? इनको कहो, एक समय होता है पाइंट आफ इन्फार्मेशन का, इन्फार्मेशन इन्होंने दे दी। उनकी तरफ से बहस करना चाहते हैं तो इनको अलाउ कर दो ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजें। श्रीमती अनिताजी। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः यह हमारी आपसे मांग है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)ः एक इन्फार्मेशन उन्होंने दे दी, खतम बात हुई। आगे वो महिला बोल रही हैं, उनका जवाब दे रही हैं। (व्यवधान) यह क्या हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बीच-बीच में नहीं टोकें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः आपको क्या कष्ट हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बीच-बीच में नहीं ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)ः सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कम से कम जांच हो ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)ः पाइंट आफ इन्फार्मेशन दे दी ...(व्यवधान) पाइंट आफ इन्फार्मेशन पूरा हुआ ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)ः राजपूतों के वोटों से आप सिवाणा से यहां तक आये हो, बाकी, माननीय सदस्य, आते ही नहीं, इसलिए राजपूतों का विरोध करके कहां से खड़े होगे, सोच लो। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय देवल साहब, अब हो गयी आपकी बात। (व्यवधान) अब विराज जाएं आप। श्रीमती अनिताजी, बोलें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)ः सभापति महोदय ...(व्यवधान) उनको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि राजस्थान के मूलभूत ढांचागत परिदृश्य को सुधारने के लिए ...(व्यवधान) राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पिछले चार सालों का जो बजट प्रस्तुत किया है

(श्रीमती अनिता भदेल)

उन सब से शानदार, अच्छा बजट मैं इस बजट को कहूंगी। माननीय सी.पी. जोशी साहब ने चार सालों के बजट की आलोचना की, कुछ आंकड़े बताये और यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का खर्च नहीं किया है। तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूं, मेरी बात को सुनें, सदन से उठ कर चले गये हैं, उनको मैं जवाब देना चाहती हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना जो प्रारम्भ की गयी थी उसमें उनके शासन के वर्षों में और हमारे शासन के वर्षों में कितना खर्च हुआ है वो आंकड़े मैं बताना चाहती हूं। वर्ष 2002-03, में आपने खर्चा किया है 73.88 करोड़, वर्ष 2003-04 का खर्चा 89.87 और वर्ष 2004-05 ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय।

श्री सभापति: हां फरमाएं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): वर्ष 2004-05 में जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया शासन में आयीं और उन्होंने इस राज्य के वित्त विभाग की व्यवस्था सम्भाली ...(व्यवधान)

सूचना

राजपूत समाज की महिलाओं का आरक्षण-आन्दोलन

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि राजपूत समाज की महिलाएं बाहर खड़ी हैं, मुख्य मंत्रीजी ने खुद लिख कर दिया हुआ था कि मैं खुद राजपूत घराने से सम्बन्ध रखती हूं इसलिए मैं जब भी सत्ता में आयी, मैं राजपूतों को आरक्षण दूंगी लेकिन आज तक न तो मुख्यमंत्री ने उसके बारे में बात की है और न कोई और की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह अभी आपने, देवल साहब ने यह बात छेड़ी है।... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): करणी सेना ने इतने बड़े रूप से बहुत प्रदर्शन भी कर लिये, लाखों की तादाद में यहां पर राजपूत इकट्ठे भी हुए लेकिन तो भी कोई किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें नहीं दिया जा रहा। आज कुछ महिलाएं यहां पर एण्टर करने दी गयी हैं, 10-11 औरतों को, तो कम से कम सरकार को आप यह तो निर्देश देवें कि जाकर उनसे कोई बात करे।

श्री सभापतिः बिराजें आप, आपने अपनी बात कह दी। बिराजें आप ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, हो गया न ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः श्रीमती अनिताजी बोल रही हैं। (व्यवधान) पाइंट आफ इन्फार्मेशन देनी थी, आपने दे दी। आपने दे दी, बिराजें, आप, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): सभापति महोदय, बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बैठिये आप। बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम यह चाहेंगे, आप यह बताएं कि आपने राजस्थान में राजपूत समाज को आरक्षण का वादा किया था या नहीं किया था? ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आपने अपनी बात कह दी है ...(व्यवधान) बैठिये। देवल साहब, आपने बात कह दी ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): वो तो लिखित में है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, यह पूरा आपने भरोसा दिया था। लाखों लोगों को आपने पूरे राजस्थान में कौने-कौने में जाकर भरोसा दिलाया था ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बिराजें अब। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, किसी को निर्देश तो दीजिए, सरकार को ...(व्यवधान) कोई उनकी बात तो जाकर सुने ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): वसुन्धराजी राजे जब एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट थीं उस दौरान सुनहरी बाग़ में रहती थीं ...(व्यवधान) उस समय उनको लिख कर दिया था ...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): राजस्थान सरकार को डूब मरना चाहिए, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इनको निर्देश दीजिए, राठौड साहब बोल नहीं रहे हैं ...(व्यवधान) बात करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय रणवीरजी, कृपया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह पत्र है, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापित महोदय, मुख्य मंत्रीजी जो आज मुख्य मंत्री हैं उस समय वो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट थीं और उन्होंने लिख कर के दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं स्वयं राजपूत घराने से सम्बन्ध रखती हूं, न कि कहीं पर लिखा है कि मैं जाट घराने से सम्बन्ध रखती हूं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, इनको कहिये, मैं पढ़ कर सुनाता हूं आपको पत्र ...(व्यवधान) 'राजपूतों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण देने से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उनमें से गिने-चुने लोग ही पूर्वकाल में राज घराने में पैदा हुए थे। वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादातर राजपूत शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में पिछड़े हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): इन लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। मैं जाटों की बहू हूं, लिखित में तो दे रखा है, राजपूतों के घराने से हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मैं राजपूत घराने से हूं परन्तु राजपूतों को आरक्षण न देने के लिए यदि मेरे घराने को आरक्षण न दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा घराना राजपूतों के हित में त्याग करने को तैयार है। 26.02.2003, श्रीमती वसुन्धरा राजे। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप कहिये राजेन्द्रजी राठौड़ को, राजावत साहब को या गृह मंत्रीजी को कि उन महिलाओं से जाकर कम से कम उनकी बात तो सुनें। (व्यवधान) आरक्षण देना तो इनके हाथ में नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): लेकिन इसमें इन्होंने जो कहा है कि मैं ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजो तो सही। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें अब आप। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप निर्देश तो दीजिए। (व्यवधान) सभापति महोदय, निर्देश तो दीजिए इनको। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप केवल हाउस को यूं ही रोक कर रखेंगे क्या? ... (व्यवधान) अभी डिबेट चल रही है, माननीय सदस्या बोल रही हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस मामले में सरकार को थोड़ा बहुत तो दें कि वो जाकर उनसे बात करे, आश्वासन दे या जो भी है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः मैंने आपको अलाउ कर दिया तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि आप मर्जी आए जो बोलें ...(व्यवधान) आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चाहे चूडियां पहरावें तो यह इनका काम है कि पहनें कि नहीं पहनें, मगर बाहर तो जाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आपकी बात सुन ली, सरकार ने भी सुन ली है, जब मौका आएगा जब उधर ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, महिलाएं बाहर खड़ी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सवर्ण जाति के जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उनको आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वकार की थी और उसके लिए आर्थिक पिछड़ा आयोग राजस्थान में गठित हुआ है। (व्यवधान) आर्थिक पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है ...(व्यवधान) जो पिछड़े लोग हैं ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): चार साल का समय निकल गया ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान की सरकार बनी है, सभापति महोदय ...(व्यवधान) यह सब केन्द्र से सम्बन्धित है ... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिपोर्ट आ जाए उस आधार पर सरकार निश्चित तौर पर अभिशंसा करेगी ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, आज राजपूत महिलाएं बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, यह जनरल बात कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि उनकी जाकर यह बात सुनें ...(व्यवधान) उनकी बात को सुनें। आज की तारीख में वो राजपूत महिलाएं बाहर खड़ी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं। (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान) अब विराजें आप। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इनको निर्देश दें, सभापति महोदय। (व्यवधान) आसन की तरफ से व्यवस्था हो कि इनमें से कोई जाए, चाहे गृह मंत्रीजी जाएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देवल साहब, बोलने दें ...(व्यवधान) देवल साहब, बिराजें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मुझे बात कहने दें अपनी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान) इस मामले में मुख्य मंत्री ने जो कहा, आज हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी कह रहे हैं आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर अशोक गहलोतजी ने जब कह दिया था तो इन्होंने ही सबसे पहले विरोध किया था, नहीं, आर्थिक आधार नहीं मानेंगे, उस समय बगावत की थी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कभी विरोध नहीं किया। सभापति महोदय, आर्थिक आधार पर कमजोर तबके के लोगों को आरक्षण मिले, राजस्थान की मुख्य मंत्री पहली मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने आर्थिक पिछड़ा आयोग बनाकर इसके मार्ग को प्रशस्त किया है। उस अवधारणा पर हम अब भी कह रहे हैं। यह आरक्षण का मसला केन्द्र सरकार से संबंधित है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप ही सबसे पहले व्यक्ति थे ...(व्यवधान) जिन्होंने आर्थिक आधार पर नहीं होना ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, हमने तो आर्थिक आधार पर सबको आरक्षण देने की सिफारिश कर दी, आपकी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सेण्ट्रल गवर्नमेंट थी, आपने नहीं दिया। हमने तो उसी वक्त केबिनेट में पास करके...(व्यवधान) आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही थी... (व्यवधान) ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य सभी प्रकार के लोग थे...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने सबसे पहले विरोध किया । (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, अब आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अब केन्द्र की सरकार ने केन्द्रीय पिछड़ा आयोग बना दिया जो राजस्थान में दौरा करके आया है और राजस्थान की सरकार ने भी राज्य आर्थिक पिछड़ा आयोग बना रखा है, और उसी अवधारणा को जिसको केन्द्र मान रहा है उसी अवधारणा पर राजस्थान की सरकार ने काम प्रारम्भ किया है। आर्थिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अभिशंसा करेंगे। चूंकि केन्द्र सरकार से संबंधित आरक्षण का विषय है, संविधान में संशोधन केन्द्र सरकार को करना है इसलिए सीधा संबंध केन्द्र सरकार से है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): कहां से आ गया? दूसरे लोगों को जब ओ बी सी में लिया था तब केन्द्र सरकार ने लिया था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अनिताजी, आप बोल लिये ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): राजघराने के लोगों को आरक्षण दिया था तब क्या ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): धौलपुर के राजा को, भरतपुर के राजा को आपने किस आधार पर शामिल किया था? ...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिए राजस्थान की भाजपा सरकार को, उस वक्त केन्द्र के अन्दर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, धौलपुर के राजा को क्या आर्थिक आधार पर आपने शामिल किया था? ...(व्यवधान) उसी आधार पर गरीब, राजपूत, ब्राह्मण और महाजन को आप ओ बी सी में शामिल करेंगे ...(व्यवधान) शर्म करनी चाहिए राजस्थान की सरकार को,...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिछपालजी मिर्धा से पूछ लो, ओ बी सी में शामिल ...(व्यवधान) यह कभी नहीं कहा। आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिले, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। (व्यवधान) आज भी कायम है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ बैठे हैं, माननीय भवानी सिंहजी बैठे हैं, आप लोगों ने लाखों राजपूतों को भरोसा दिया था, राजस्थान के अन्दर अगर हमारी सत्ता आ गयी तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बिराजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आर्थिक तौर पर आरक्षण का भरोसा दिया था जिस पर आज भी कायम हैं। आर्थिक तौर पर आरक्षण मिले, इसका भरोसा दिया था जिस पर आज भी कायम हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आर्थिक आधार पर जब उन्होंने आरक्षण दिया था तो...(व्यवधान) तो उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों किया अशोक गहलोत का? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब कोई नहीं करे, बीच बीच में ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, यह आरक्षण इस देश को कहां ले जाएगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: अनिताजी बोल रही हैं बोलने दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): एक जने से तो बर्बाद नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, रामप्रतापजी भी आरक्षण की मांग करके ओ बी सी में शामिल हुए ...(व्यवधान) विधान सभा के अध्यक्ष को भी ओ बी सी में आरक्षण है, मुख्य मंत्री को भी ओ बी सी में आरक्षण है तो गरीब राजपूत को ओ बी सी में आरक्षण क्यों नहीं है? आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): गरीब ब्राह्मण हो चाहे गरीब वैश्य हो, हम तो कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): वे जो महिलाएं, गरीब महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं...(व्यवधान) जो महिलाएं आयीं थीं उनके साथ बदतमीजी की गयी...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अगर इस देश को बचाना है तो एक तो आरक्षण को समाप्त करके...(व्यवधान) और एक पक्का फैमिली प्लानिंग, ये दो काम करने पड़ेंगे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप उनकी बात सुन लीजिए एक बार जाकर...(व्यवधान) क्योंकि माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के इस पत्र के माध्यम से...(व्यवधान) इसलिए बाहर जाकर एक दफा आप बात सुनिये, जो आश्वासन देना है वह...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये आप, देवल साहब। देवल साहब, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं, बिराजें आप। देवल साहब ...(व्यवधान) This is not the way. बैठिये, देवल साहब, बैठिये आप। आपने अपनी बात रख दी ...(व्यवधान) इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा। नहीं, नहीं। अनिताजी भदेल। No, Sit down. I say sit down. ...(व्यवधान) बैठिये आप, यह अनआर्डरली हाउस नहीं चलेगा, बैठिये आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने चार बार बात उठा दी, आपकी बात सुन ली **Please sit down. I say you sit down.**

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): हम इतना जानना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार, माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ यह सदन को बताएं कि आपने राजपूतों को वादा किया था या नहीं किया था? माननीय सभापति महोदय, सरकार से पूछिये, सरकार से जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये आप...(व्यवधान) हो गयी आपकी बात ...(व्यवधान) ठीक है, सुन ली आपकी बात। ऐसे कोई हाउस चलेगा क्या ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): इस तरह से राजस्थान की सरकार भी नहीं चलेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं?

श्री सभापति: नहीं, गुस्से का सवाल नहीं है ...(व्यवधान) आधा घंटा हो गया इस बात को। अनिताजी बोल रही हैं, महिला हैं और उनका बोलने का अधिकार है She should start it. ...(व्यवधान) आप बिराजें, कृपया बिराजें ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं, आप गुस्सा नहीं करें, नहीं, ब्लड प्रैशर ज्यादा तेज हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हर कौम से, हर जाति से वादा किया था इन्होंने और बेइमानी करके ...(व्यवधान) सारे राजस्थान में आग लगा दी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप, हो गयी आपकी बात। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): जब वादा किया वोटों के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, टोकने पर भी नहीं बैठना, यह ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मीणों को, गुर्जरों को लड़ाने वाले, आग लगाने वाले ये हैं ...(व्यवधान) वोट के लिए तो बात कर लो आरक्षण की और आज बात कर जाओ, नहीं की। यह लिखित में है, वसुन्धरा राजे ने हां भरी है राजपूतों को आरक्षण देने के लिए आज मना कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, यह जो पत्र दिखाया जा रहा है, माननीय सदस्य देवल साहब जिस पत्र को सदन में दिखा रहे हैं, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि वसुन्धराजी ने आरक्षण का विरोध किया ...(व्यवधान) इस पत्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं और यह मुख्य मंत्रीजी पहली बार ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पब्लिक के बीच में जाकर बात करो ...(व्यवधान) आपने हां भरी है तो जाकर बात करो पब्लिक के बीच में, जनता बुला रही है ...(व्यवधान) वह राजपूत महिलाएं बुला रही हैं ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): पिछड़े हुए राजपूतों को आरक्षण मिले, इसकी पहल मुख्य मंत्रीजी ने की है। (व्यवधान) केवल झांसा दिया गया, आयोग का गठन किया ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): राजपूत महिलाएं इन्तजार कर रही हैं ...(व्यवधान) आप जाओ, राजपूत महिलाएं बुला रही हैं बाहर। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मैं पढ़कर सुनाता हूं ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): आप कितना ही पढ़कर सुनाओ, इसमें कुछ भी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बाहर जाकर कहो कि नहीं कहा, बाहर जाओ ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): राजपूतों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण लेने से केवल इसलिए वंचित ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो रोज बाहर आता हूं। आप पक्ष में हो क्या? (व्यवधान) आप पक्ष में हो क्या ? बाहर क्या भाषा बोलते हो, यहां क्या भाषा बोलते हो। (व्यवधान) ओ बी सी में शामिल किया जाए ...(व्यवधान) आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही थी ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप बाहर जाकर कहो ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप जाकर बाहर बात तो करो उनसे। राजपूत महिलाएं इंतजार कर रही हैं आपका। आप जाओ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पक्ष में हो क्या? हेमारामजी से कहलवाओ ...(व्यवधान) कहलवाओ हेमारामजी से। कहो, खड़े होकर कहो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अनिताजी को बोलने दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गिने-चुने लोग ही पूर्व काल में ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, जो धोखा राजस्थान की मुख्य मंत्री ने, भाजपा सरकार ने राजस्थान के राजपूत समाज के साथ किया है उसका खामियाजा राजस्थान की भाजपा सरकार को चुकाना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें-विराजें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, इस

(श्री रामप्रताप कासनिया)

प्रान्त को बचाने के लिए यह आग में घी डालने का काम नहीं करें ... (व्यवधान) काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। राजस्थान में आग लगाने का काम नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापतिः अनिताजी। (व्यवधान) आप अनिताजी को बोलने दें। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग। बोले ही जा रहे हैं सब जने। अनिताजी को बोलने दें ...(व्यवधान) करा देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप वक्तव्य दिलाओ। शीतलहर पर ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बोलने तो दें। उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी पार्टी के लोगों को बड़ी चिन्ता है ...(व्यवधान) हेमारामजी से कहलवा दो, ओ बी सी में शामिल करने का प्रस्ताव ले आएं ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः रणवीर सिंहजी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ले आओ प्रस्ताव, ले आओ प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): राजस्थान का किसान रो रहा है शीतलहर से और पाले से जो नुकसान हुआ है उस सम्बन्ध में आप वक्तव्य कराओ मंत्रीजीका ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता प्रस्ताव ले आएंगे तो हम दे देंगे। यह कह रहे हो न आप? (व्यवधान) नहीं-नहीं, आप क्या कह रहे हो? अभी तो कहा था। बदल क्यों रहे हो?

(समय : 16.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आरक्षण का मसला राज्य सरकार का है ही नहीं, यह केन्द्र सरकार से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रस्ताव पारित करके दिल्ली गये थे, कौन मना कर रहा है उनको? यहां कहने के बजाय ...(व्यवधान) दिल्ली में दिया था न प्रस्ताव ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं-नहीं, अभी आपने क्या कहा था? ऑन रिकार्ड देखों ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने नेता प्रतिपक्ष कहें, वह इतना ही मान लो, नेता प्रतिपक्ष अभी कह दें कि राजस्थान में अल्पसंख्यक मुसलमानों को आरक्षण दे दो, आप दे दोगे क्या? दे दोगे क्या? सांप सूंघ गया। क्या नेता प्रतिपक्ष के ऊपर डाल रहे हो बात को? हमारे कहने से सरकार चला रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापतिः बिराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माल खाओ आप और फूट का ठीकरा पाटना हो तो विपक्ष के नाम पर पाट दो। अभी सी.पी. जोशीजी कह रहे थे, यह जमीनों का यूजर राइट चेंज किया ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिये। विराज जाइये आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यूजर राइट क्या प्रतिपक्ष के कहने से किया था? आपने जो और काम किये 90 बी के, ये प्रतिपक्ष के कहने से किये थे? क्या तमाशा बना रखा है हाउस को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, क्या कर रहे हैं यह**?** (व्यवधान) किस पर बोल रहे हैं यह**?** **(**व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माल खाओ खूब छक के, यहां पर तमाशा करें और क्या है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): काहे पर बोल रहे हैं? यह क्या बात हो गयी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बात कैसे नहीं हुई ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह अधिकार नहीं है इनको ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने ही कही है बात खुद ... (व्यवधान) आपने क्या कहा**,** यह प्रस्ताव ले आवें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपके झूठे वादे पर बोल रहे हैं यह ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः अंकित मत करो। आप विराज जाइये। बिराजिये आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सभापतिः विराजिये आप? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सभापतिः विराज जाइये। अंकित मत करो।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापतिः विराजिये? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सभापतिः माननीय रणवीर सिंहजी, आपको चार बार नहीं दस बार रिक्वैस्ट कर दी गयी है, अब आप विराज जाएं। श्रीमती अनिता भदेल बोल रही थीं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सभापतिः अब विराज जाएं सब। अनिताजी ...(व्यवधान) बैठिये न आप ...(व्यवधान) फिर बीच में क्यों आप ...(व्यवधान) अनिता भदेल ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सभापतिः उत्तर भी अभी पहले इनको बोलने दें आप ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम आपने बहुत देर से पुकारा है। हाउस को आप आर्डर में करिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दें उनको आप ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): हाउस को आप आर्डर में करें ताकि मैं अपना शुरू कर सकूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आ रहा है उत्तर ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) नहीं बोलने देना चाह रहे हैं क्या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पांच मिनट ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं एक महिला हूं इस कारण से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं बोलने देना चाह रहे हैं ...(व्यवधान) आप विराज जाएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सरकार ने यह कमिट किया है, उत्तर देंगे मंत्री... (व्यवधान) आप बिराजिये। माननीय गुढा साहब, आप बिराजिये ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सभापति: माननीय, अभी सभी आप विराज जाएं। आधा घण्टा हो, गया, आप हाउस को रोक रहे हैं। नो, दिस इज नॉट गुड । (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): अब मैं इसके ऊपर बोल रही हूं, आप बैठ जाइये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं, अब विराज जाइये आप। अनिताजी बोलें अब ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापति: आप बैठ जाएं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आप इनको बिठाओ तो मैं शुरू करूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप। अब कोई खड़ा नहीं होगा बीच में। बैठिये आप। आप बैठ जाएं। अनिताजी को बोलने दें। सरकार दे रही है अभी जवाब। बोलें अनिताजी ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए बहुत-बहुत उनका आभार प्रकट करती हूं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आसन ने व्यवस्था दी है चार बजे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): और विशेषकर महिला होने के नाते सके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब चार बजे का टाइम फिक्स है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: अनिताजी आधे घण्टे से खड़ी हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, चार बजे शुरू किया ...(व्यवधान) पांच मिनट ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: सदन का आधा घण्टा सभी लोगों ने जाया किया है। पांच मिनट में वह नहीं बोली हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापति: इसलिए वह उनका भाषण पूरा कर लें, फिर दे देगी जवाब। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: इसीलिए बोलने दें आप ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: सुन रहे हैं न ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आपने ...(व्यवधान) डाला है आपने ही सारा ...(व्यवधान) अब जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): किस कारण से नहीं बोलने देना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): यहां जो बातें कही गयी हैं उनका जवाब ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाएं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आप लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

(कांग्रेस एवं लोक जन शक्ति के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): महिला को तो बोलने नहीं देना चाहते हैं। वह चाहते हैं महिला आगे नहीं आए। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। उनके भाषण और बजट भाषण का स्वागत करते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): न केवल मैं वरन् पूरा राजस्थान उनके बजट का स्वागत कर रहा है, खुश है ...(व्यवधान) लोग खुश हैं, उन्होंने अपना जो बजट भाषण दिया है उनमें युवाओं के लिए ...(व्यवधान) बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए ...(व्यवधान) यह बजट सर्व स्पर्शी, सर्व ग्राह्य है। इनको इस बजट से कोई इंकार नहीं है... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): केवल अनर्गत ...(व्यवधान) खराब करके यह अपना जवाब नहीं सुनना चाहते हैं...(व्यवधान) सी.पी. जोशी साहब ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं उनका जवाब मैं देना चाहती हूं... (व्यवधान) जवाब वह नहीं सुनना चाहते हैं ...(व्यवधान) इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। (व्यवधान) वर्षों की जो पंचवर्षीय योजना थी उस पंचवर्षीय योजना में कृषि और .....

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): कृषि एवं संबंधित सेवाओं में 73.88 करोड़ रुपये का व्यय सन 2002 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बिराज जाएं ...(व्यवधान) पांच-दस मिनट में अपनी बात कम्प्लीट कर लेती हैं, फिर बोल लेना। (व्यवधान) कम्प्लीट तो करने दें ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): 79.87 करोड़ रुपये का व्यय सन 2003-04 में हुआ और यह सौ का आंकड़ा पूरा किया हमारी सरकार के कार्यकाल में। वर्ष 2004-05 में 177.59 करोड़ रुपये का व्यय इस मद में हुआ। वर्ष 2005-06 में 354.29 करोड़ रुपये का व्यय ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): वर्ष 2006-07 में 17.49 करोड़ का व्यय इस योजना में किया गया। मैं इन आंकड़ों से यह बताना चाहती हूं कि ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): कुल व्यय प्रतिशत जो कि पूर्व में तय था उसकी तुलना में 52.34 प्रतिशत ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): किसानों को बिजली नहीं दी, किसानों को कनेक्शन नहीं दिया। मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 123.65 प्रतिशत अधिक व्यय हमारी सरकार ने किया। खनिज और उद्योग के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अधिक कार्य किये, परिवहन के क्षेत्र में 105.34 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इसी प्रकार सी.पी. जोशी साहब अभी कह रहे थे कि एस.सी., एस.टी. के लिए कुछ नहीं किया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य द्वारा सदन में खराब फसल की बालियां उछायी गयी)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): ×××

(समय : 16.14 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको चार बजे का टाइम दिया था तो क्या आप सुनेंगे नहीं मंत्रीजी को? (व्यवधान) बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये आप। स्थान ग्रहण कीजिये अपना, समय दिया हुआ है ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी जारी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): शुरू कर दिया है, आपने बोलने नहीं दिया है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शुरू कर रखा है, काफी देरी से शुरू कर रखा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अनिताजी का भाषण समाप्त होने के बाद होगा ...(व्यवधान) वह बीच में थोड़े ही रूकेंगी। ऐसा नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे बोलने नहीं दूंगा किसी को। (व्यवधान) व्यवस्था ठीक है, भाषण हो रहा है, बीच में ...(व्यवधान) पांच मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा ...(व्यवधान) पांच मिनट के अंदर अपनी बात पूरी कर देंगी ...(व्यवधान) बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं रूकेगा ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात शुरू की थी, यह बोलने नहीं देना चाह रहे थे ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

(सदन में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग नहीं चाहते हैं कि एक एस.सी. की महिला का भाषण हो ...(व्यवधान) यह लोग नहीं चाहते हैं कि कोई महिला अपना भाषण यहां पर दे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात नहीं सुनना चाहते हैं। आप मंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्षः आप स्थान तो ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान) जब वह माननीय सदस्य बोल रही हैं, वह अपना पांच ...(व्यवधान) उन्होंने शुरू कर रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्षः आप हाउस चलाने में इंट्रेस्टेड नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्षः यह गलत बात है ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री जुबेर खानः ×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा। आपने एक मिनट भी बोलने नहीं दिया उनको। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण तीन बजकर पचास मिनट पर शुरू कर चुकी थी, इन्होंने नहीं बोलने दिया, यह सोचकर कि एस सी की महिला बोल रही है, इसको नहीं बोलने दिया जाएगा, इसकी आवाज बंद की जाएगी, इसकी आवाज दबाई जाएगी, इस कारण से व्यवधान पैदा किया है। यह नहीं चाहते कि सरकार की ओर से एक महिला जवाब दे। सी पी जोशी साहब का मैं जवाब देना चाहती थी लेकिन यह नहीं सुनना चाहते हैं। आप लोग यदि नहीं सुनना चाहते हैं तो आप सदन से बाहर चले जाइए। आप सदन से बाहर चले जाइए अपने आप, नहीं सुनना चाहते हैं तो।

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2008 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.21 बजे बुधवार; 27 फरवरी, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)